



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2020

षोडश विधान सभा
पंचदश सत्र

02 मार्च, 2020 ई0
सोमवार, तिथि 12 फाल्गुन, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

अल्पसूचित प्रश्न सं0-12(श्री रामदेव राय)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के प्रावधान के अनुसार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही का पद वैतनिक है । वर्तमान में बिहार पुलिस के सिपाही की भांति इनका लेवल वेतन-3 है।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं सीधे इनसे पूछा हूँ कि गृह वाहिनी रक्षा वाहिनी के सिपाहियों को जो वर्तमान सिपाही होते हैं उनके समकक्ष वेतन और सभी भत्ता वगैरह दिया जाय । हमारा पूछने का सेन्स ये है । उसके अनुकूल उस नियमावली में संशोधन कर गृह रक्षा वाहिनी को सिपाही के समकक्ष वेतन और अन्य भत्ता दिया जाय । यही मेरा कहना है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जो मैंने कहा कि तीन कैटेगरी इजेशन है वो इसमें सम्मिलित है इसको मिलता होगा वही वेतन इसीलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ।

श्री रामदेव राय : वेतन मिलता नहीं है मानदेय के आधार पर मिलता है । ऐसा नहीं अभी तक हुआ है । सर, हुआ नहीं है ये नहीं हुआ है, मानदेय देते हैं ये और काम लेते हैं सिपाही से भी ज्यादा, भर दिन बंदूक टांगे गांव-गांव पहरा वह देता है और उसको ये कैटेगरी 3 और 4 बताते हैं ।

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि जो अभी देते हैं उससे अलग देने का विचार नहीं है ।

श्री रामदेव राय : वही तो विचार करने के लिए प्रश्न पूछे हैं कि सरकार को इसपर विचार करना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका सुझाव है सरकार उसको देखेगी ।

टर्न-01/शंभु/02.03.2020

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि वेतन उनको देते हैं जबकि दैनिक मजदूरी दी जाती है और दैनिक मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक के रूप में सरकार के द्वारा जो निर्धारित है वह मिलता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रश्न है गृह रक्षा वाहिनी सिपाही- गृह रक्षा वाहिनी अलग है और गृह रक्षा वाहिनी सिपाही अलग है तो मैंने कहा कि तीन कैटेगरी में वह है उसी तरह से उनको वेतन मिलता है ।

श्री रामदेव राय : एक प्रश्न गृह रक्षा वाहिनी का वह सदस्य सिपाही कहलाता है या दूसरी चीज चौकीदार कहलाता है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-13(श्री समीर कुमार महासेठ)

लिखित/वितरित उत्तर

श्री श्याम रजक, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या 963, दिनांक 14 फरवरी, 2019 द्वारा सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में चादर, पर्दा, सफेद बेड शीट एवं पीलो कवर का दर निर्धारित किया गया है । साथ ही, इन सामग्रियों के गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया सहित सोसायटी ऐक्ट में निर्बंधित बुनकर सहयोग समितियों (प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष) से क्रय करने का निर्देश निर्गत किया गया है । इसमें प्रत्यक्ष रूप से उद्योग विभाग की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस मामले में सरकारी विभाग, उपक्रम, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज क्रेता हैं एवं सोसायटी ऐक्ट में निर्बंधित बुनकर सहयोग समितियों (प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष) विक्रेता हैं ।

उक्त सामग्रियों का क्रय बुनकर सहयोग समितियों से ही सरकारी विभाग करें, इस आशय का पत्र सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को भेजा गया है ताकि राज्य में हस्तकरघा निर्मित वस्त्रों को प्रोत्साहन और बुनकरों के रोजगार एवं आय में वृद्धि हो सके । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को भी उक्त सामग्री का क्रय सोसायटी ऐक्ट में निर्बंधित बुनकर सहयोग समितियों से क्रय करने का निर्देश जारी किया गया है ।

राज्य में कुल प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों की संख्या 406 है जिनमें वर्तमान में कार्यरत समितियों की संख्या 202 है । शेष समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार को उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2.50 लाख रूपया निर्वाचन शुल्क के रूप में उपलब्ध कराया गया है ताकि राज्य के प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष संघ को निर्वाचन शुल्क राज्य निर्वाचन प्राधिकार को

देना ना पड़े, जल्द-से-जल्द उनका निर्वाचन ससमय हो सके और यह समितियाँ बन्द न हो पाये ।

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ, आपका उत्तर दिया हुआ है पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, यह बुनकर का मामला है । मेरे प्रश्न का उत्तर छपा हुआ है । मैंने प्रश्न कुछ पूछा है और उत्तर कुछ दिया गया है । इसी सदन में यह बात बार-बार सरकार तथा आसन द्वारा कही जाती है कि मंत्रियों का कलेक्टिव रेस्पॉन्सेबिलिटीज होता है । मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि अभी तक बुनकर सहयोग समितियों से खरीदारी नहीं की गयी है । इसका इसमें कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा उत्तर यह दिया जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से उद्योग विभाग की भूमिका नहीं है । मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार बुनकर सहयोग समितियों को जीवनदान देने के लिए सरकारी विभागों, उपक्रमों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के लिए खरीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है ? हां तो कब तक?

अध्यक्ष : समीर जी, इसमें आपका जो प्रश्न है और सरकार का जो उत्तर है उन दोनों से लग रहा है कि इस प्रश्न को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखा जाना चाहिए । यही लगता है इसलिए इसको स्थगित करके इसको स्वास्थ्य विभाग देखेगी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-14(श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-538(श्री सीताराम यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलाबारी ग्राम में कब्रिस्तान नहीं है । उक्त गांव के अल्पसंख्यक समुदाय परवाहा बेलही पंचायत के कब्रिस्तान में जाया करते हैं ।

श्री सीताराम यादव : मंत्री महोदय का आवाज नहीं सुन पाये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक बार फिर से पढ़ दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि कमलाबारी जो माननीय सदस्य का प्रश्न है- कमलाबारी में कोई कब्रिस्तान नहीं है बल्कि कब्रिस्तान जो है वह परवाहा बेलही पंचायत के अधीन है जहां लोग कब्रिस्तान में जाते हैं यही मैंने कहा ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, वहां पर कब्रिस्तान है जो कमलाबारी टोला करके है । रेवेन्यु भिलेज इन्होंने कहा परवा बेलही सही है, लेकिन कमलाबारी टोला है । वहां पर बनवा दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-539(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के माली थाना में मिक्स्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त है जिससे अग्निकांड की घटना होने

पर अग्निशामक का काम किया जाता है। माली थाना अन्तर्गत अग्निशामक का कार्य अग्निशालय औरंगाबाद के साथ-साथ नवीनगर, अम्बा एवं कुटुम्बा थाना में प्रतिनियुक्त मिक्स्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन से भी किया जाता है। अग्निशालय औरंगाबाद से माली थाना की दूरी लगभग 20 कि०मी० है। नवीनगर थाना एवं कुटुम्बा थाना से माली थाना की दूरी लगभग 5 कि०मी० है एवं अम्बा थाना से माली थाना की दूरी लगभग 10 कि०मी० है।

तारंकित प्रश्न सं-540(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मंदिरों के चहारदीवारी के निर्माण हेतु गृह विभाग विशेष शाखा का संकल्प सं०-8778, दिनांक-19.09.16 निर्गत है। इसके तहत धार्मिक न्यास परिषद् से प्राप्त पंजीकृत मंदिर की जिला स्तर पर गठित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की दो सदस्यीय समिति द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची से कराया जाता है। प्राथमिकता सूची में उक्त योजना सम्मिलित नहीं है।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस ब्रह्म स्थान का बनवाया जाय।

तारंकित प्रश्न सं०-541(श्रीमती अमिता भूषण-अनुपस्थित)

तारंकित प्रश्न सं०-542(श्री मुजाहिद आलम-अनुपस्थित)

तारंकित प्रश्न सं०-543(श्री मो०नवाज आलम)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आसन सबकुछ सुनता है और सबकुछ देखता है। वे नहीं थे यह भी देख रहे थे, इनकी आवाज नहीं आपकी आवाज आ रही थी वह भी आसन सुन रहा था, लेकिन माननीय सदस्य आ गये हैं तो हम उनको अनुमति देते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला गांव निवासी सी०आर०पी०एफ० के जवान शहीद रमेश रंजन ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान राज्य सरकार में नहीं है। अतः सी०आर०पी०एफ० के शहीद रमेश रंजन के आश्रित विधवा को नौकरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मो०नवाज आलम : महोदय, कोई व्यवस्था करके वह महिला जो है पढ़ी-लिखी महिला है और तमाम लोगों की भावना का कद्र करते हुए एक तरफ आप शहीदों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई रास्ता निकालकर.....

अध्यक्ष : सी०आर०पी०एफ० वाले जरूर देखते होंगे।

(व्यवधान)

क्या पूछियेगा, वे कह रहे हैं नियम नहीं है तो आपका क्या सवाल है, बताइये ?

टर्न-2/02-03-2020/ज्योति

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह बिहार का बेटा है ।

अध्यक्ष : यह पूरक है ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : जी, मानवता है आप सुन तो लीजिये । वह बिहार का लड़का मारा गया, शहीद हुआ भारत सरकार के पास नियम नहीं है पर बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल कैटेगरी में इस पढ़ी लिखी महिला को जो बेवा हो गयी है उसको नौकरी देने का विचार सरकार रखती है कि नहीं इसपर विचार होना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या 544 (श्री कमरुल होदा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के प्रखंड पोठिया अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर के अर्राबाड़ी कब्रिस्तान के घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 440 पर अंकित है । धुमनियों के थाना नं0 251 खाता- 135, खेसरा- 13-40, रकबा- 3 डीसमल थाना संख्या-251, खाता- 135, खेसरा- 96-102, कुल रकबा 25.87 थाना संख्या- 221, खाता- 335, खेसरा 43-40, रकबा- 43 डीसमल लगभग में अवस्थित कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु 3 एकड़ में जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची के क्रमांक 102 और 596, 500 पर अंकित है । उस प्राथमिकता सूची के क्रमांक 99 तक सूचीबद्ध कब्रिस्तानों की घेराबंदी का क्रियान्वयन किया जा रहा है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध घेराबंदी कराए जाने की नीति है इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6, 34 कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना शामिल किया गया है । माननीय विधायक इससे प्राप्त निधि से भी कब्रिस्तान की घेराबंदी कर सकते हैं ।

2- घेराबंदी नहीं होने के कारण पशुओं के प्रवेश करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

3- कंडिका -1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री कमरुल होदा : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत अबतक 20 प्रतिशत कब्रिस्तान का ही घेराबंदी हो पायी है 80 प्रतिशत कब्रिस्तान अभी बाकी है । अति संवेदशील कब्रिस्तान है । जितने भी पंचायत है पोठिया प्रखंड अंतर्गत महोदय, 22 पंचायत है डुबानुची, भाला, मिर्जापुर, कस्बा, कलियागंज, दामनबाड़ी, पोलड़ा, बाड़ी सारे पंचायतों में कब्रिस्तान घेराबंदी बाकी है जितना जल्दी हो इसको किया जाये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 545 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- गृह विभाग विशेष शाखा के संकल्प ज्ञापक 8778 दिनांक 19-9-16 के दिशानिर्देश अर्हता के अनुसार बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजनांतर्गत उन्हीं मंदिरों के चहारदीवारी का निर्माण कराया जाता है जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद से निर्बंधित हो । प्रश्नगत मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से निर्बंधित नहीं है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाऊंगा आपके माध्यम से कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है पूर्णिया विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र का जहाँ डेली 5 से 10 हजार तक लोगों की, श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहती है जहाँ पर सामुदायिक भवन, पंचायत भवन और पंचायत सरकार भवन जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वो भी वहाँ चिन्हित हुआ और बन रहा है और इसलिए माननीय मंत्री से कहूँगा और माननीय मंत्री जी धार्मिक भी हैं और इनके यहाँ कोई भी योजना स्वीकृत होती है तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि उसकी चहारदीवारी, घेराबंदी निश्चित रूप से हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी धार्मिक हैं आप आश्वस्त हैं ?

श्री विजय कुमार खेमका : जी,जी हमारे ही क्षेत्र के हैं हम जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी माननीय मंत्री जी करवाते हैं तो हमको पूरा विश्वास है।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह कोरिलेटेड है धार्मिक न्यास पर्षद, लौ डिपार्टमेंट से वह उसको करेगा कि इसका इम्पौटेंस है माननीय सदस्य कानून विभाग में इसका प्रश्न करे जब वो सरकार उन्हीं की घेराबंदी करती है जो धार्मिक न्यास पर्षद से निर्बंधित हो तो उसी को सरकारी मंदिर माना जाता है प्राइवेट भी लोग मंदिर बनाए हुए है इसलिए उससे प्रश्न करे और फिर वह निर्बंधित हो जाता है तो सरकार इसके लिए करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 546 (श्री फैयाज अहमद)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1-स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के विस्फी थाना क्षेत्र हेतु खेसरा 1329 रकबा 0.5 डीसमिल, खाता संख्या -246 भूमि चिन्हित है । भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है । मधुबनी जिला के पतौना ओ.पी. हेतु दान की भूमि उपलब्ध है ।

3- उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी थाना के भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है । भूमि अधिग्रहण के पश्चात् थाना भवन निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी । मधुबनी जिलान्तर्गत पतौना ओ.पी. के भवन निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा प्राक्कलित राशि 5 करोड़ 50 लाख 49 हजार 3 सौ मात्र का

प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है । इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री फैयाज अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित कर दें मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : हमने कहा कि प्राक्कलन भेज दिया है, प्रक्रियाधीन है, उसको द्रुत गति से करवाने के लिए प्रयास किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 547 (डा. सी.एन.गुप्ता)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना-सारण जिलान्तर्गत सोनपुर दीघा जे.पी. सेतु पर यदा कदा गाड़ियों का आवागमन अधिक होने पर जाम की समस्या उत्पन्न होती है इसके अतिरिक्त बल एवं रेगुलेशन मोबाइल की प्रतिनियुक्ति कर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है ।

2- अस्वीकारात्मक है । मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर विषय वस्तु की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त जिला अधिकारी पटना के ज्ञापन 52-57 दिनांक 26-2-2020 के माध्यम से अगले आदेश तक जे.पी सेतु से भारी वाहन के माल वाहक वाहनों पर परिचालन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। गांधी सेतू से छहः चक्का तक के वाहन पूर्वा चलेंगे लेकिन बालू एवं निर्माण सामग्री से लददे भारी वाहनों की परिचालन नहीं की जाएगी। पुलिस अधिक्षक यातायात पटना को आदेश दिया गया है कि टारंजित में रहने वाले सभी भारी वाहनों को 48 घंटों के अंदर जे. पी से पार कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्थिति के बाद किसी भी भारी वाहन का परिचालन स्वीकृत नहीं होगा इसके लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश पुलिस अधिक्षक यातायात पटना को किया गया है पर ये पुलिस अधिक्षक पटना को सूचित किया गया है और ये आदेश का अनुपालन कराने हेतु वर्तमान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय सुनिश्चित की जाए।

डा. सी.एन. गुप्ता:- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 548 (श्री विजय कुमार खेमका)

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पूर्णिया का कार्यालय पूर्व में अपना भवन बंगालीपाड़ा, भट्टा बाजार, पूर्णिया में कार्यरत था जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है । ये कार्यालय फरवरी, 2018 के पूर्व किराये के मकान में संचालित हो रहा था जिसका किराया भुगतान किया जा चुका है वर्तमान में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पूर्णिया का कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया के कार्यालय भवन में फरवरी, 2018 से कार्यरत है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के पत्रांक प्र0 694 दिनांक 11-02-2020 द्वारा पूर्णिया जिला कार्यालय की जमीन पर चहारदिवारी के निर्माण की आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, आयडा पटना से प्राक्कलन की मांग की गयी है । बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के खादी बोर्ड की जमीन पर खादी पार्क का निर्माण किया जाना है । बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, पूर्णिया के उक्त भूखंड पर खादी पार्क का निर्माण किया जायेगा ।

टर्न-03/कृष्ण/02.03.2020

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, यह जो 25 डिसमिल जमीन है, जहां पुराना जर्जर मकान बना हुआ है, हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि जिस तरह से पटना में खादी मॉल का निर्माण हुआ है, इसलिए कि पूर्णियां प्रमंडल है, मुख्यालय भी है और खादी के प्रोत्साहन के लिये सरकार भी गंभीर है और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी आज खादी की ही टोपी पहने हैं और गांधी जी के विचारों पर चलने के लिये खादी की टोपी पहनकर प्रतिकारात्मक ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उस भूखंड पर खादी पार्क की योजना बनवा रहे हैं । यह उन्होंने बताया है । अब आपको क्या कहना है ?

श्री विजय कुमार खेमका : उसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद है ।

अध्यक्ष : जब आप धन्यवाद दे दिये, अब तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, इतनी उसमें जगह है कि खादी मॉल का भी निर्माण हो सकता है । उसी के लिये मैंने आग्रह किया है खादी को प्रोत्साहन देने के लिये । इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह किया है और मैंने पुनः आग्रह करूंगा कि उसमें खादी मॉल के निर्माण के लिये निर्णय लें ।

अध्यक्ष : खादी भवन या खादी केन्द्र की से खादी पार्क की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वह ज्यादा बड़ा है ।

श्री विजय कुमार खेमका : जी । इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 549(श्री भोला यादव)

अध्यक्ष : इसका उत्तर दिया हुआ है । आप नहीं पढ़े है ? माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, फिर उत्तर देने का क्या फायदा ?

अध्यक्ष : फायदा यह है कि आदत बन रहा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत मेकना वेदा के कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है तथा अतिक्रमण का कोई

मामला प्रकाश में नहीं आया है । देकुली कब्रिस्तान ग्राम देकुली खाता संख्या-537 खेसरा संख्या-1434 तथा खाता संख्या-32 खेसरा संख्या-1435 की 2 कट्ठा 10 धुर की भूमि पर है, जिसकी जमाबंदी अन्य खेसरा के साथ चलती है । रीविजनल सर्वे में यह भूमि रैयति है । सरकार राज्य के सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशील कब्रिस्तान की घेराबंदी कराये जाने की ही नीतियां है ।

श्री भोला यादव : महोदय, कब्रिस्तान तो वही है और उसी की घेराबंदी होना है । पहला, जो मेकना वेदा कब्रिस्तान के बारे में माननीय मंत्री जी बताये हैं, उसमें दो समुदायों के बीच विवाद हुआ, कब्रिस्तान की घेराबंदी तोड़ दिया गया, जिसका मामला बहादुरपुर थाना में चल रहा है, उसको तत्काल घेराबंदी कराना जरूरी है । प्रतिदिन वह टूटते जा रहा है । इसलिए इसको माननीय मंत्री ही संज्ञान में ले लें और दोनों को करवा दें।

तारांकित प्रश्न संख्या : 550(श्री शाहनवाज)

अध्यक्ष : माननीय सस्दय श्री शाहनवाज अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 551(श्री कमरूल होदा)

अध्यक्ष : उत्तर लिखा हुआ है ।

लिखित/वितरित उत्तर

श्री श्याम रजक, मंत्री : 1- उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है ।

2- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है ।

3- पोठिया, किशनगंज में अनानास प्रोसेसिंग आधारित उद्योग लगाने का प्रश्न है तो वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो नीति के प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है ।

श्री कमरूल होदा : महोदय, उत्तर लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा उद्योग नहीं लगाया जाता है । महोदय, मेरा कहना है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया एक ऐसा प्रखंड है कि जहां पर अनानास की काफी होती है और किसान वहां 10 रूपये में बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं । चूंकि वहां पर कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है और वही अनानास दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में जाकर 100 रूपया में बिकता है । महोदय, अगर वहां पर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट हो जाय तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा । लेकिन कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इकाई

की स्थापना नहीं की जाती है । केन्द्र में तो इन्हीं की ही सरकार है । तो कम से कम केन्द्र सरकार द्वारा वहां पर उद्योग लगाया जाय, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाय ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल पाये ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 552(श्री विनोद प्रसाद यादव)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 553(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री श्याम रजक,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय आदेश संख्या 1850 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा प्रश्नांकित क्रय केन्द्रों की मगध सुगर एवं एनर्जी लिमिटेड इकाई सिधवलिया को आवंटित किया गया । विभागीय पत्रांक 56 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा सभी चीनी मिलों को पेराई सत्र-2019-20 के आवंटित पथ क्रय केन्द्र का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है । सिधवलिया चीनी मिल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इन पथों पर क्रय केन्द्रों की अधिकांश कृषकों द्वारा सीधे मिल गेट पर गन्ने की आपूर्ति की जाती है । शेष बचे मटबनवारी क्रय केन्द्र पर कृषकों का गन्ना निकटतम क्रय केन्द्र फुलवरिया, दूरी 3 किलोमीटर पर क्रय किया जा रहा है । कंठछपरा केन्द्र पर मात्र 9 ईख पूरक कृषक है, जिसमें केवल 23.09 एकड़ है । इसका क्रय भी फुलवरिया, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर पर क्रय किया जा रहा है । चितररिया कृषकों का गन्ना, दूरी 2.5 किलोमीटर का महमदा दूरी 2.5 किलोमीटर पर क्रय किया जा रहा है । इस प्रकार पथ क्रय केन्द्रों पर गन्ना किसानों का क्रय गन्ने का निष्पादन सुचारू रूप से हो रहा है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, सरकार ने सर्वे कराकर पथ क्रय केन्द्रों का संचालन करने हेतु चीनी मिलों को आदेशित किया । यह जो पथ क्रय केन्द्र पर मेरा सवाल है, यह इसमें का जो पथ क्रय केन्द्र है, कई वर्षों से चलता आ रहा है । उस इलाके में पहले जो चीनी मिलें चलती थीं, चीनी मिलें बंद हैं, सरकार ने सिधवलिया चीनी मिल के जिम्मे इन पथ क्रय केन्द्र वाले इलाके को कर दिया तो सरकार ने जो चिट्ठी निकाली, सरकार ने जो आदेश दिया, सरकार ने जो सर्वे कराया, महोदय, मेरा सीधा सवाल है कि सरकार ने वैसे चीनी मिल, जिसने सरकार के आदेश की अवहेलना की है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री श्याम रजक,मंत्री : महोदय, मैंने पहले ही कहा सिधवलिया के तीन पथ क्रय केन्द्र हैं, अलग-अलग केन्द्र हैं, किसानों की जो जगह है, वहां से बहुत दूरी है । 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर अंदर के कृषकों से लिये जाते हैं और अभी सुचारू रूप

से कृषकों के ही ईखों को लिया जा रहा है और वहां पर किसी तरह का व्यवधान नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि एक रेवेन्यू विलेज में 2000 फीट पर, 1 किलो मीटर की दूरी पर क्रय केन्द्र लगा हुआ है । जहां गन्ना की अधिकता है, जहां गन्ने का ज्यादा उत्पादन होता है, सरकार उसका सर्वे कराती है और तब सरकार इस पर निर्णय करती है । सरकार ने निर्णय लिया कि यहां पथ क्रय केन्द्र जरूरी है । पहले से भी यहां पथ क्रय केन्द्र स्थापित होता रहा है 25-30 वर्षों से । माननीय मंत्री यह बतावें कि वहां के किसानों का डाटा इनके पास है कि ये-ये किसान इस पथ क्रय केन्द्र से संबंधित है।

अध्यक्ष : सचीन्द्र जी । आप जितनी सूचना दे रहे हैं, सरकार को दे दीजिये, सरकार उसको दिखवा लेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, हम सूचना नहीं दे रहे हैं सरकार को । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इनके पास वैसे किसानों की सूची है ? वे किसान जो जिस पथ क्रय से टैग थे, जहां के लिये पथ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये, का गन्ना कहां जा रहा है ? माननीय मंत्री हमको बतावें ।

श्री श्याम रजक, मंत्री : महोदय, प्रश्न में यह नहीं था । माननीय सदस्य की इच्छा है, हम तुरंत इनको यह भिजवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे क्या ?

अध्यक्ष : तुरंत जांच करा देंगे, जितना जल्दी दे दीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, कौन चीज का जांच करा देंगे ? सरकार ने जो चिट्ठी निकाली है, इन्हीं की चिट्ठी है न । इस पर क्या कार्रवाई किये ? इनके आदेश की अवहेलना हो रही है, एक चीनी मिल वाला इनकी बात नहीं समझ रहा है । सरकार की बात नहीं समझ रहा है । इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, मेरे जिला से संबंधित मैटर है और जिन किसानों की बात माननीय सदस्य उठाये हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं । महोदय, पुराने दो-दो चीनी मिलें, जो चल रही थीं, वे बंद पड़ी हुई हैं । हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं, इन किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुये इन दोनों चीनी मिलों को सरकार खोलवाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर ऑन लाईन दिया हुआ है । आप पढ़ें ? खैर, माननीय मंत्री जी, आप उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : महोदय, उसकी घेराबंदी तो कराया जा सकती है न ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह एक अवधारणा है लेकिन हर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की बात नीति में अनिवार्यता नहीं है । प्राथमिकता सूची वही होती है, डी0एम0, एस0पी0 के स्तर पर कमिटी है, जहां विवाद की संभावना रहती है, उसको प्राथमिकता सूची में डाला जाता है । विधायक योजना से भी कराये जाने का है नियम ।

टर्न-4/अंजनी/02.03.2020

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि सेंसीटिवनेस की प्राथमिकता सूची बनायी गयी है । मगर विधायकों का जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, उससे पूर्व में कराने का था तो कम-से-कम मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में यह प्रावधान कर दें कि जो सेंसीटिव कब्रिस्तान नहीं है, उसको माननीय विधायक अपने निधि से करायें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह तो योजना विभाग से संबंधित है, गृह विभाग से इसका संबंध नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-555(श्रीमती प्रेमा चौधरी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-556(श्री ललित कुमार यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि नये मोटर व्हेकल अधिनियम, 2019 के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले राज्यवासियों से विधि के अनुसार दंड की राशि वसूल किये गये हैं ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- अस्वीकारात्मक है ।

नये मोटर व्हेकल अधिनियम, 2019 के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाली आम जनता से वसूल की गयी जुर्माने की राशि वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाय । मैंने प्रश्न किया है कि 1200 गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए क्या गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, इसमें हमने गाड़ियों के निबंधन का जिक्र किया है । माननीय मंत्री जी ने उसके आलोक में कोई उत्तर नहीं दिये ।

अध्यक्ष : वे तो बताये कि यह बात अस्वीकारात्मक है, मतलब यह बात सही नहीं है । मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : तो जो प्रश्न 1200 गाड़ी के संबंध में दिया हुआ है, वह गलत है ।

अध्यक्ष : प्रश्न का खंड-2 जो है कि राज्य के करीब 1200 से अधिक पुलिस वाहनों के कागजात नहीं हैं, इसको मंत्री जी ने अस्वीकारात्मक बताया है । मतलब उनका कहना है कि यह बात सही नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-557(श्री ललित कुमार यादव)

अध्यक्ष : इसका उत्तर दिया हुआ है । आप ऑनलाईन देखे हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : नहीं देखे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत के जफरा कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार सदर प्रखंड के प्राथमिकता सूची के क्रमांक-64 पर अंकित है, उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-46 तक की घेराबंदी हो चुकी है । मनीगाछी प्रखंड के राजे पंचायत के राजे कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार मनीगाछी प्रखंड के प्राथमिकता सूची के क्रमांक-40 पर अंकित है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-24 तक की घेराबंदी हो चुकी है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका-6.34 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधायक उससे प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, वह एक ही तरह के सभी कब्रिस्तान के संबंध में है । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जिला की जो संयुक्त समिति है डी0एम0 और एस0पी0 का, यह पांच हजार की आबादी का सदर प्रखंड का जफरा गांव है, पांच हजार की यहां हिन्दू आबादी है और 200 मात्र अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और यह मात्र पांच कठ्ठे में है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी नहीं है तो यह सेंसीटिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह

जमीन 10 कट्टे से ऊपर था, लोग उसको छांटते-छांटते पांच कट्टा कर दिये तो हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि इससे बड़ा कोई सेंसीटिव कब्रिस्तान कोई और बिहार में है, जिसकी घेराबंदी हुई हो। अगर यह सेंसीटिव है तो जिन्होंने जांच में कोताही की और सही जांच नहीं करके प्रतिवेदन दिया है तो क्या माननीय मंत्री जी उसपर कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : वो तो सेंसीटिव है, माननीय मंत्री जी ने तो बताया है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, दिक्कत यह है कि जो जवाब गया है, उसको पढ़े भी नहीं हैं और अभी सुनते भी नहीं हैं। मैंने कहा कि सेंसीटिवनेस के आधार पर सूची तैयार की गयी है। जो आपका पहला वाला है, वह आपका 64 पर अंकित है और 46 तक की घेराबंदी हो चुकी है तो बारी-बारी से न होगा और जो दूसरा है, वह क्रमांक-40 पर है और 24 तक का हो गया है और अब उसमें वह भी व्यवधान नहीं है जो सिद्दिकी साहेब क्लेरीफिकेशन चाह रहे थे, यह सेंसीटिवनेस की सूची में है, इसको विधायक योजना से कराया जा सकता है, अगर माननीय सदस्य मोस्ट सेंसीटिव मानते हैं तो ये अपने निधि का प्रयोग करके उसको करा लें, कोई रोक नहीं है।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि विधायक निधि से तो ठीक है, अगर सरकार अक्षम है...

अध्यक्ष : वह तो अंत में आता है....

श्री ललित कुमार यादव : लेकिन हम कह रहे हैं कि दरभंगा जिला में एक सेंसीटिव कब्रिस्तान है, इसलिए माननीय मंत्री जी से इस कब्रिस्तान के संबंध में कह रहे हैं कि यह क्रमांक-64 पर है और 40 तक हो गया है तो यह क्रमांक-1 पर क्यों नहीं था ?

तारांकित प्रश्न संख्या-558(श्री जय वर्धन यादव)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-559(श्री रत्नेश सादा)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है और छपा हुआ भी है।

श्री श्याम रजक, मंत्री : महोदय, 1- उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है।

2- उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है।

3- सोनवर्षा, सहरसा में मक्का आधारित उद्योग लगाने का प्रश्न है तो वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगायी जाती है तो नीति के प्रावधान के तहत सहायता दी

जाती है। इस योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्योग लगाने के लिए पैकेज दे सकते हैं।

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा और इस जवाब में भी है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 है, उसके अनुसार दो तरह से प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है तो जो मक्का है, वह खाद्य प्रसंस्करण में है और इसमें हमलोगों ने कई तरह की सबसिडी देने का काम कर रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क भूमि सम्पत्तिवर्तन पर सौ प्रतिशत की छूट है, ब्याज अनुदान पर 50 परसेंट से अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक की है, उसी तरह से कर अनुदान में एस0जी0एस0टी0 के इनपुट पर 100 प्रतिशत की अधिसीमा के अंतर्गत होगी। नियोजन खर्च सहायता, यह सहायता इ0पी0एफ0 स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत और महिलाकर्मियों के मामले में 100 प्रतिशत, पुरुषकर्मियों के मामले में अधिकतम 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाकर्मियों के लिए अधिकतम एक हजार रुपये प्रति माह होती है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत बिहार के निवासियों के कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण के प्रति कर्मियों 20 हजार रुपये दिये जाते हैं और उन्हें कम-से-कम एक वर्ष के लिए नियोजित कर दिया जाता है।

अध्यक्ष : बहुत लम्बा जवाब है, संतुष्ट रहिए।

तारांकित प्रश्न संख्या-560(डॉ० रंजू गीता)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-561(श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी)

अध्यक्ष : ऑनलाईन जवाब दिया हुआ है। माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए।

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों में यदि इकाई लगायी जाती है तो उल्लेखनीय नीति के प्रावधान के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की गई है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अबतक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 106 इकाई कार्यरत हैं। जमुई जिला में 7 इकाई को स्टेज-1 क्लीयरेंस और 2 इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन तथा 1 इकाई कार्यरत हो चुकी है।

टर्न-5/राजेश-राहुल/2.3.20

तारांकित प्रश्न संख्या: 562 (श्री नौशाद आलम)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री नौशाद जी, इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाईन दिया हुआ है, अगर उत्तर आप पढ़कर आयेंगे तो फायदा यही होगा कि अधिक प्रश्नों का निस्तारण हो पायेगा तथा अधिक सदस्य लाभान्वित हो पायेगे तथा बिहार की जनता का अधिक कल्याण होगा। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उत्तर को पढ़कर आएँ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

श्री नौशाद आलम: अध्यक्ष महोदय, अगर यह प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है और अगर यह कब्रिस्तान है तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ऐसे कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान हैं लेकिन प्राथमिकता सूची में उसे दर्ज नहीं किया गया है तो मेरा अनुरोध होगा माननीय मंत्री जी उसको कम से कम प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाय।

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप सरकार से बात करे कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में कब्रिस्तान घेराबंदी का विधायकों को दिया गया है लेकिन उसमें लगा दिया गया है लेकिन तो सिर्फ आप यह कह दीजिये कि जो सेंसेटिव है सरकार उसको कराये और जो सेंसेटिव नहीं है, अगर विधायक उसकी अनुशंसा करते हैं तो उसको विधायक कोटा से करा दें।

तारांकित प्रश्न संख्या: 563 (श्री मो0नेमतुल्लाह)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है।

खण्ड 2: उत्तर अस्वीकारात्मक है। योजना वर्ष 2017-18 के लिए प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध कुल 462 आवेदन प्राप्त हुए। योजना वर्ष 2017-18 के लिए 115 आवेदकों का जो चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया गया, शेष बचे आवेदनों में से वर्ष 2018-19 के लिए 105 आवेदकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए चयनित आवेदकों के विरुद्ध 13 लाभुकों के बीच 36 करोड़ 10 लाख रुपये का वितरण किया गया है। योजना वर्ष 2018-19 में चयनित आवेदकों के विरुद्ध 13 लाभुकों के बीच 28 लाख रुपये का वितरण किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 23 चयनित आवेदकों के बीच कुल 61 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान किया गया है, आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। जिला में

विशेष शिविर का आयोजन का कार्य निष्पादित कराकर ऋण वितरण की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री मो०नेमतुल्लाह: महोदय, देखा जाय । वर्ष 2018-19 का 100 करोड़, सरकार ने तो पैसा दे दिया, लेकिन इनके निष्क्रियता से इनके शिथिलता से डिस्ट्रिब्यूशन पूरे पैसे का नहीं हो सका, उसके बाद से फिर 2019-20 इसका पैसा पड़ा हुआ है । महोदय, इस तरह से जिला में जिस तरह से चयन होता है, जो भेजा जाता है, उसमें इनकी त्रुटि है तो क्या उसमें सुधार करने की इच्छा रखते हैं ?

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम, मंत्री: महोदय, इनका जो क्वेश्चन था

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का इतना ही कहना है कि आपने जो नीति बनायी है या सरकार की जो नीति है अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए और आपकी यह जो कमेटी है जिला स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण समिति इसकी कार्यशैली में या इसकी फंक्शनिंग के कारण जो डिले होता है या अल्पसंख्यक आवेदक सफर करते हैं वह सिर्फ कह रहे हैं कि इसको स्ट्रीमलाईन करके एक्सपेडिईट कराकर जल्दी-जल्दी निष्पादन करा दीजिये, यह पूरे बिहार का मामला है, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम, मंत्री: महोदय, इसमें सरकार गंभीर है ।

अध्यक्ष: इसमें तो माननीय सदस्य सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में सहयोग की बात कह रहे हैं, इसे जल्दी से निस्तारित करा दीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 564(श्री अभय कुमार सिन्हा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 565 (श्री शिवचन्द्र राम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला का चाँदपुरा ओ०पी० वर्तमान में किराये के मकान में कार्यरत है । भूमि चयन की कार्रवाई की जा रही है, भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् चाँदपुरा ओ०पी० एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु कार्रवाई की जायगी । वैशाली जिला का सहदेई बुजुर्ग ओ०पी० वर्तमान में प्रखंड अंचल के परिसर में पुलिस के अपने भवन में कार्यरत है, जिसमें यू०एस० आवास संख्या-3 एवं एस०एस० आवास की संख्या: 4 है । वर्तमान में उक्त दोनो ओ०पी० भवन से प्रशासनिक एवं विधि व्यवस्था का कार्य सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जाता है ।

श्री शिवचन्द्र राम: अध्यक्ष महोदय, चाँदपुरा ओ०पी० की जो स्थिति है कि जब बारिश होती है तो उसके लोग किराये का मकान भी है तो उसके जो लोग हैं, उनके पास हथियार हैं उसको ले करके दूसरे के मकान में शरण लेते हैं, तो हम माननीय मंत्री जी से जानना

चाहते हैं सरकारी जमीन के लिए, यह किराये के मकान में चल रहा है तो थाना का अपनी जमीन हो इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो इसके लिए कब कार्रवाई की गयी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने कहा कि जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है ।

श्री शिवचन्द्र राम: महोदय, चिन्हित करने के लिए कब कही गयी, हम यह जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पूछ रहे हैं कब तक ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इसको जल्दी दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 566 (श्री चंदन कुमार)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 567 (श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 568 (श्री नीरज कुमार)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । संवेदक को योजना कार्य के विरुद्ध 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध करा दी गयी है । डी0सी0 विपत्र लंबित रहने एवं द्वितीय किस्त की राशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण अवशेष राशि की निकासी नहीं की जा सकी है।

खण्ड 3: जिलाधिकारी, कटिहार द्वारा लंबित डी0सी0 विपत्रों को समायोजन हेतु महालेखाकार को समर्पित कर दिया गया है । प्रथम किस्त की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार को द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु भेजा जा चुका है, द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त होते ही कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध करा दी जायगी ।

श्री नीरज कुमार: महोदय, समय सीमा ।

अध्यक्ष: इसे शीघ्र करा दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 569 (श्रीमती गायत्री देवी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या: 570 (श्री मिथिलेश तिवारी)

अध्यक्ष: आपका भी उत्तर ऑनलाईन दिया हुआ है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: जी पढ़े हैं ।

अध्यक्ष : तो पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो मिला है वह बहुत ही अधूरा उत्तर है, मेरा प्रश्न यह है कि निम्न प्रभेद सी0ओ0एस0ई0 92423 एक प्रभेद है जो निम्न प्रभेद माना

जाता है और बी0ओ0 150 जो सामान्य श्रेणी का प्रभेद है तो सिंधवलिया चीनी मील ने पिछले तीन वर्षों से बी0ओ0 150 को रिजेक्ट की श्रेणी में डाल दिया था और उसने बड़ी ही चालाकी से 93423 के रूप में उसकी खरीद की है । ...क्रमशः...

टर्न-6/सत्येन्द्र-मुकुल/02-03-20

क्रमशः

श्री मिथिलेश तिवारी: और इसके कारण किसानों को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ चिटिंग हुई है, लेकिन जवाब में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, ये जवाब गन्ना विभाग से ही प्राप्त किया गया है जबकि जांच जिला स्तर पर करायी गयी है और जो उत्तर में डेट और पत्रांक दिया गया है वह किसी एक व्यक्ति विशेष के मामले में, लोक शिकायत के मामले में इनका उत्तर है । ये सभी किसानों के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 92423 के रूप में पिछले तीन वर्षों में जितने भी किसानों के गन्ने की खरीद हुई है, जो 150 सामान्य श्रेणी का गन्ना है, क्या सरकार तीन वर्षों का पूरा भुगतान डिफर सहित कराने का विचार रखती है । साथ ही उक्त चीनी मिल द्वारा किसानों के साथ किये गये धोखाधड़ी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाहती है?

श्री श्याम रजक,मंत्री: पटना उच्च न्यायालय में लंबित है । जबतक वहां से निष्पादित नहीं होता है लेकिन इन्होंने एक अलग सवाल भी पूछा है तो उसको हम दिखवा लेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, कौन सा मामला न्यायालय में लंबित है ? इससे संबंधित कोई मामला अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में लंबित नहीं है और इसकी जांच एस0डी0ओ0 ने की है, डी0एम0 के पास भेजा गया है कार्रवाई करने के लिए लेकिन इस प्रश्न का जवाब गन्ना विभाग से ही भेज दिया गया है डी0एम0 से नहीं मांगा गया है तो अध्यक्ष महोदय मैं आग्रह करूंगा...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप वह जो जिला प्रशासन ने जांच करायी है, उन सब जांच प्रतिवेदन को मंगा लीजिये और जो नियमानुसार कार्रवाई हो सो करिये।

तारकित प्रश्न संख्या-571(श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि बौंसी प्रखंड का मुख्य चौराहा एस0एच0 पर अवस्थित है जो भागलपुर को झारखंड राज्य के दुमका जिले से जोड़ती है। मुख्य मार्ग होने के कारण अन्य राज्यों से आने-जाने वाले वाहन इस पथ से होकर गुजरती है। बांका जिला के यातायात का संचालन आवश्यकता के अनुसार स्थानीय थाना से किया जाता है । नियमित परिचालन हेतु अकेले थाना स्तर से पुलिस गश्ती की व्यवस्था रहती है जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक स्तर के

पुलिस पदाधिकारी तथा 4 सशस्त्र बल रहते हैं जो यातायात परिचालन को नियंत्रित करते हैं। विगत दिनों ओवरलोडिंग और अवैध खनन की जांच हेतु चेकपोस्ट खुलने के कारण सभी ओवरलोडेड ट्रक झारखंड राज्य में रोक दिये गये थे जिससे जाम की अस्थायी समस्या उत्पन्न हुई थी जिसे समाप्त कर दिया गया है। कभी-कभी सड़कों पर गुजर रहे वाहनों में अचानक आयी यांत्रिक खराबी आदि के कारण भी अस्थायी रूप से जाम की समस्या होती है जिससे स्थानीय स्तर से ही समाप्त कर दिया जाता है। विशेष परिस्थिति में जिला अधिकारी द्वारा सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ड्यूटी लगायी जाती है। सड़क परिचालन नियमित रखने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं खनन पदाधिकारी द्वारा गाड़ियों से जुर्माना भी वसूल किया जाता है।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि यह जाम की समस्या निरंतर रहती है और यह एक दिन की बात नहीं है। मैं खुद उस जाम में चार घंटे फंसी हुई थी इसीलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि नो-इंट्री की जो समस्या है 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक उसके निदान हेतु स्थायी व्यवस्था किया जाय ताकि वहां के लोगों को मुश्किल न हो। मैं मंत्री जी से आग्रह यही करूंगी।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, निर्देश दे दीजिये जिला प्रशासन को इसके लिए।

तारांकित प्रश्न संख्या-572(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: सठिया गये हैं ये।

अध्यक्ष: सिद्धिकी जी की खासियत है कि ये मुखातिब भी आप ही से होते हैं और कहते भी आपको नहीं है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री: नहीं, नहीं। ज्यादा ओवरएज होने पर स्मरण शक्ति भी घट जाती है और थोड़ा दिमाग भी डिरेलमेंट में चला जाता है, इनको चेक-अप कराने की जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: आप तो किसी करम के नहीं हैं।

महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बेलसंठ प्रखंड के परसाही ग्राम कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु यह जिला स्तर पर प्राथमिकता सूची के क्रमांक 215 पर अंकित है। उक्त प्राथमिकता के क्रमांक 1 से 50 तक के कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जिसमें 38 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गयी है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की

जाती है, इसी क्रमबद्ध में घेराबंदी कराये जाने की नीति है और चूंकि ये सेन्सिटिवनेस हैं तो माननीय विधायिका अपने फंड से भी इसको करवा सकती है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 573(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधानसभा क्षेत्र सरसोपाही एवं भगवतीपुर, पण्डौल प्रखंड मुख्यालय से 20 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है। उक्त प्रखंड में ओ०पी० स्थापित करने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी से अनुशंसा की मांग की गयी है। पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 574(श्री अत्रि मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: जो भी हम छोड़े हैं जो भी माननीय सदस्य के नाम के विस्तार का जो भी अंश हमने छोड़ा है वह माननीय सदस्य की सहमति से छोड़ा है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अब शक्ति सिंह जी कमिश्नरी बनाना चाहते हैं, राजधानी का ही प्रस्ताव आना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है नालंदा, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा के लोगों के लिए पटना, मुंगेर जाने हेतु यातायात की सुगम व्यवस्था है। राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संदर्भ में नालंदा, नवादा, शेखपुरा तथा जहानाबाद को मिलाकर बिहारशरीफ को प्रमंडल बनाये जाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों सदन पटल पर रख दिये जायें। शून्यकाल।

शून्यकाल

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: आप सत्यदेव जी, सबसे पहले तो हम सभी माननीय सदस्यों का आसन की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि आज कोई कार्यस्थगन की सूचना नहीं है जिससे हम सीधे शून्यकाल पर आ रहे हैं और आप इसमें भी खड़े हैं तो एक मिनट में बोलिये क्या कहना है ?

श्री सत्यदेव राम: आज पूरे बिहार में साढ़े तीन लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक 15 दिनों से हड़ताल पर हैं महोदय और सभी सरकारी विद्यालय बंद हैं, गरीबों के बच्चों ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: श्री विजय कुमार खेमका ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मन की बात में पूर्णियां की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मलवरी/कोकून रेशम धागे से साड़ी निर्माण की चर्चा की है। मलवरी सेलिजंग यूनिट के अभाव में मलवरी की खेती प्रभावित है । अतः मैं पूर्णियां में मलवरी रोलिंग यूनिट की स्थापना करने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: श्री समीर कुमार महासेठ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला में जलस्तर 300 फीट चला गया है जबकि चापाकल का प्राक्कलन 250 फीट निश्चित है । इससे गर्मी में जहां पुराने चापाकल बेकार हो जाते हैं वहीं नये लगे या लगने वाले चापाकलों से भी कोई लाभ नहीं है । अतः नये चापाकल हेतु जलस्तर 350 फीट किया जाय ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष: श्री मो0 नवाज आलम।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

टर्न-7/मधुप-हेमंत/02.03.2020

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया थाना क्षेत्र के मणीछपरा निवासी मदन बैठा के 4 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार की हत्या दिनांक 27.02.2020 को कर दी गई । ये काफी गरीब परिवार के हैं । आश्रित को उचित मुआवजा सहित परिवार के अन्य सदस्यों को हत्यारों से सुरक्षा की माँग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बारसोई अन्तर्गत कटिहार डंडखोरा विभागीय पथ पर खाना धार पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण सरकार शीघ्र करावे ।

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार में चार लाख शिक्षक हड़ताल में हैं । पठन-पाठन का कार्य बाधित है । छात्रों की कॉपी अयोग्य कर्मचारियों द्वारा जाँच करवायी जा रही है । 500 से ज्यादा शिक्षक बर्खास्त हैं । मैं शिक्षकों की बर्खास्तगी वापस कर उनकी माँग पूरी कर हड़ताल समाप्त करवाने का आग्रह सरकार से करता हूँ ।

(वेल में व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । श्री संजय सरावगी जी, सूचना पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री संजय सरावगी, वीरेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य सात सभासदों

से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [नगर विकास विभाग]

की ओर से वक्तव्य ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत लगभग 35000 दैनिक सफाई कर्मचारी एवं दैनिक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक-31.01.2020 को समाप्त करने के निर्णयोपरान्त इन कर्मियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से राज्य भर में न केवल गंदगी का अम्बार लगा था, बल्कि इन कर्मियों के परिवारों के समक्ष भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो गयी थी । तदोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इनकी सेवा अवधि को 31 मार्च, 2020 तक ही बढ़ाया गया है । इससे इनके मन में भविष्य के लिए बेचैनी और घबराहट है ।

अतः राज्यहित में इन दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों की सेवा को स्थायी करते हुए इन्हें वेतनमान दिये जाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री श्याम रजक, मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

सर्वश्री शिचन्द्र राम, सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण

सूचना तथा उसपर सरकार [समाज कल्याण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री शिवचन्द्र राम । नहीं पढ़ना है ? (सूचना नहीं पढ़ी गयी)

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/आजाद:अंजली/02.03.2020

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या-38 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है ।

मैं मांग संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ, जिसपर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	60 मिनट
जनता दल युनाईटेड	-	51 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	40 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	19 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा	-	01 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	01 मिनट
निर्दलीय	-	04 मिनट
		<u>कुल-180 मिनट</u>

अब माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

“ग्रामीण विकास विभाग” के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम,2019 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 के उपबंध के अतिरिक्त 22,76,80,10,000/- (बाईस अरब छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख दस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री रामदेव राय : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

“इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाये । ”

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज ग्रामीण विकास विभाग से प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय बजट में की गयी मांग में 10 रूपये कटौती करने का अपना प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहता हूँ । आशा है कि पूरा सदन इसपर विचार कर मेरे कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

महोदय, माननीय मंत्री जी का नाम जैसा है, जो गांवों में भी प्रचलित होता है । जो नाम है, उसमें वे अपने माँ-बाप को कंधे पर लेकर तीर्थाटन कराया था, वही श्रवण कुमार यहां हैं मौजूद, यही हमलोग जानना चाहते हैं आज । मैं तो उसी श्रवण के रूप में देखना चाहता हूँ, चूँकि इनके जिम्मे बिहार का बहुत बड़ा कार्य है। समग्र विकास की योजना ग्रामीण विकास के लिए इनके जिम्मे सौंपा हुआ है । यानी पूरा बिहार का ये श्रवण कुमार बेटा है । लगता है कि इनके कार्यकाल में बेटा अपने दायित्व को निर्वहन करने में सफल हो सकेंगे । मगर मुझे कुछ शंका है, मुझे शंका इस बात की है महोदय, अगर बजट को आप देखेंगे, 4 साल की बजट के किताब को पढ़ने से पता चलता है कि वही लीपा-पोता किताब है, उसी शब्द को बदलकर इधर से उधर कुछ आंकड़े को बदलकर, कुछ ज्यादा दिखलाकर के सदन को गुमराह किया गया है विभाग के जरिए । मंत्री जी, इसपर जरूर ध्यान देंगे । मंत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि 90 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है । 10 प्रतिशत लोग ही शहर की ओर हैं । ज्यादा से ज्यादा 11

प्रतिशत हो सकता है, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप हमारे इस आंकड़े को देखेंगे और विचार करेंगे। महोदय, 2017-18 में जहाँ 97 अरब 17 करोड़ 48 लाख 45 हजार का था बजट, वहाँ 154 अरब हो गया और अब 155 अरब के लगभग हो गया है। मात्र 1 अरब ₹0 बढ़ाकर ये बजट को एक खिलौना बनाकर रख दिये हैं, आकर्षक खिलौना। लेकिन यह खिलौना आर्टिफिशियल है और इसको खरीदने वाले लोग कम हैं। क्योंकि इसी योजनाओं में इसी ग्रामीण विकास की योजनाओं में जीविका, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आदि संलग्न किये हुए हैं, पंचायती राज, इसमें बहुत सारे विभाग हैं, इसमें विभागों की कमी नहीं है, लगता है कि इसमें सारा विभाग ही है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, सिर्फ आप एक मनरेगा को उठाईये और आपको मालूम जरूर होगा, पिछले कई वर्षों से मनरेगा में भुगतान नहीं हुआ है, मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। लेकिन राशि की निकासी कर ली गयी। सनसनी आपके सामने में, चेयर के सामने में रखना चाहता हूँ। सिर्फ बेगूसराय एक जिला में दो प्रखंड में बलिया और बछवाड़ा में 55 अरब ₹0 का घोटाला हुआ। हुजूर, यह चिट्ठा लाया हूँ.....

अध्यक्ष : आपने अपने लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया है और 5 मिनट निकल चुका है।

श्री रामदेव राय : नहीं सर 5 मिनट नहीं निकला है, जो भी होगा, यह पोथा है, इतना बड़ा घोटाला है सर, पौधे लगे नहीं, पैसे निकल गये, मजदूरों का मजदूरी मिली नहीं, पैसे निकल गये। इतने बड़े घोटाले को पानी फेर दिया गया। जाँच करने वाले पदाधिकारी को ही दंडित किया गया कार्यपालक पदाधिकारी और लोकपाल दोनों मिलकर जाँच किये और इतने बड़े घोटाले पर आज तक सरकार की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि सरकार मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को खटायी में रखना चाहती है। उसमें भी आप महात्मा गाँधी के नाम से मनरेगा योजना चला रहे हैं। महात्मा गाँधी के नाम को भी दूषित करती है यह सरकार, इससे बड़ी बदनामी इस सरकार को और क्या हो सकती है। गाँधी के नाम पर इस योजना को गरीबों के लिए चलायी गयी थी, वह योजना गरीबों के घर तक पहुँच नहीं पाती है हुजूर, मंत्री जी मैं समझता हूँ समय रहते वहाँ के कलेक्टर से वे भी अच्छे और ईमानदार पदाधिकारी हैं, यहाँ से सेक्रेटेरियट से एक टीम बनाकर के जल्दी से जल्दी इसका जाँच कराकर के सदन के सामने रखना चाहेंगे तो मैं समझूँगा कि वही श्रवण कुमार हमारे सामने में बैठे हुए हैं। दूसरी बात प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसमें आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पैसा हम दिये और कितना पैसे खर्च किये, अभी तक मात्र 7 लाख योजना प्रतिपूर्ति करने का

लक्ष्य हमारे सामने रखा है, जिसमें हमारे ख्याल से 3 लाख योजना की ये पूर्ति किये हैं। योजना के आकार को समय पर नहीं खर्च करना भी यह एक बहुत बड़ा दोष है। मैं समझता हूँ कि योजनाओं को समय पर पूर्ति नहीं करने के लिए ईमानदार पदाधिकारी को आप निश्चित रूप से चिन्हित करें और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करें। अगर आप उन्हें दंड नहीं सकें तो आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा अवश्य दें।

महोदय, इंदिरा आवास की क्या हालात है, इंदिरा आवास की सूची में नाम डालते ही पहले ही 40 लाख रू0 एडवांस लिये जाते हैं।

..... क्रमशः

टर्न-9/शंभु/02.03.20

श्री रामदेव राय : क्रमशः.....और फिर जब-जब उन्हें किस्त मिलता है तब-तब उन्हें भुगतान करना पड़ता है। यह आप समझ लीजिए आपकी क्या हालत है। शौचालय के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति से 2 हजार रूपया लेने के बाद ही उनका नाम जोड़ा जाता है। अब बोलिये भला जो सरकार जीरो टोलरेंस की है, जो सरकार न्याय के साथ विकास करना चाहती है उस सरकार में न्याय कहां है, विकास कहां है, इस बात को आज सदन को समझना पड़ेगा। ये जो कटौती प्रस्ताव हमने रखा है, निश्चित रूप से कटौती कीजिए ताकि मंत्री जी समझें कि सदन सर्वोपरि है, कोई पदाधिकारी सर्वोपरि नहीं है। मंत्री जी, इसके अलावे भी अनेक कार्यक्रम सृजन के अनेक कार्यक्रम आपके जरिये किये जाते हैं, कहीं भी आप चलकर देख लीजिए स्कूल की कहीं चहारदीवारी बन गयी हो, कहीं पगडंडी बन गयी हो, कहीं स्कूल भवन बन गये हों आप जाकर देखिए, वृक्षारोपण की हालत देख लीजिए, चलकर देख लीजिए वृक्षारोपण की हालत क्या है? सारे पौधे सूख गये हैं और उसकी राशि निकल गयी है। मैं इसको दुबारा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ग्रामीण विकास विभाग, इतने जवाबदेह विभाग के मंत्री हैं और एक अच्छे कुशल मंत्री भी कहे जाते हैं, आपकी कुशलता पर हमें शक नहीं है, चूंकि आप रूपया का लेनदेन नहीं करते हैं, शायद नहीं करते हैं, लेकिन ये रूपया जाता कहां है? ये पैसा किसके पास जाता है? आखिर कोई तो होगा कहीं ये पैसा लेनेवाला? इतनी मोटी रकम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं ले सकता, इस सनसनीखेज को आपको उजागर करने की जरूरत है मंत्री जी, अगर आप उजागर नहीं करते हैं तो आपके घर के सामने हम आपके सामने बैठकर बिहार की जनता के सामने रखने का काम करेंगे कि जीरो टोलरेंस की सरकार रहेगी या हमलोगों की सरकार आयेगी। अब हमलोगों के सरकार की बारी है

नहीं तो चेत जाइये । इससे भला होनेवाला नहीं है । महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2016-17, 2017-17, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए भौतिक लक्ष्य इन्होंने 19.76 लाख रखे थे और 19.18 लाख की स्वीकृति दी जिसमें 7.87 लाख आवास ही पूर्ण किया गया, गौर कर लीजिए । यहां की इनकी प्रगति कहां है, इनका विकास कहां है? महोदय, तो जरूर समझेंगे तो जरूर इस बात पर अमल करें । इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व के बचे हुए वर्षों में 1.98 लाख आवासों को वर्ष 2019-20 में अब तक 68.62 करोड़ रूपये ही व्यय कराया गया है मतलब अभी 50 परसेंट पैसा इसमें बचा हुआ है । अब गौर कर लीजिए सर, पैसा भी बचा हुआ है, काम भी नहीं हुआ, बिना काम के पैसा भी गबन हो गया और सरकार को पता नहीं है अब तक यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । इसके अलावे महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रतिक्षा सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति जो भूमिविहीन हैं उनको 60 हजार रूपया दिया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक बिहार में इसकी प्रगति बिलकुल नगण्य है । अगर समय रहता तो मैं जिलावाइज आंकड़े मंत्री जी को प्रस्तुत करता, अगर कहेंगे तो मैं अपना पेपर टेबुल पर रख दूंगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, सदन पटल पर रख दीजिए और समाप्त भी कर दीजिए ।

श्री रामदेव राय : समाप्त कर देते हैं, 5 मिनट और दे दीजिए सर ।

अध्यक्ष : 5 मिनट तो नहीं हो पायेगा 1 मिनट में बात कह लीजिए ।

श्री रामदेव राय : लोहिया स्वच्छता अभियान के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ । इसके तहत अभी तक यह रिपोर्ट बोलता है, इनका प्रतिवेदन बोलता है कि हम शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लेंगे । सर, मैं उस दिन भी बताया था, माफ कर दीजिए, मैं भी हाथ उठाया। हम डर से हाथ उठा दिये कि हमारा चेयर और सरकार भी हमलोगों से नाखुश नहीं हो, लेकिन क्या है किसी गांव में चलकर हमारे मंत्रीजी देख लें, किसी माननीय सदस्य को लेकर कहीं भी शौचालय का कार्य 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पाया है । उस दिन भी मैं कहा था कि गांव की ग्रामीण महिला, गांव की महिला फिल्ड में जाकर के शौचालय जाती है और ओ0डी0एफ0 घोषित है संपूर्ण बिहार कागज पर, पूरा कागज भरा हुआ है, लेकिन गांव खाली पड़ा हुआ है और भुगतान बाकी है । सबसे बड़ी बात है कि वर्षों-वर्षों से शौचालय बना लिये हैं और उनका भुगतान अभी तक नहीं दिया जा रहा है, चूंकि वह माल नहीं दे पाते हैं । हुजूर, इधर ध्यान दिया जाय जो माल नहीं देते हैं उनको शौचालय का पेमेन्ट नहीं दिया जाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री रामदेव राय : माननीय मंत्री जी, मैं तो समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन आज जान नहीं छोड़ूंगा आपका पैसा कटौती करवाकर रहूंगा नहीं तो आप अपने को श्रवण कुमार घोषित कीजिए ।

अध्यक्ष : क्या है भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : व्यवस्था कि अव्यवस्था पर हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हमलोग एक कहानी सुना करते हैं, पढ़ा भी करते हैं श्रवण कुमार का तो बड़ा लगता है कि श्रवण कुमार कोई था, लेकिन अगर इन्हीं जैसा श्रवण कुमार होगा तो फिर आज से उस कहानी को हमलोग नहीं पढ़ेंगे ।

अध्यक्ष : श्री शिवचन्द्र राम, प्रारंभ करें । आपका समय है 12 मिनट ।

श्री शिवचन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, तृतीय अनुपूरक अनुदान मांग पर सरकार ने जो लाया है । इसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आज के जो हालात हैं, जो स्थितियां है बिहार की एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार विकास की ओर है और एक तरफ जो हमलोग फटेहाल के रूप में देख रहे हैं ।

अध्यक्ष : मतलब केवल आप श्रवण जी की मांग का विरोध करते हैं और रामदेव बाबू के कटौती प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं ?

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, रामदेव बाबू के कटौती प्रस्ताव का समर्थन कैसे नहीं करेंगे सर ।

अध्यक्ष : वही तो हम कह रहे हैं ।

श्री शिवचन्द्र राम : रामदेव बाबू का जो कटौती प्रस्ताव आया है उसका समर्थन तो हम कर ही रहे हैं । आज जो स्थिति बन गयी है इसमें ग्रामीण विकास का सबसे स्थिति बद से बदतर बनी हुई है । राज्य में ग्रामीण विकास का जो मूल बजट है वह 15669 करोड़ का था । वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं में मनरेगा में 2050 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 4950 करोड़, ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना में 418 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन में 1210 करोड़, सबके लिए आवास 5900 करोड़

क्रमशः

टर्न-10/2-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री शिवचंद्र राम : अध्यक्ष महोदय, हम लोग उम्मीद करते थे कि बिहार में जो बजट आया है और उस बजट में जितने पैसे लिए गए हैं उस पैसे के आधार पर राज्य का विकास होना चाहिए लेकिन वैसा विकास कहीं पर नहीं हो रहा है । जो आज इन्दिरा आवास की क्या हालत है । प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बिहार में स्थिति है बद से बदत्तर स्थिति बनी हुई है । सरकार बिहार में योजनाएं बनाती है

आवास योजना कि प्रत्येक पंचायत को हम 100 आवास हम देंगे लेकिन अब अध्यक्ष महोदय, हम लोग इसको देखते हैं और हम लोग भी जन प्रतिनिधि हैं कहीं भी इनका टारगेट पूरा नहीं किया जाता है और उसमें मात्र 100 का टारगेट अगर है तो मात्र 45 बनाए जाते हैं । 45 उसका बनाया जाता है और यह सब लोग जानते हैं कि आवास योजना में माल लगाओ माल पावो । हमलोग इसको देखते थे एक कवि ने कहा भी है कल चमन था आज भी सेहरा हुआ, देखते देखते ये क्या हुआ मुझको बरबादी का गम नहीं गम का बर्बादी का यह सेहरा हुआ । आज जो माल लगाओ, माल में 40 हजार रुपया से कम अध्यक्ष महोदय, जो आदमी अगर घूस देता है वही आदमी जो है कि अपना मकान लेता है और वह भी मकान अगर किसी पूरे राज्य के पंचायतों में अगर एक पंचायत में अगर 45 मकान बनाए गए वो भी पूर्ण नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 80 परसेंट ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर पूर्ण मकान नहीं बनाये गए हैं ।

(इस अवसर पर मा0 सभापति, श्री रामचंद्र सहनी ने आसन ग्रहण किया)

पैसे लेकर और वह घूस में चला जाता है और कहीं वह अपना मकान नहीं बना पाता है जिसके कारण हम चाहेंगे मंत्री जी से कि वैशाली जिला का कोई एक पंचायत को अपने से चुन लें और तीन साल का जो ये आंकड़ा दिए हैं तीन साल का इनका आंकड़ा है कि तीन साल में हम यहाँ। पर तीन वर्ष में इनका टारगेट हम लोग देखे हैं कि 20 लाख इन्दिरा आवास बन गया यानी 20 लाख बनाने का टारगेट इन्होंने दिया था क्या हुआ ? सभापति महोदय, मात्र तीन साल में मात्र अभी तक 8 लाख मकान बनाए गए हैं और उस 8 लाख मकान में हम दावे के साथ कहते हैं सभापति महोदय, उसमें से मात्र 20 परसेंट इन्दिरा आवास पूरा हुआ है बाकी अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है । पूरे बिचौलियों के साथ लूट हुआ इसमें सब पड़े हुए है। जो आवास सहायक है आवास सहायक को जो पूरी मस्ती है वो और पंचायती सेवक और प्रखंड विकास पदाधिकारी और कहां पहुंचता है उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। सभापति महोदय, आप आसन पर है आप सब कुछ समझते हैं। ऐसी परिस्थितियां बना दी है जिसके कारण आवास नहीं बन सका। जांच होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है इंदिरा आवास का मामला गरीबों से जुड़ा हुआ, सभापति महोदय, ये मामला है और ये इस मामले में कम से कम सरकार को गंभीर होना चाहिए और इसके लिए जांच कमेटी बनानी चाहिए। और वो जांच कमेटी किसी बिहार के किसी पदाधिकारी की नहीं। विधान सभा के किसी एक पंचायत को जांच करवा लिया जाए। तब आपको चलेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का सुशासन है। ये तो करेंगे नहीं। सिर्फ आंकड़ा देंगे आंकड़ा बतायेंगे कि हां हम इतना

कर दिये है ये आंकड़ा से काम नहीं है। बिहार की जनता आंकड़ा सुनते-सुनते है ऊब चुकी है जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है जो कल का जो कार्यक्रम हुआ है उसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते। भात बना रह गया, बुन्दियां बना रह गया अब कोई खाने वाला नहीं मिला तो इसलिए स्थिति बनी है। इसलिए गरीबों के लिए, गरीब का जो है अब जीविका दीदी है। जीविका दीदी में जहां जाते है माननीय मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी की बात होती है। भीड़ को जुटाने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते है और जीविका दीदी को क्या मिल रहा है उनको जो कभी स्कूल के जांच करने के लिए भेजा देते है। जांच करके विडियो साहब जब जीविका दीदी जब देते हैं तो कहते हैं कि आपको सही से जांच करना नहीं आया है। हम इसको देख लेंगे और जब ये जाते है जांच करने तो जीविका दीदी जांच कर ली तो गड़बड़ है और शिक्षा विभाग के जो डी.ओ जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विडियो साहब जाते है तो कहते हैं कि सब ठीक है तो हालात ये स्थिति बन गई है ये परिस्थिति बन गई है वही हाल है मनरेगा, मनरेगा का जो मामला है, मनरेगा का जो स्थिति बनी हुई है वह बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। सभापति महोदय, माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी के जमाने में जो ये मनरेगा का मनरेगा के गेट का निर्माण किया गया था कि 100 दिन कम से कम मजदूर को रोजगार मिले। मजदूर को रोजी रोटी मिले लेकिन आज क्या हुआ, आज जो है कि कहीं भी मनरेगा के काम में मजदूरों के साथ लूट मची हुई है लोग उसका कार्ड बनवा कर अपने घर में पॉकेट में रखे हुए है । एक भी प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरे राज्य का मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभापति महोदय, कभी इसकी जांच नहीं की और कमिशन नीचे से लेकर ऊपर तक बांधे हुए हैं और कहने का मतलब है कि 35 परसेंट कमीशन लेकर काम कराते हैं और योजना और परियोजना आ रही है हमारे नेता इसके लिए नहीं लालू जी रघुवंश बाबू को इस बात के लिए नहीं दिए थे मनरेगा उन गरीबों और यही सरकार भी कही थी दावे के साथ कही थी कि हम पलायन रोकने का काम करेंगे मजदूर हमारे बंगाल की हरियाली देते हैं, पंजाब की हरियाली देते हैं, दिल्ली की हरियाली देते हैं हम देखे थे हमारे नेता ने कहा था कि मनरेगा के मजदूरों को हम यही पर 100 दिनों का काम देंगे और इसके द्वारा अपने घर पर रुकेगा और अपने बाल बच्चों के साथ रहेगा । इन लोगों ने उनकी रोजी रोटी को भी छीनने का काम किया । आज स्थिति बन गयी है स्वच्छ मिशन भारत की । लोहिया स्वच्छता मिशन की बात आ रही है ओ.डी.एसफ. की बात की जा रही है । हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि बिहार में ओ.डी.एफ. की बात की जा रही है । फिर मैं बोल रहा हूँ

कि किसी भी पंचायत, पटना के किसी पंचायत ब्लॉक में, फुलवारी बगल में है मुख्यमंत्री जी के डेरा से मात्र तीन कि.मी. की दूरी पर है किसी एक पंचायत की जाँच करिये आपको एक भी पंचायत नहीं मिलेगा कि जहाँ पूरा ओ.डी.एफ. नहीं हुआ है । आज भी खेत में हमारी माताएं, बहने, बेटी, दीदी खेत में जा रही हैं । सड़कों पर बैठ रही है और सरकार कहती है कि ओ.डी.एफ. करा लिए हैं और उसमें भी एक टिकट पर दो खेल । अगर शौचालय में एक टिकट पर दो खेल होता है । एक अगर बना दिया ब्लू से रंग दिया और रंग कर फोटो खींचा लिया और खींचा कर दे दिया और दूसरा भाई उसको फिर हरा से रंग दिया और फिर फोटो उसको खींचवा लिया, एक टिकट पर दो खेल और उसमें भी दोनों से दो हजार उससे और दो हजार उससे, बिना दो हजार लिए हुए, उसको पैसा आप जो 12 हजार देते हैं, यह 12 हजार रुपया उसको मिल नहीं पाता है और नहीं मिलने का क्या कारण है इस पर भी बात होनी चाहिए कि यह कैसे काम होगा, गरीबों का काम कैसे चलेगा, कैसे गरीब अपना बनायेगा शौचालय ? आज भी वह खेत में जा रही हैं आज भी उनको सही जगह नहीं मिल रही है और कहते हैं कि ओ.डी.एफ. कर दिए । ओ.डी.एफ. की झूठ-मूठ बात आप करते हैं । आज हमारे गरीबों का वही हाल है । आवास योजना, वास स्थल क्रय योजना । सभापति महोदय, सरकार तब बड़ी हिम्मत से कही थी कि एस.सी.एस.टी. के लोगों को, अति पिछड़े लोगों के लिए जिसको जमीन नहीं है हम जमीन को खरीद करके हम बनाने का काम करेंगे । क्रमशः

टर्न-11/कृष्ण/02.03.2020

श्री शिवचन्द्र राम (क्रमशः) जिसको जमीन नहीं है, आप जमीन खरीद करके उस पर आवास बनाने का काम करेंगे । सरकार यह बतायेगी कि अभी तक इन्होंने कितने लोगों को जमीन खरीद कर दिया ? भीख मांगनेवाले किस जाति के लोग हैं, सड़क के किराने बसनेवाले किस जाति के लोग हैं, पोखर के भिंडा पर बसनेवाले किस जाति के लोग हैं, शहरों में नाली पर बसनेवाले किस जाति के लोग हैं, इन लोगों के क्या हालात हैं, कैसी स्थिति, परिस्थिति इनकी बनी हुई है ? इन लोगों के लिये वास स्थल क्रय योजना बनायी गयी और किसी भी गरीब को जमीन खरीद करके नहीं दिया गया और गरीब आज भी फटेहाल स्थिति में हैं । ओ0डी0एफ0 की बात करते हैं । ओ0डी0एफ0 कैसे हुआ ? जो गरीब वहां है, उसके पास जमीन नहीं है, उसने शौचालय नहीं बनाया और कैसे कहते हैं कि हमने ओ0डी0एफ0 करने का काम किया ? पूरे बिहार में कभी सरकार ने सर्वे कराने का काम किया कि वे कौन लोग हैं, जो गलियों में रहते हैं, कौन लोग हैं, जो चौक-चौराहे पर रहते हैं, कौन लोग हैं,

जो पेड़-पौधे के नीचे रहते हैं। कौन लोग हैं, जो पोखर के भिंडे पर रहते हैं। ऐसे लोगों का सरकार कभी सर्वे करायी और कहते हैं कि हम ओडीएफ करा दिये। कहते हैं कि अब हमारे लोग शौचालय में जाते हैं, खेत में नहीं जाते हैं। सभापति महोदय, ओडीएफ बेमानी है। कहने का मतलब कि ऐसा कहीं नहीं किया गया।

दूसरी बात एससी एसटी से जुड़ा हुआ मामला था। वास भूमि का मामला था। यह दलित से जुड़ा हुआ मामला था। सभापति महोदय, वर्ष 2020 में 50 करोड़ का प्रबंध किया गया था पैसे का, वर्ष 19-20 में 50 करोड़ रूपये का प्रबंध किया गया था कि जमीन खरीद कर देंगे। अभी तक मात्र 3 करोड़ रूपया खर्च किया गया है।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य अब आप समाप्त कीजिये।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, मात्र 3 करोड़ यहां पर राशि खर्च की गयी है। सरकार गरीबों की बात कर रही है। सरकार ऐसे गरीब के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। सभापति महोदय, एक कहावत है कि -

“गरीब सताये तीन गये, धन, धर्म और वंश।

न मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस।”

एक मिनट। एससीएसटी के लिये जो परिस्थिति बनी है, एससीएसटी के लिये 20 परसेंट राशि, चाहे जिस चीज में हो, उस पर सरकार को खर्च करने की बात है, लेकिन सरकार की कोई चेष्टा नहीं रही और न कभी जांच होती है। हमलोग जब बात करते हैं तो पदाधिकारी कहते हैं कि हमको चिट्ठी नहीं आई है और यहां से चिट्ठी जा रही है कि नहीं जा रही है, वह तो हम नहीं समझ रहे हैं लेकिन वह कहता है कि हमारे पास अभी कोई चिट्ठी नहीं आई है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र का मामला है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन ब्लॉक हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को लिखकर देने का काम किया है। विधान सभा में मैंने सवाल भी उठाया है। हमारे बीडीओ साहब को रहने के लिये आवास नहीं है, वहां के कर्मचारी को काम करने के लिये बैठने की जगह नहीं है, आवास नहीं है और देसरी प्रखंड है, राजा पाकड़ प्रखंड है, सहदेव बुजुर्ग प्रखंड है, तमाम प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना में रह रहे हैं। जनता जब जाती है तो पता चलता है कि बीडीओ साहब जाम में फंसे हुये हैं। सभापति महोदय, हम जानना चाहते हैं कि सरकार गरीबों के प्रति काम करना चाहती है, गरीबों को सम्मान देना चाहते हैं तो भाषण नहीं दें, कम से कम राशन देने का उपाय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, विकास की सवारी, सबकी हिस्सेदारी।

महोदय, 2005 के बाद बिहार का जो विकास हुआ है, किसी भी क्षेत्र में क्या उसमें पक्ष और विपक्ष के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है ? इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार में विकास की जो लकीर खींची है । इसीलिये विकास की सवारी, सबकी हिस्सेदारी । सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को हिस्सेदारी मिली है नीतीश कुमार के राज में ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसमें पूरे बिहार के ग्रामीणों का कल्याण होता है, चाहे वह इन्दिरा आवास की योजना हो, चाहे वह मनरेगा की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री मरम्मत योजना हो, चाहे इन्दिरा आवास सहायक की बहाली की योजना हो, ग्रामीण से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं, वह ग्रामीण विकास विभाग से होती हैं। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है तो वह प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां से होती है । मैं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग की स्कीम मद में 2020-21 में 15,529.88 करोड़ प्रधान मंत्री आवास योजना में, 2016-17, 2017-18 एवं 2019-20 के लिये भौतिक लक्ष्य 19.96 लाख की योजना है । महोदय, अब तक 19.18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभा मिला है। इस मद में 14,713.12 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं और 7 लाख परिवारों का आवास पूर्ण कराया गया है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व के वर्षों में 2005 से पहले जो इन्दिरा आवास बचे हुये थे, उसमें 1.98 लाख आवास को पूर्ण कराया गया है 2019-20 में, जिस पर 68.62 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है ।

महोदय, मुख्य मंत्री क्रय योजना । बसावटहीन परिवार को घर बनाने के लिये जमीन उपलब्ध नहीं थी, उनके लिये 3 डिसमिल जमीन की व्यवस्था की गयी थी । लेकिन जब सरकारी जमीन नहीं मिलने लगी तो भूमिहीन परिवारों को क्रय कर के घर बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 हजार रूपया प्रति परिवार को देने का लक्ष्य है ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना । पूरे बिहार में बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 की बात चलती थी, बी0पी0एल0 के जो परिवार थे, उसी परिवार को वृद्धा पेंशन मिलता था । लेकिन 2018 में जब हमलोगों ने पूरे बिहार का भ्रमण किया तो एक ही समस्या सामने आयी कि जो गरीब परिवार बी0पी0एल0 से छूटा हुआ था, जिनको वृद्धा पेंशन और इन्दिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा था । महोदय, हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार के कोष से, अपने कोष से मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना लाकर आज पूरे बिहार में बी0पी0एल0 हो, ए0पी0एल0 परिवार हो, सबको मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन का लाभ मिल रहा है ।

महादेय, मैं कहना चाहूंगा कि 2019-20 में फरवरी, 20 तक 26.12 लाख परिवारों को मनरेगा का काम दिया गया है और मानव दिवस 10.43 करोड़ जिसमें 2 लाख 664.445 करोड़ रूपया व्यय किया गया है। जीविका परियोजना में 9.15 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है पूरे बिहार में, जिसमें 105 करोड़ से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। महोदय, 2019-20 में 85 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और 3200 ग्राम्य संगठनों का गठन किया गया है।

क्रमशः

टर्न-12/अंजनी/02.03.2020

श्री रत्नेश सादा : (क्रमशः) : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से 22.35 लाख सदस्यों को आच्छादित किया गया है। महोदय, गरीब-गुरबा लोगों के रोजगार के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन और गाय पालन इत्यादि योजना लागू करके बिहार में जितने भी गरीब हों या किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, सबको मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन देकर के उनके परिवारों को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने बहुत हद तक कार्रवाई की है। महोदय, कौशिक, जो बेरोजगार थे, उनको रोजगार दिलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कोशी प्रमंडल के सुपौल में कौशिक दुग्ध उत्पादन केन्द्र का स्थापना किया और उस दुग्ध उत्पादन स्थापना के अंतर्गत 291 दुग्ध संग्रह केन्द्र स्थापित किया गया है, जिसमें 291 युवक दुग्ध संग्रह करके अपने परिवार का जीवन-यापन करेगा। महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि आनेवाले समय में जो ग्रामीण विकास विभाग है, वह आम जन के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं महोदय। हमारे भाई शिवचन्द्र राम जी बोल रहे थे कि कितने परिवार को क्रय करके जमीन दिया गया है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी तो क्रय करके तीन डिसमिल जमीन देने हेतु 60,000 की व्यवस्था की लेकिन आपके राज में कितने महादलितों को, कितने दलितों को, कितने अल्पसंख्यकों को, कितने अतिपिछड़ों को काम दिये। हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने और ग्रामीण विकास विभाग ने प्रत्येक पंचायत में बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना लागू किया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए तीन गाड़ी की व्यवस्था, जिसमें कि 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था है और दो अतिपिछड़ा बेरोजगार युवकों के लिए परिवहन की व्यवस्था की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके राज में कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया गया था, आपके राज में कितने परिवार को तीन डिसमिल जमीन दिया गया था, आपके राज में कितने परिवार को पशुपालन के

लिए व्यवस्था किया गया था, आपके राज में कितने परिवार के बेरोजगार युवकों को दुग्ध उत्पादन केन्द्र खोला गया था ? मैं पूछना चाहता हूँ भाई शिवचन्द्र राम जी से, आपके राज में केवल एक ही उद्योग था लूट का, नरसंहार का लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के राज में न्याय के साथ सुशासन का राज स्थापित किया गया है । मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, रामदेव बाबू अपनी बात को रख रहे थे बड़ी तत्परता के साथ और सदन के पुराने सदस्य को हमलोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, श्रवण बाबू के विषय में भी रख रहे थे, हमलोग उनकी बातों को सुन रहे थे और हमलोग रामदेव बाबू से सीखने का भी प्रयास करते हैं । लेकिन आज मुझे ताज्जुब हुआ कि सदन के अन्दर सही-सही बात रखने में आप किस दबाव में अपने गठबंधन के साथियों का किस तरह का दबाव अनुभव कर रहे थे, यह तो रामदेव बाबू बेहतर बतायेंगे और मेरे मन का भाव हो रहा है कि जब उनको बात रखना हो तो जरा जरूर शेर करने का प्रयास करेंगे । आजकल सुने हैं कि यात्रा से बेरोजगारी दूर हो रही है और यात्रा से बेरोजगारी दूर हो रही है तो जिला में सुनने आया है कि गया और मोतिहारी में कि अब सभी लोग कलक्टर हो गये और जो बचे-खुचे थे, वे सभी एस0पी0 हो गये । अब आप ही बतलाईए कि जब 2005 की बात हमलोग करते हैं तो उन्हें मिर्ची लगती है, दायीं तरफ परिवार प्रेमी लोग बैठे हुए हैं और बायीं तरफ बिहार प्रेमी लोग बैठे हुए हैं । तो जब 2005 की बात आती है तो बड़ी मिर्ची लगती है तो कुछ काम ऐसा कर लिये होते, आज ऑरिजनल नेता प्रतिपक्ष श्री सिद्धिकी साहेब नहीं हैं, हम उनको ऑरिजनल नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, बाकी जो बैठे हुए हैं, वे परिवारवादी नेता प्रतिपक्ष हैं । तो ऑरिजनल नेता प्रतिपक्ष का भाषण 28 तारीख का सुनेंगे तो 13 बार स्वयं उन्होंने 2004-05 की चर्चा इसी सदन के अन्दर की है जो सदन के पटल पर उनका भाषण है । मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना डर क्यों लगता है और दुनिया के अन्दर हर चीज सापेक्ष है । आपने अगर 15 साल राज किया है तो हमको भी जनता ने 15 साल का मौका दिया है तो तुलना तो होगी ही हुजूर और लोग तो तुलनात्मक बात करेंगे ही कि 15 साल में आपने क्या-क्या किया और 15 साल में हमने क्या-क्या किया और आप जान लीजिए कि 1990 से 2005 तक इस देश के कई राज्यों में बहुत तेजी से विकास किया है और बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि बिहार उस विकास में क्यों पिछड़ गया और आप अभी उस व्यक्ति को ब्लेम करते हैं कि जो दिन-रात बिहार की चिन्ता करता है, बिहार के लिए सोचता है, आप उसकी बात करते हैं । मोतिहारी

में जाकर बोल रहे थे, हम तो आपको बताना चाहते हैं कि मोती झील की चर्चा वे कर रहे थे मोतिहारी में, तो मोती झील क्या इधर वर्ष 2005 के बाद बनाया गया है क्या ? हुजूर, आप तो वहीं से आते हैं, हमको तो लगता है कि यह ईश्वर प्रदत्त झील है और पता नहीं कब से वह झील है । तो वर्ष 1990 से 2005 तक जब आप शासन में थे तो जरा मोती झील की चिन्ता कर लिये होते तो आज लाखों-लाख पर्यटक वहां पहुंच रहे होते और आपने क्या किया, यह बात सदन को बताने की आवश्यकता नहीं है । आप जब तक राज किये तो इस राज्य की जनता की एवरेज आमदनी 8 हजार रूपया थी और अभी 30 हजार रूपया है । वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक 8000 से 30 हजार रूपया आमदनी बढ़ गयी ।

(व्यवधान)

हुजूर, जब आज सबेरे मैं हाउस में आया तो न जाने कितने घोटालेबाज आज बैठे हुए थे टोपी लगाकर, बाद में लगता है कि उनको कोई समझाया कि आप अपने आप में क्यों घोटाला बनकर बैठे हुए हैं सदन में तो धीरे-धीरे टोपी उतारना शुरू किये और एक सदस्य तो टोपी पर टोपी लगाये हुए थे । ये लोग तो 15 साल टोपी पहनाने का ही काम किये । समय बहुत कम है और कहना बहुत है ।

(व्यवधान)

इस बिहार के संवेदनशील मुखिया लगातार बिहार की चिन्ता कर रहे हैं और लगातार बिहार के विकास के लिए अनवरत काम कर रहे हैं । इसमें आपको किसी प्रकार की कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

आप बैठ जाइए । आप ललित भाई को टोपी मत पहनाईए, वे हमारे जिला से आते हैं । वे जीवन भर टोपी पहनाने का काम किये हैं, उनको मत पहनाईए । वे मेरे जिला से आते हैं । जरा आप सुन लीजिए, आप बैठ जाइए । आप बराबर बोलते रहते हैं, हमलोग भी आपसे सीखते हैं । आप बैठ जाइए न । आप अपने समय का सदुपयोग कीजियेगा, आप कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं, आप तीक्ष्ण बुद्धि के लोग हैं तो अपने समय का सदुपयोग कीजियेगा ।

...क्रमशः.....

टर्न:13/राजेश-राहुल/02.03.20

श्री जिवेश कुमार, क्रमशः जरा हम याद दिला दें हुजूर

(व्यवधान)

अरे भाई, बैठिये न, आप ही की बात कह रहा हूँ महोदय कि 2005 के पहले हुजूर हाथ में मोबाईल ले करके और जनरेटर वाले के पास जाकर मोबाइल जब डिस्चार्ज

होता था, तो 2005 तक जनरेटर वाले को 5 रुपया देकर कहते थे, जनरेटर वाले बाबू जरा जनरेटर चला दो, करना क्या है ? तो मोबाइल चार्ज करना है । अब बताइए इनकी स्थिति इतनी विकट रही है और ये भूत-पिशाच की बात करने वाले लोग हैं । अब मुख्यमंत्री जी ने बिहार से सब भूत भगा दिए हैं लालटेन सहित, अब लालटेन की आवश्यकता नहीं है हुजूर और जान लिया जाए कि इनके जमाने में 24 लाख लोग बिहार में बिजली जलाते थे, अभी एक करोड़ 58 लाख लोग, इस बिहार के सभी लोगों के पास बिजली पहुंच चुकी है हुजूर, सब लोग बिजली जला रहे हैं हुजूर और तो और अब इन्सान तो इन्सान, खेत को भी बिजली देने जा रही है नीतीश सरकार, चिन्ता मत कीजिए और किसानों के लिए बतौलेबाजी करने वाले लोग 15 साल का रिकॉर्ड खोलें क्या ? महोदय, हमारी सरकार 75 पैसे पर यूनिट सिंचाई के लिए बिजली देगी और आप मुगालते में मत रहियेगा । लोकसभा चुनाव के पहले भी एक यात्रा निकाले थे, उस यात्रा का नाम था संविधान बचाओ यात्रा । अब उस शहर में जितने लोग उनको सुनने आए, उतने वोट नहीं मिले बहुत शहरों में आपको । पूछियेगा, तो उदाहरण दे देंगे हम । फिर खड़े हो जाइएगा और दो जिला में अभी गए हैं, उस पर मत जाइएगा, उनको सुनने वाले लोग इसलिए आते हैं, देखने आते हैं कि 28 साल की उम्र में 54 प्रोपर्टी आखिर कैसे बना लिया यह आदमी, कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, ये देखने के लिए लोग आते हैं, उसको सुनने नहीं आते हैं और जान लीजिए लेकिन एक गलती हुई है सत्ता पक्ष से, हम अपनी सरकार से आग्रह करेंगे, आज मुख्यमंत्री जी होते, तो हम कहते कि आपने प्राइमरी एजुकेशन में 99 परसेंट से उपर लोगों का दाखिला करा दिया, आज बिहार के कोने-कोने का बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन 9वां क्लास में कुछ ड्राप आउट होते जा रहे हैं और उसी में से एक ड्राप आउट आज हमारे सदन के अन्दर नेता के रूप में बैठे हुए हैं, हम लोग अगर ड्राप आउट सुधारे होते, तो हम लोगों की यह भूल आज कम से कम, इस पर चिन्ता करनी चाहिए और चिन्तन करना चाहिए और बड़ा अच्छा लग रहा है हुजूर, अभी अच्छा भी लग रहा है कि 9वां पास आदमी कम से कम बी0ए0 पास की चिन्ता तो कर रहा है कि उनको रोजगार कैसे मिले और जिसने रोजगार का शोषण किया, तो इनके जमाने में बिहार में जितना टोटल इम्प्लाय थे, आज उससे ज्यादा हमारी बेटियां नौकरी कर रही हैं इस बिहार में । जान लीजिए जरा आपके समय में बिहार में जितना इम्प्लाय था, आज उससे ज्यादा तो बेटियां इस बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में आज नौकरी कर रही हैं । आप आज बहुत मूड में हैं और उसके बाद आप जानिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जब मौका मिला, तो आप चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और इनके नेता बता रहे थे कि आस्ट्रेलिया में शेफर्ड विश्वविद्यालय खुला हुआ है, तो क्या आस्ट्रेलिया का कुछ नया

चीज लाये हो तुम 1990 से लेकर 2005 तक, चरवाहा विद्यालय मिला आपको और अपने ही समय में चरवाहा विद्यालय में ताला लगा लिये और कई और सदस्य उठ कर खड़ा होते हैं और बी0पी0एस0सी में डॉक्टर खोजते हैं, आपने बनाया चरवाहा और खोजिएगा डॉक्टर, ये कमाल की बात करते हैं, रोपिएगा नीम और उसमें खोजिएगा अंगूर, कमाल की बात करते हैं और जब आपको मौका मिला, तो लाठी में तेल पिला रहे थे और हम लोग तो कलम में स्याही भरने का काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी बनाएंगे, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो डॉक्टर भी बनाएंगे और आपको सभी जगह डॉक्टर भी देंगे और आप जान लीजिए रामदेव बाबू चिन्ता कर रहे थे, रामदेव बाबू की चिन्ता जायज थी कि बिहार में केवल 7 लाख 19 हजार लोगों को आवास मिला है, तो रामदेव बाबू निश्चित रहिये, बिहार की संवेदनशील सरकार 2020 से 2022 आते-आते 19 लाख लोग जिनको चिन्हित कर लिया गया है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना आच्छादित करा देंगे और शौचालय की बात करने वाले लोग, आपको तो बुद्धि ही नहीं आई कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, नहीं तो क्या 15 साल कम थी ? 15 साल में तो आप चाहते, तो हर घर में शौचालय बना देते, आपको तो ये बुद्धि ही नहीं आई लेकिन आज जिसको ये बुद्धि आई है, जो उस काम को कर रहा है, आप उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि 2 हजार रुपया शौचालय में लिया जाता है और 10 से 20 हजार रुपया लिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो मैं उनको चुनौती देकर कहता हूँ कि बिहार सरकार ने नियम ला दिया है, आपको भी मौका मिलेगा, 1 हजार रुपया से 10 हजार रुपया कमाने का, उस भ्रष्टाचारी को पकड़वाकर जेल भिजवा दीजिए, केवल सदन में आकर बोलने का काम मत करिए और अन्त में हुजूर एक मिनट बोलने के लिए दिया जाए हुजूर, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री परिवहन योजना में जो मुख्यमंत्री जी ने एस0सी0, एस0टी0 हेतु एक पंचायत में तीन गाड़ी और अति पिछड़ा के लिए दो गाड़ियां दी हैं, उसमें मैं निवेदन करूंगा कि गरीब पिछड़ा, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और पिछड़े समाज के लोग और स्वर्ण को भी एक-एक गाड़ी दे दें, उससे कुछ घटने वाला नहीं है, बिहार में एक अच्छा मैसेज जायेगा कि अरे गरीब तो गरीब है, उसमें कोई विभेद उत्पन्न मत कीजिए, हम एक आरजू, विनती करते हुए और श्रवण बाबू को बधाई देते हुए आपके नेतृत्व में जानदार, शानदार काम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है और यहां सदन में कटौती प्रस्ताव को लेकर ये कुछ भी बोले, बाद में तो ये लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, इस बात के लिए मैं प्रतिपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद देते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम

देते हुए तथा जाले विधान सभा की महान जनता का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद ।

श्री रामानुज प्रसाद: सभापति महोदय, आज हम लोग तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, विपक्ष की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ । सभापति महोदय, वैसे अनुपूरक बजट में सभी विषय और सभी आए हुए विभाग हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी का व्यवस्था हुआ कि गिलोटिन करके आज ग्रामीण विकास विभाग ही रहेगा लेकिन चर्चा हम लोग आवश्यकता के हिसाब से करेंगे । सभापति महोदय, मैं जब यह देख रहा था और जब तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, सरकार के द्वारा लाये गए बजट का, अनुदान की मांग का, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण का, तो तथ्य जो सामने आ रहे थे छन के, जो हमने देखा आंकड़ों की जुगलहरी के सिवा और कुछ नहीं था । मुझे तो पढ़ने के बाद यहां बोलने आने से पहले ये तय करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि मैं बोलने जा रहा हूँ बिहार के विकास पर, देश के विकास की बात पर, किस इंडिया की बात करने जा रहा हूँ, क्या ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के मिशन और विजन इंडिया 20-20 का, क्या गांधी जी के सपनों का भारत और बिहार का, क्या अम्बेडकर जी के सपनों, लोहिया के सपनों से बनने वाला भारत और बिहार का, गांधी जी के सपनों के अनुरूप तैयार किए जा रहे भारत का ?

क्रमशः

टर्न-14/सत्येन्द्र-मुकुल/02-03-20

क्रमशः

श्री रामानुज प्रसाद: आज नेता सदन को जो हमने देखा दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करते हुए हमने देखा है, यहां जेटली जी की मूर्ति लगाते हुए, वाजपेयी की मूर्ति लगाते हुए और यहां बैठे हैं ग्रामीण विकास मंत्री, हम सब लोग पहले से भले कहते रहे, नीतीश जी कहें, श्रवण कुमार जी कहें कि हम समाजवादी धारा के निकले हुए लोग हैं। श्रवण जी से तो मैं पार्टिकुलरली जानना चाहता हूँ कि आप जॉर्ज के करीबी लोग रहे हैं। अब हम किस बिहार में बोलने जा रहे हैं, किस ग्रामीण व्यवस्था पर बोलने जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय के सपनों वाले भारत और नाथुराम गोडसे वाला बिहार, बोलिये श्रवण कुमार जी कि जॉर्ज के सपनों का भारत, वह जॉर्ज जिसको नीतीश जी ने मारा नहीं था बल्कि सारी दुर्गति कर दी थी। हमलोगों को भी उनके साथ थोड़े दिनों के लिए काम करने का मौका मिला, सोशलिस्ट में रहने का

मौका मिला, काम करने का मौका मिला, पूरे देश की राजनीति को डायलूट करने वाला व्यक्ति आज अपने को सोशलिस्ट कह रहा है, आज अपने को सोशलिस्ट कह रहा है जो दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाता है क्या है बिहार में उनका योगदान, अरूण जेटली का योगदान। अब मैं ग्रामीण विकास पर आ रहा हूँ आप कलेजा रखिये न अभी सुन रहे थे न आप, अरे कलेजा मजबूत करिये, मैं आपके विभाग पर भी बोलूंगा कलेजा मजबूत करिये। मैं श्रवण जी से जानना चाहता हूँ कि श्रवण जी आप भी उन बड़े भाईयों के साथ काम किया है हमलोगों को जॉर्ज साहब से मिलने वाला आशीर्वाद के लिए, आपको भी कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और आपने एक बार मुंह नहीं खोला कि जॉर्ज साहब की भी मूर्ति लगे, कैसा बिहार बन रहा है, कैसे डायलूट हो रहा पोलिटिक्स और बात कर रहें हैं आप अभी लंबा-लंबा भाषण हो रहा था, कल भी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, नीचे से ज्यादा मंच पर लोग थे, चेहरा मैं देख रहा था, मैं चेहरा देख रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी वह जो कलर ग्लास के बाद भी उनके चेहरे पर जो शिकन था, वह परिलक्षित हो रहा था, कौन आयेगा, क्यों आयेगा, क्यों इस बिहार में आयेगा, कौन गरीब, कौन अति पिछड़ा, कौन महादलित जिसके हक मारे जा रहे हैं, जिस देश में आप मुंह बंद कर के बैठे हैं हमने कभी कहा था इसी सदन में सभापति महोदय कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले गेम चेंजर कहलाते थे, बाद में नेम चेंजर बने, उसके बाद इशू चेंजर बने। आज हम उनको इशू स्नैचर कह सकते हैं वे इश्यू स्नैच में माहिर हैं, यहां भी नीतीश जी कहीं होंगे, कहते हैं आप उस दिन बोल रहे थे कि मैं अपने कक्ष में बैठकर सुनता हूँ अगर आप सुन रहे हों तो आप जवाब देंगे इस बात का कि आप इशू स्नैचर साहब वहां भी फेल कर गये, यहां भी फेल कर गये और आज देश देख रहा है मांग रहा है आपको सुनना चाहता है आपका दोमुहापन, ये बातें आपकी होती रही है जब आपके लोग आपसे पूछते हैं, जब पी0के0 पूछता है नीतीश जी बतायें जो आपने बातें करीं थी पवन वर्मा कहते आप कहते हो कि हम अमित शाह के कहने पर आपको रख लिया था, पवन वर्मा को कहते हो कि आप हमारी पैदाईश नहीं जानते हैं हमारी पार्टी का तो नरेन्द्र मोदी जी तो जानते हैं न, वह तो आपका टेस्ट करवा रहे थे, पवन वर्मा नहीं जानता उसको निकाल कर फेंक दिया, पी0के0 को आप निकाल कर फेंक दिया लेकिन इसका जवाब देना होगा। आप निकाल कर फेंक सकते हो लेकिन ये देश मांग रहा है, मैं लाया हूँ बिहार में छपने वाले अखबारों को, मैं हिन्दुस्तान को नीतीस्तान कहता हूँ, प्रभात खबर को नीतीश खबर कहता हूँ, मैंने कुछ अखबारें लायी हैं जो बिहार से बाहर छपा करती है और उसका रिपोर्टें उसमें जो छपने वाला जो सम्पादकीय हैं, कहा है लोगों ने आपने कलाबाजी की है, क्या कलाबाजी की है आपने एन0पी0आर0 कहा, आपने कहा कि हम लाये हैं आनन फानन में, आप कहते

कि बिहार में अलग से बिहार के लोगों को गिनेंगे, अगर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हो, प्रस्ताव तो आपने भेजा था बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पर भी ,पहले भी गया था जातीय जनगणना पर, उसी तरह से प्रस्ताव के जवाब नहीं आयेंगे। आप यहीं पटना यूनिवर्सिटी में सामने प्रस्ताव रखते हो और प्रधानमंत्री जी मुंह फेर लेते हैं आपके प्रस्ताव का जवाब देने में, मैं नहीं समझता हूँ कि वह जरूरत महसूस करते हैं क्योंकि आप पिछलग्गू बने हो, सब को निकाल दोगे, सब को डांट दोगे, पी0के0 कह रहा है कि आप पिछलग्गू नीतीश को हम नहीं देखना चाहते, हम भी नहीं देखना चाहते हैं । हम चाहते थे कि हमारा नीतीश कुमार हमलोगों का, हमारे नेता प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हमलोगों ने कहा था हमारे नेता हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि गार्ड की कुर्सी पर बैठायेंगे, झंडी देखायेगा तो देश चलेगा और आज आप कहां बैठे हैं, कहां बेटे हैं आप और बात कर रहे हैं, आप में हिम्मत है आज देश मांग रहा है देश जवाब मांग रहा है, आप सी0ए0ए0 पर प्रस्ताव लाओ सदन में, दिया है समर्थन तो यहां आप ले आओ यहां प्रस्ताव हम सब मिलकर उसको पास करें । आज देश जल रहा है, पूरा दिल्ली जल रहा है, एक अखबार का, लोकमत है दक्षिण भारत में छपता है,उसमें क्या लिखा है। ये मैं बताऊंगा, अभी एक बात उद्धृत करना चाहता हूँ, आप हिन्दुस्तान को नीतीस्तान बना सकते हो लेकिन हिन्दुस्तान टाइम्स लिखता है उसने लिखा है- **The Real worry is that the on going violence may be a trailer at it may soon spread elsewhere.** आज जयपुर जल रहा है, दिल्ली के बाद जयपुर में आग लगा है, कल बिहार में आग लगेगा आज हमने देखा सहरसा में, गोपालगंज में मैं आते समय न्यूज देख रहा था आपने चालाकी से ग्लोटिन कर दिया और सारे मुद्दे को ग्रामीण विकास पर डाल दिया, ग्रामीण विकास पर भी बोलूंगा लेकिन ये भी बोलना है आपने इसको गिलोट किया है, इसी में गृह विभाग भी आयेगा, इसी में पोलिटिकल ऐफेयर्स आयेगा, नीतीश जी से जवाब मांग रहा है आपने उस दिन सदन को मिसलिड किया, कहा वह न्यायालय में लंबित है सब जूडिस है। अरे सब ज्यूडिस है यह तो सारा दुनिया जान रहा है, सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है, सारे लोग जान रहे हैं आप इस बात का ध्यान रख लें कि जो कानून है वह मामले का निपटारा कर सकता है दिलों को जोड़ नहीं सकता, अगर कानून में वह जयश्रीराम वाले को मंदिर दे दिया लेकिन इन लोगों के दिल टूट गये आप अगर कह रहे हैं तो देश का दिल टूटा है, संविधान आज खत्म हो गया है । आज अगर आप कह रहे हैं तो आप इस बात पर कलेजा मजबूत रखिये, प्रमोद जी कलेजा मजबूत रखिये, मैं बारी बारी से आ रहा हूँ सभापति महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ नीतीश जी से कि नीतीश जी सारे मामले का कोर्ट हैज मैनुडेटरी पावर सेटल्ड, द ज्यूडिसियल डिस्प्यूट ऐनी इलीगल ऐक्सन ऑफ द परसन ऑर द

सोसाईटी, बट पोलिटिकल डिसेजन ऑलवेज टेकन वाई द पोलिटिकल परसन। ये जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है वह देश चलायेगा, वह समाज को जोड़ेगा । आप कहते हो कि कानून के ये में है और जहां से बचकर सस्ती लोकप्रियता ले सकते हैं इसी को झट से आपने कह दिया, आप कहो सी0ए0ए0 पर हिम्मत है, अगर आप कह रहे हो कि हम ये हैं, हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार नहीं पिछलग्गू सरकार बने बैठे हो, पिछलग्गू सरकार हो, अगर डबल इंजन होता आपके इंजन में भी पावर है तो आप अपने विचारधारा को डिमोलिस नहीं होने दो थोड़े से भी, आपने लोहिया का नाम लिया है जार्ज कहा करते थे कभी हमने कहा कि जार्ज साहब के विषय में जब नीतीश जी उनको नागपुर में लेकर चले गये थे, जब पूना के आर0एस0एस0 के बैठक में लेकर चले गये, हमने कहा कि जार्ज क्लिड, इसी सभा में शरद जी और सभी लोग उपस्थित थे, मधुलिमय जी भी थे लोगों ने मेरा पीठ ठोका और कहा कि गो हैड, तुमने सही कहने का काम किया लेकिन आज मैं कह रहा हूँ जार्ज नीतीश क्लिड जार्ज इसीलिए शर्म से नहीं आ रहे हो, आप जार्ज की मूर्ति नहीं लगा रहे हो, श्रवण जी आप उनकी मूर्ति लगाने काम करिये आपको बहुत प्यार मिला है, हमने देखा है हम उस दौर में थे राजनीति में, आप ये करने का काम करिये। अब मैं आता हूँ बिहार में भी विकास की बात करें。(क्रमशः)

टर्न-15/मधुप-हेमंत/02.03.2020

...क्रमशः...

डॉ0 रामानुज प्रसाद : हम अगर बात करें, हम अगर बिहार में विकास की बात करें, चलिए गोडसे के सपने का ही भारत बनाने वाले के बीच आप अगर पिछलग्गू हैं, गोडसे के सपनों का, दीनदयाल उपाध्याय का, बंच ऑफ थॉट का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने वाले का आप पिछलग्गू बनकर रहना चाहते हो, तो रहो लेकिन बिहार की 12 करोड़ जनता आपसे जवाब चाहती है । आप कहते हो कि अमित शाह के कहने पर हमने आपको रख लिया तो मोहन भागवत के कहने से बिहार चला रहे हो, मोहन भागवत के कहने से ! नहीं चलेगा । बिहार समाजवादियों की धरती है, यह कर्पूरी ठाकुर की धरती है, यह लोहिया की कर्मभूमि है, यह नहीं चलने वाला है । जितने दिन आँख में धूल झोंक लो नीतीश कुमार, इतिहास आपको माफ नहीं करने वाला है ।

मैं कहना चाहता हूँ कि आप मार्केटिंग कभी-कभी करते हैं, आप भित्तिहरबा जाते हैं, आप मोतिहारी जाते हैं, आप भंजाते हैं गाँधी के नाम को । लेकिन अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप अभी जो काम कर रहे हैं, आप जिस सेट-अप में काम रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो चारो तरफ जो यह है, ग्रामीण

विकास विभाग की जो हालत है, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष के भी हमारे साथी हैं, सभी यहाँ विधायक बैठे हैं, अपने-अपने सीने पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या झेलना पड़ता है आपको। क्या हम सबको नहीं झेलना पड़ता है ? आम लोगों के बीच, सटरडे-संडे को हम मालिकों के बीच में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, उसमें जो 100 लोग अगर आते हैं तो 100 लोगों में से 50 से ज्यादा लोगों की समस्या ग्रामीण विकास से जुड़ी होती है। वे इंदिरा आवास के लिए रो रहे होते हैं, वे वृद्धा पेंशन के लिए रो रहे होते हैं, वे विधवा पेंशन के लिए रो रहे होते हैं। जो अराजक स्थिति बनी हुई है, जो अराजक स्थिति प्रखंडों में बनी हुई है, आप कहने के लिए बात करते हैं, हमें तो लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल वाला सिर्फ विभाग रह गया है। आप कहते हैं, आप होर्डिंग लगवाते हैं, बोर्ड लगवाते हैं गरीब राज्य के टैक्स-पेयर के पैसे से, जो बीमार पड़ने पर इलाज का पैसा देता है, जो चमकी रोग से मरता है, जो कुपोषण के रोग से मरता है, उस बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे से सभी प्रखंड मुख्यालय में होर्डिंग लगे हैं, होर्डिंग क्या लगे हैं भाई, तो लोक सेवाओं का अधिकार। जो उसमें डाल दिया अपना कम्प्लेन, तो पदाधिकारी/कर्मचारी आपको बूझता है कि पैसा नहीं मिलने वाला है तो उसको और खेल खिलाते रहता है।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करें।

डॉ० रामानुज प्रसाद : महोदय, हमारे चीफ-व्हिप बैठे हुए हैं, कुछ और समय मुझको दिया जाय, मैं अपनी कुछ और बातों को रखना चाहता हूँ। सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ।

जो साथियों ने कहा, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जो मनरेगा की स्थिति है, जो इंदिरा आवास की स्थिति है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा। एक चीज मुझे कहनी है, कल तो मैं हतप्रभ रह गया जब एक आया और कहा कि जिसके लिए डी०बी०टी० होता है, डी०बी०टी० में भी पैसा माँग रहा है। हमने कहा कि यह कैसे भाई ? कहता है कि नहीं होगा तो आपके खाता में पैसा नहीं जायेगा, नहीं भेजेंगे। मैंने बी०डी०ओ० से बात किया। यह हालत है। कैसे होगा ? हम किस गरीब की सेवा करना चाहते हैं ? सभी लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ का पार्टिकुलर मंत्री जी, आपके विभाग पर आते हैं। जब आपको यहां घेरते हैं तो लगते हैं आप बोलने, जब कहते हैं सदन में, स्पीकर साहब भी सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी, एक टोपो लैंड बहुत बड़ा वाइटल इशू बना हुआ है। तमाम जो अति पिछड़े, दलित, महादलित, गरीब, सभी रो रहे हैं, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से चलने वाली कोई

योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो मिलने वाली राशि है, वह नहीं मिल रही है....

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करें ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : वह टोपो लैंड एक इशू बना हुआ है । मंत्री जी आश्वासन पर आश्वासन दिये जा रहे हैं...

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त करें ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है । हमारे एक साथी कह रहे थे, और बात तो अभी रखना चाहते थे लेकिन एक चीज शिक्षा पर बोल रहे थे, एक हमारे मित्र, भाजपा के एक साथी अभी शिक्षा पर बोल रहे थे, मैं जरा उनको इनलाइटेंड कर देना चाहता हूँ....

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : नहीं, सभापति महोदय । थोड़ा-सा समय मुझको और दिया जाय । ये मुझको कहने आये हैं, इसी तरह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्कूलों में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वे शिक्षा अर्जन शायद ही कर पा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि यहाँ के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, आइये आप उत्तर प्रदेश और बिहार पर । वहाँ ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को भेजा जाता है तो वे मौखिक रूप से लिखे हुए अक्षर और शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं । यह हालत है । अभी आप चाहे अपनी पीठ थपथपा लो पोशाक देने का, पीठ थपथपा लो आप साइकिल देने का, प्रचार कर लो गाँधी मैदान में, 97 प्रतिशत आप कह दो कि नामांकन हो गए लेकिन आप कैसा नागरिक उनको बना रहे हो ?

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : गरीबों के हित पर इतना बड़ा आपने कुठाराघात किया है, गरीबों की किस्मत फोड़ने वाला, आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं ?

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कर दें ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : यह बिहार में छपने वाला अखबार नहीं है....

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी) : आपका भाषण समाप्त हुआ, आप बैठिए, आप अब बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, आज सरकार के तृतीय अनुपूरक बजट पर मांग के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । खड़ा इसलिए हुआ हूँ कि सरकार की कई-एक उपलब्धियाँ हैं, सरकार की कई-एक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं । कुछ तो पक्ष के लोगों ने और कुछ विपक्ष के लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अपनी-अपनी बात को रखने का काम किया है लेकिन मैं उस ओर जाना नहीं चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, हम वहां से शुरू करते हैं जब बिहार में एक ही कोलाहल है “जल, जीवन और हरियाली” । सभापति महोदय, हम सोच रहे थे कि “जल, जीवन और हरियाली” का जन्म कहां से हुआ लेकिन जब हमने सुना, जब हमने सोचा कि इसकी उपज कहां से हुई ? तो हमने देखा कि एक बार पटना के गांधी मैदान में लाठी बनाओ और लाठी में तेल पिलाओ रैली हुई थी । उस रैली में सारे पेड़ कट चुके थे, वातावरण का संकट हो गया था और पर्यावरण का संकट हो गया था । मौसम हिल-डोल रहा था, महोदय । महोदय, आज हम मांग के समर्थन में कहना चाहते हैं “जल-जीवन-हरियाली” जल है, हरियाली है तभी न जीवन बचेगा, महोदय । तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और होनहार ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में जो आज ग्रामीण विकास का काम हो रहा है, उसके बारे में हम कुछ कहते थकते नहीं, महोदय । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग जिसकी चर्चा हमारे वरिष्ठ साथी कर रहे थे कि प्रखण्ड में क्या हो रहा है । महोदय, प्रखण्ड, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नाम से जाना जाता था, प्रखण्ड मुख्यालय से जाना जाता था । लेकिन प्रखण्ड की क्या व्यवस्था थी, महोदय । प्रखण्ड के भवन नहीं थे, प्रखण्ड में कर्मचारी नहीं थे । बी0डी0ओ0 प्रमोटिव थे । 2005 के पहले यह पता नहीं चलता था कि ये बी0डी0ओ0 हैं कि ग्राम सेवक । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बी0डी0ओ0 की बहाली हुई ।

...क्रमशः...

टर्न-16/आजाद:अंजली/02.03.2020

..... क्रमशः

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बी0डी0ओ0 की बहाली हुई, आज उसको देखने लायक है और उनके नेतृत्व में आज प्रखंड, हम प्रखंड की चर्चा करना चाहते हैं, पहले झोपड़ी में चलता था, लाठी लेकर दलाल लोग वहां पर घूमते रहते थे, भैंस को हांकते रहते थे, बकरी को डंडा से खदेड़ते रहते थे और बी0डी0ओ0 कहता था कि यह क्या हो रहा है तो कहते थे कि जानवर कहां चरेगा, बकरी कहां चरेगा ? बी0डी0ओ0 साहेब का पूरा समय भैंस और बकरी को खदेड़ने में ही लग जाता था । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग निश्चित रूप से मॉडल विभाग बन गया है और उसके अन्दर एक से एक काम हो रहे हैं । अब काम कौन हो रहे हैं, पहला तो गिना दिये कि जल, जीवन, हरियाली इसका जो है अपार रेंज है । पूरे बिहार में पूरे दुनिया में श्रीगणेश नहीं हुआ जल, जीवन, हरियाली का, वह कहां हुआ बिहार में,

यह अनोखा जल, जीवन, हरियाली है तो हम कहना चाहते हैं महोदय जल, जीवन, हरियाली के अन्दर और उसमें सब लोगों ने भाग लिया था, पक्ष के लोग भी लिये थे और विपक्ष के लोग भी लिये थे । सब लोगों की राय थी कि प्रकृति करवट ले रहा है । बरसात के दिन में गर्मी और गर्मी के दिन में बरसात और ठंडा के दिन में बरसात, यह कैसा प्रकृति का रूप हो गया है । आज जल, जीवन, हरियाली के पर्दापण से बिहार में मौसम बदलना शुरू कर दिया है महोदय । इसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आज वहां देखिए, तालाब भर दिये थे लोग, कोई काम नहीं था बिहार में, कौन काम था तो किसी खेत से मिट्टी काटकर के तालाब भर देना, कुआँ भर देना, चापाकल को तोड़कर के भैंस का खूँटा बना देना, नदियों को भर देना । महोदय, इस एजेंडा के आ जाने के बाद बिहार जो है दूसरे रूप में पलट गया है । इसकी जितनी प्रशंसा करें, कम है ।

अब देखिए ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा, मनरेगा तो बहुत पहले से चल रहा है लेकिन मनरेगा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय श्रवण बाबू के नेतृत्व में अब कोई भी माफिया मजदूर के बदले मशीन नहीं चलायेगा । अगर कोई को हिम्मत है और चुनौती है तो बिहार में मजदूर के जगह पर मशीन चलाकर के देखे, सुशासन की सरकार है, मशीन जप्त हो जायेगा । उसका सारा जो है धंधा बन्द हो जायेगा, यह हो रहा है आज मनरेगा में । ईमानदारी से खुदाई हो रही है, पहले लोग क्या करते थे, छील देते थे और उसके पीछे दलाल था, पॉकेट में पैसा चला जाता था लेकिन अब क्या हो रहा है, बैंक के खाता में पैसा जा रहा है महोदय, उसको निकालना बड़ा कड़ा और कठिन हो रहा है लोग अकबक में हैं तो पैसा अब कहाँ जायेगा तो बैंक के खाता में जायेगा । यह है परिवर्तन, यह है सुशासन, यह है बिहार का विकास ।

महोदय, अब जीविका पर आइए । हम ग्रामीण विकास में रहेंगे, अब जीविका पर आइए । कहीं किसी ने जीविका का नाम सुना था, पूरे दुनिया से हम पूछना चाहते हैं कि जीविका के बारे में किसी ने कोई सुना था । जीविका दीदी किसको कहते हैं सुना था, महोदय, बिहार के अन्दर जो महिलाओं के अन्दर जीविका के नाम से नया एनर्जी आ जाता है, नया हिम्मत आ जाता है, नया ताकत आ जाता है और कहने की बात तो कुछ और, जीविका के माध्यम से बिहार की महिलायें स्वावलम्बी होने के लिए सीख रही हैं महोदय और उसकी चर्चा करते हैं जीविका । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, उसमें जीविका दीदी का बहुत महत्व है और जीविका दीदी अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं हैं । जीविका दीदी अब अपने दिमाग से काम करती हैं, जीविका दीदी मीटिंग भी कर लेती हैं, अध्यक्षता भी कर लेती हैं, मॉनेटरिंग भी कर लेती हैं

और जीविका दीदी रोजगार के धंधे की बात करती हैं। जीविका दीदी झगड़ा मिटाती हैं, जीविका दीदी स्कूल का निरीक्षण करती हैं, जीविका दीदी सात निश्चय में भी अपना हिस्सेदारी देती है। जीविका दीदी एक से एक काम करती हैं महोदय। उनपर नाज है बिहार को और पूरी दुनिया को नाज है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एक से एक काम ग्रामीण विकास के नेतृत्व में हो रहा है।

अब देखिए, शौचालय, शौचालय के बारे लोग कहते थे कि जो सम्पन्न लोग होगा, उसी के पास शौचालय होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर में शौचालय है। अब बाहर से लोग आते हैं और घर के बाहर जब शौचालय बना हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि यह क्या चीज बना हुआ है तो लोग कहते हैं कि शौचालय है तो शौचालय, शौचालय तो बड़े-बड़े घरों में बनता था, शौचालय आज घर का सम्मान है महोदय और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्रवण कुमार जी के नेतृत्व में हर घर शौचालय बना, यही हम कहना चाहते हैं। इसलिए महोदय, बिहार के विकास में ग्रामीण विकास विभाग निश्चित रूप से बिहार के अन्दर यह जो उन्होंने बजट दिया है, इसमें हमको तो लगता है कि कम है, हम तो कहेंगे कटौती प्रस्ताव में कि उनको समर्थन 10 रुपये घटाने के बदले 10 रुपये जोड़ने का रखना चाहिए था, तब जो है बिहार, बिहार में जो गांव स्मार्ट बन रहा है, उसकी तभी कल्पना कर सकते हैं और बिहार को जो लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, बिहार के गांवों को जो लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे और आज बिहार के गांव में लोग बाहर से आते हैं अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं और कहते हैं कि यह गांव है, यह वही गांव

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, लोग चर्चा करते हैं कि आज गांव शहर से बढ़कर के, जो निश्चित रूप से शहर से बढ़कर के आज गांव बन रहा है। इसलिए महोदय, आपने मुझे समय दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से बिहार एक दिन श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जयहिन्द।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, आपका दो मिनट समय है।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर सदन के अन्दर वाद-विवाद चल रहा है और सभी दलों के माननीय सदस्य अपनी-अपनी समझ रख रहे हैं और हम भी रखेंगे लेकिन इतनी बात जान रहे हैं, चाहे हम जो भी बात कहेंगे, मंत्रीजी जो माइन्ड बनाकर आये हैं, वे वही करेंगे, सरकार जो कहती है, वही करेंगे। महोदय, हम कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू कटौती प्रस्ताव लाये हैं, हम सोच रहे थे कि कटौती प्रस्ताव नहीं लाए लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि जो बजट

है, वह काम नहीं कर रहा है महोदय, तो वैसी स्थिति में 10 प्रतिशत घटाकर भी राज्य के खजाने को बचाने की हमलोग कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब नहीं बचे तो कम से कम 10 प्रतिशत तो हम बचा सकें। महोदय, अब हम बहुत आंकड़े नहीं रख पायेंगे, समय कम है, लेकिन एक ब्लॉक को देख रहे हैं तो ब्लॉक में जो पंचायत है, एक पंचायत सेवक 5-5 पंचायतों के कार्यभार संभाल रहे हैं।

..... कमशः

टर्न-17/शंभु/02.03.20

श्री सत्यदेव राम : कमशः.....अब आप सोचेंगे कि कैसे विकास का काम आगे बढ़ेगा। 5-5 पंचायतों पर एक पंचायत सेवक है, ब्लॉकों में बाबुओं की काफी कमी है, सब प्राइवेट रास्ते से जो कोई जिम्मेदार नहीं है, कितना लुटायेगा, काम होगा कि नहीं होगा इसकी उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब ठेके पर लिये गये हैं। यही नहीं जो ब्लॉक कार्यालय हैं, बाबुओं के लिए जो रेसिडेन्स है वह सब भूतबंगला बन चुका है और इसका परिणाम होता है कि वे सब बाबू 4 बजे के पहले चले जाते हैं, जिला मुख्यालय में अपने रेसिडेन्स पर और आते हैं कब 11 बजे के बाद और जनता बैठकर टुकुर-टुकुर देखती रहती है, अब बाबू तो हैं नहीं कि काम आगे बढ़े, कर्मचारी तो हैं नहीं कि काम आगे बढ़े तो इस स्थिति में ग्रामीण विभाग को ये पैसा लेने का नैतिक अधिकार ही नहीं बन रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिला मुख्यालयों में ये कलेक्टर हैं, एडिशनल कलेक्टर नहीं हैं। सीवान जिला में जहां 7 एडिशनल कलेक्टर होना चाहिए आज 1 से काम चलाया जा रहा है और यह सरकार कहती है कि हमारा बजट बढ़ा हुआ है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि ये बढ़ा हुआ बजट कहां खर्च करते हैं ये आप रिपोर्ट नहीं दिये हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मनरेगा कानून है। गांव में अब कृषि में कोई काम नहीं रह गया है, ग्रामीण मजदूर मनरेगा में काम करके अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन आज मनरेगा को एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। मंत्री जी बतायेंगे कि हमलोग इतना कार्य सृजित किया, लेकिन एक भी कार्य सृजित नहीं हुआ है। सब बड़े-बड़े जमींदार लोग उस काम को जे0सी0बी0 से कराकर के और मजदूरों को डरा-धमका करके उनके जॉबकार्ड पर पैसा उठा लिये हैं और दिखा दिये हैं कि इतना मजदूर काम किया है। अगर मंत्री जी में हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मंत्री जी इसकी जाँच करवा लें।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सत्यदेव राम : कहीं मजदूर काम करके पैसा नहीं लिया है सब दबंगों के दबाव में आकर के अपना जॉबकार्ड दे दिया है और उसके खाते पर पैसा उतार लिया गया है।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : एक मिनट महोदय, जिवेश बाबू को यह बात समझ में नहीं आ रही है । हम तो साफ कहना चाहते हैं। हम तो लगातार आर0जे0डी0 का विरोध करते रहे हैं, उनके शासन का विरोध करते रहे हैं, लेकिन जिवेश बाबू को यह पता नहीं है कि 1990 से लेकर के 2005 तक आपकी उपस्थिति सदन में नहीं होती थी, गरीबों का होता था और गरीब उसी दिन इस दिशा में आगे बढ़ा है । आपको अंतर करना है तो कर लीजिए ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हम कहना चाहते हैं कि दरौली प्रखंड के सकरी पंचायत में ग्राम मुरैला में दो योजना मनरेगा की स्वीकृत हुई और काम मजदूरों ने किया है । मैं मंत्री जी से जाँच की मांग करता हूँ ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान ।

श्री रामप्रीत पासवान : सभापति महोदय, मैं कठौती प्रस्ताव के विरोध में और तृतीय अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हमारे विपक्ष के भाई रामानुज भाई चले गये इनकी पार्टी की पैदाइश कहां से हुई थी । ये सोशलिस्ट पार्टी से और गरीबों की पार्टी कहकर हमारे नेता निकले थे उसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी थे, रामबिलास पासवान जी भी थे, सुशील मोदी जी भी थे, एक जगह से निकले थे, लेकिन आज ये कहां हैं ? जिनके विरोध में ये पार्टी खड़ा किये और उसी के म्यान में जाकर घुस गये, विरोध करते थे जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का और आज उसी के म्यान में घुसे हुए हैं । यहां चर्चा करते हैं जेटली जी की मूर्ति लगाने का, दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाने का हमारे मुख्यमंत्री जी तो कम से कम उस समय के सुशील मोदी जी के साथ तो हैं, लेकिन आप कहां हैं ? आप भी दूध के धोये हुए नहीं हैं । दूसरे पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाँककर देखिए कि मैं कहां हूँ और हम कहां से खड़े हुए और किस म्यान में जाकर घुस गये । यह तो आपको मानना पड़ेगा । मित्रों, ग्रामीण विकास पर चर्चा हो रही है। जब मैं 2005 में जीतकर आया था रामदेव बाबू हैं, हमलोग रास्ता खोजते थे जयनगर से पटना आने के लिए- रास्ता खोजते थे कि समस्तीपुर से जाऊँ कि लालगंज से जाऊँ कि महनार होकर जाऊँ और रास्ता नहीं मिलता था 8 घंटे, 10 घंटे में जयनगर से पटना आया करता था । रही गांव की बात तो उस समय जब बॉल जलता था तो हमलोगों को लगता था कि कोई शहर होगा । कोई शहर है इसीलिए बॉल जलता है। अब तो इतनी बिजली हो गयी कि अब बॉल जलता है तो अब शहर नहीं नजर आता है, गांव भी शहर नजर आता है, वह गांव भी शहर है । रोड की बात है तो सभी माननीय सदस्य पक्ष में हों या विपक्ष में सबके क्षेत्र में विकास हो रहा है । जिस गांव

में 2005 में रोड पर मोटर साइकिल लगाते थे आज दरवाजे तक चार चक्के की गाड़ी जा रही है । आपके भी रोड चकाचक हैं, ऐसा नहीं है कि सत्तापक्ष का रोड चकाचक है, गांव का रोड चकाचक है उसमें आप भी हैं । केवल अंतर इतना है कि आपके समय में गिलास खाली था और मेरे समय में गिलास भरा है थोड़ा खाली है तो आपको थोड़ा नजर आता है और हमको भरा हुआ नजर आता है, इतना तो अंतर समझना पड़ेगा । इसलिए जो बजट है ग्रामीण विकास विभाग पर आप गरीब की बात करते हैं- पहले गांव के गरीब को थाली में भोजन नहीं मिलता था । अभी एक साथी हमारे कह रहे थे कि उसे भोजन नहीं मिलता है । भोजन मिलता है, अब ऐसा कोई घर नहीं है जो रोटी सब्जी नहीं खाता है, भात दाल सब्जी नहीं खाता है । वह गरीबी नहीं है अब । पहले जब मुर्दा जलता था तो हमारे महादलित समुदाय के लोग शमशान घाट से कपड़ा लोकर धोकर पहनता था, लेकिन अब आपका उतारा हुआ कपड़ा कोई नहीं लेता है । आपको अंतर नहीं नजर आता है। मेरे मधुबनी में एक नेकी दीवार बना हुआ है वहां पर अच्छे-अच्छे कपड़े लोग सिलाकर देते हैं, उस कपड़ा को कुत्ता नोचकर ले जाता है, कोई आदमी कपड़ा नहीं लेता है । बहुत ऐसे लोग हैं जो रोटी बनाकर बर्तन में रखता है और सुबह में देखते हैं तो वह रोटी कुत्ता खाता है, आदमी खानेवाला नहीं है । आपको यह नजर नहीं आता है । अब आपका उतारा हुआ कपड़ा कोई गरीब नहीं पहनता है उसके बदन पर कपड़ा है । उसको खाने के लिए अन्न है तो परिवर्तन हुआ है । आपके सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है तो वह अलग बात है, लेकिन हम भी गरीब परिवार से आते हैं वह परिवर्तन हुआ है। एक-एक व्यक्ति में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के लिए हम 15 साल काम किये हैं और विश्वास के साथ काम किये हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो क्षेत्र में विकास हुआ है चाहे वह बिजली हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह शौचालय हो, चाहे आवास हो, गरीबों को मजदूरी देने का हो या उसको मध्याह्न भोजन देना हो या उसको उपभोक्ता के द्वारा 35 कि0 अनाज देना हो । हम तो कहेंगे कि माँ के पेट में जो बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर मरने तक यदि किसी सरकार ने चिंता किया है तो वह नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने चिंता किया है, सारे लोग इस बात को जानते हैं । हमलोग भी इस बात को फील करते हैं। आप क्यों हैं ? यदि भ्रष्टाचार है तो आपका क्या दायित्व है ? विपक्ष सत्ता पक्ष का अंग होता है । आपने आखिर क्यों नहीं पकड़ा ? कौन आपको रोकता है । आप क्यों नहीं पकड़कर हवाले करते हैं ? केवल कह देने से नहीं होगा आपको भी अपने दायित्व का निवर्हन करना होगा । लेकिन गिलास भरा है यह कहने में संकोच नहीं है। हमने काम किया है क्षेत्र में और काम करके दिखाया है, एक-एक जगह काम करके दिखाया है । मैं आपको बता दूँ कि सभी क्षेत्र में आज गांव के खेत-खलिहान

में काम करनेवाला मजदूर हो या किसान हो- पहले जहां गांव में हमलोग बैल से खेती करते थे ।

क्रमशः

टर्न-18/2-03-2020/ज्योति-पुलकित

क्रमशः

श्री रामप्रीत पासवान : पहले बैल से खेती करते थे, अब हम लोग मशीन से खेती करते हैं, गेहूँ और धान बोते हैं और इसका उत्पादन लेते हैं । उत्पादन भी अच्छा होते हैं । हमने किसान को दिया है । जो मां बहन है, जो जीविका चलाती है । एक जगह कोई बैठने का काम नहीं करता था । सारी महिला घूंघट में रहती थी और गांव में यदि सामुदायिक भवन है वहाँ बैठ के जीविका बनाकर उसी में अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है और बैंक से आदान प्रदान करके अपनी जीविका चलाती है । गरीब से गरीब आदमी अपनी जीविका पर है और आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है हर जगह विकास हुआ है । हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, एक आग्रह मैं सरकार से जरूर करुंगा आप जो पांच-तीन अनुसूचित जाति को और दो पिछड़ा को देते हैं उसका कोटा दस बढ़ाईये, अब तो मात्र एक लाख रुपया देते हैं, अनुदान उसको दस कर दीजिये एक पंचायत में यदि 10 आदमी को परिवहन के द्वारा गाड़ी देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत से सारे नौजवान को रोजगार मिलेगा । गांव में घर तक अब तो लोग इंतजार करता है मधुबनी जाना है, दरभंगा जाना है तो घर तक गाड़ी आती है । इसलिए घर तक गाड़ी जाती है और सारे नौजवान अपने अपने रोजगार में लगे हुए हैं जहाँ तक पलायन की बात होती है तो पलायन पहले से कम हुआ है । सब गांव में चौक चौराहा बन गया है वहाँ चाय की दुकान हो चाहे हवा गाड़ी में देने की दुकान हो नौजवान बच्चे लोग वहाँ अपने काम में लगे रहते हैं पहले की अपेक्षा पलायन कम हुआ है लोग अपने गांव में चौक चौराहे पर जहाँ सुदूर सुदूर तक कहीं एक दुकान नहीं था, सब गांव में चौक चौराहे पर बाजार जाने की जरूरत नहीं होता है आवश्यक आवश्यकता की सभी चीजें अपने गांव में ही दुकान पर मिल जाती है और ढेर नौजवान अपने अपने गांव में रोजगार खोल देते हैं, चाहे मोबाईल ठीक करना हो, टी.वी. ठीक करना हो साईकिल का पिंक्चर बनाना हो, मोटर साईकिल का पिंक्चर बनाना हो उसमें हवा देना हो सभी तरह के कामों का बंटवारा गांव में लोग अपने अपने मेहनत के हिसाब से लोगों ने किया है और लोग को रोजगार मिला है । इस सरकार में रोजगार मिला है । हम लोगों ने रोजगार दिया है इस तरह से विकास ग्रामीण विकास में पहले की अपेक्षा मेरे यहाँ मैं आपको कहता हूँ आप चलिए मेरे क्षेत्र में एक सिमरी गांव है वहाँ ओ.डी.एफ. घोषित हुआ है एक भी आदमी सड़क पर नहीं देखेंगे । सारे के सारे लोग शौचालय

बना लिए हैं। शौचालय बना हुआ है और लोग उपयोग करते हैं लेकिन 10 परसेंट कमी है मैं भी इस बात को मैं सरकार को सुझाव देता हूँ अपने माननीय मंत्री को सुझाव देता हूँ कि निश्चित रूप से उस पर अमल हो और जहाँ कहीं भी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, उनकी नियुक्ति हो रही है निकट भविष्य में। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि नियुक्ति हो रही है। हॉस्पिटल में जहाँ सरकारी अस्पताल में एक भी मरीज नहीं जाते थे। गांव के लोग जाते हैं। माता बहनो की डिलीवरी वहाँ होती है। यदि गाड़ी वहाँ है तो गाड़ी तुरत उपलब्ध होती है घर से बुलाकर उसका प्रसव होता है। काम नहीं है। आपको नजर नहीं आता जो गांव और शहर में और विकास लाभुकों को आप देख नहीं रहे हैं क्या? जो पहले की अपेक्षा जो 2004-2005 में और 2000 में क्या था गांव और अभी क्या है, आप सारे लोगों को नजर आता है लेकिन आपका सुझाव है और आप सुझाव दीजिए लेकिन आप कहते हैं कि जो जेटली का मूर्ति लग गया मदन मोहन उपाध्याय का मूर्ति लग गया आप कौन सा काम किये आप जिसके साथ थे उसका साथ छोड़ के अभी कहां चले गये और पाठ पढ़ाते है हमारे मुख्यमंत्री को हमारे उपमुख्यमंत्री को इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि जो आपका भी आंचल में बेदाग नहीं है आप में कहीं ना कहीं दाग है और आप निश्चित रूप से सरकार में जितने भी कार्यक्रम हुए है एक-एक आदमी का एक-एक चहुमुखी विकास हुआ है। मेरे गांव का खासकर के ग्रामीण विकास में अब तो हम शहर की तुलना गांव में करने जा रहे है। अब तो गांव में नल-जल योजना शुरू हुआ है। कहीं-कहीं कमी है लेकिन जो नल का जल पहले आप लोग शहर में पीते थे हम लोग अपने गांव में नल का जल हम लोगों को मिलने गया है, पक्की सड़क मिलने लगा है और हम लोग पहले कुएं का पानी पीते थे लेकिन अब नल का जल पीते हैं। जल-जीवन हरियाली की बात हो रही है। हमारी पूरी दुनिया में, पूरे देश में हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने हरियाली की चिंता की है। पेड़ लगाइए, आपके फायदे की चीज है। पेड़ लगेगा, जल संचय होगा, तो बाद बच्चों के लिए अच्छा होगा तो इस तरह से एक-एक बिंदुओं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता की है और गांव का विकास हो रहा है निश्चित रूप से विकास हो रहा है। इसमें आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए निश्चित रूप से विकास हो रहा है। आपके कहने से नहीं होगा और पूरे मतदाता पूरी जनता देख रही है। जो आने वाले समय में दिखाया जाएगा। आप क्या दिखाइए, विकास पर वोट होगा, विकास पर वोट होने वाला है और हम 200 सीट लेकर के अगली बार सदन में आने वाले है। इसलिए आप हमें धमकी मत दीजिए। आप अपना काम करिए। आपको जो काम विपक्ष में जनता ने दिया है वो काम करिए और हम लोग निश्चित रूप से कर रहे है एक-एक पहलू पर मैं आपको बता दूँ कि जो बेरोजगार

था वो बकरी पालन के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे है । सुदूर गांव में बड़ा-बड़ा मुर्गा का फार्म खुला है । ये हमारे माननीय भाई साहब है यहां सीताराम बाबू हम लोग जब घर से आते है तो जहां मनुष्य नहीं रहता था तो आज बड़ा मुर्गा फार्म खुला है। हमको लगता है जो करोड़ों रूपये की लागत से वो मुर्गा फार्म और वहां 10-15 आदमी को रोजगार मिला है तो आरक्षण है। आरक्षण हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मजबूत किया है और आप लोग भ्रम पैदा करते है। गांव में जा करके जो आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। कहीं कोई खतरा नहीं है । इसलिए इस बात से लोगों को मत भ्रमित करिए, आप लोग, खासकर के अनुसूचित जाति के लोगों को दिग्भ्रमित मत करिये और न्यायालय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है निश्चित रूप से हम लोगों को जो आरक्षण मिला है वह रहेगा और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो आरक्षण को समाप्त कर देगा इसलिए मैं आपसे यह कहने आया हूँ । मैं अपने क्षेत्र की जनता, राजनगर की जनता को बधाई देता हूँ ! सभापति महोदय ने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई । भारत माता की जय ।

सभापति(श्री रामचंद्र सहनी) : श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज सदन में जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग पर पूरे राज्य के विकास की जिम्मेवारी है । जितने भी विभाग हैं आपके ही डाटा पर आधारित हैं लेकिन आपका तो ए.सी.सी.एस. डाटा तक सही नहीं है तो डाटा बेस्ट कौन सा इनफौर्मेशन सही होगा । इस बात को निश्चित तौर पर लोग खाद्यान्न और किरासन तेल के लिए गांव में व्याकुल हैं पंचायतों में व्याकुल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना की क्या स्थिति है यह सारे माननीय सदस्य जानते हैं किसी से छिपी हुई बात नहीं है और गांव में जो ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया जाता है लेकिन जहाँ जाकर वहाँ हाल देखिये तो पता चल जायेगा कि कितना अभी स्वच्छता प्रतीत हो रहा है । उसी से आकलन कर लेंगे कि ओ.डी.एफ. का क्या हाल है । महोदय, मनरेगा में काम मांगने वाले का कोई रजिस्टर तक नहीं है । माननीय सदस्य सही कह रहे थे । पंचायत सरकार भवन बहुत जगह बना परन्तु कोई भी कागजात पंचायत सरकार भवन में उसको देखने के लिए भी नहीं मिलता है पंचायत सरकार भवन को । पंचायत सरकार भवन बन चुका । महोदय, यह घोषणाओं की सरकार है । केवल घोषणा करती जाती है उस पर पूरे तौर पर अमल तक नहीं होता है । यह माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया गया इसमें अपनी पीठ खूब थपथपायी गयी लेकिन जरा आकलन करें कि पश्चिम-बंगाल की आबादी आपसे दो करोड़ कम है और मध्य

प्रदेश की लगभग चार करोड़ कम है फिर भी पश्चिम बंगाल का बजट 2.37 लाख करोड़ है। आप अपना पीठ मत थपथपाईये । मध्य प्रदेश 1.26 लाख करोड़ और जहाँ प्रति व्यक्ति आय की बात होती है तो पश्चिम बंगाल में 9491 रुपये तो मध्यप्रदेश में 9900 रुपये परन्तु बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है विचारणीय है। महोदय, 43000 बता रहे हैं महोदय जब यह आकलन आया तो तकनीकी जाल को हम नहीं कहना चाहते हैं लेकिन आय प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन करता है तो उसकी आय स्वतः 60,000 दे दिया जाता है । ऐक्चुअल उसकी आय 15000 है आपके यहां से डाटा से 60 हजार दे दिया जाता है यह कौन सा डाटा है मेरे समझ से बाहर की बात है । बजट में ग्रामीण विकास विभाग को ज्यादा हिस्सा दिया गया, इसी में शिक्षा विभाग की जो स्थिति है वह हमसे आपसे छिपी हुई नहीं है । जब यहाँ का कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता-पिता को पहली चिन्ता सताती है कि वह बच्चा पढ़ेगा कहाँ ? क्रमशः

टर्न: 19/कृष्ण/02.03.2020

श्री समीर कुमार महासेठ (क्रमशः) : केवल ज्यादा अंश देने से ही काम नहीं होता है । मैं शिक्षा के एक-दो मामले सामने रखना चाहता हूँ । कितनी राशि आपके द्वारा स्वीकृत की जाती है और कितनी राशि प्रत्यर्पित की जाती है । 2018-19 में राज्य योजना मद में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में प्राथमिक निजी विद्यालयों को, जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि 3616.42 लाख रूपया रखा गया । लेकिन जो प्रावधान किया गया, उसके विरुद्ध आपका खर्च 327.428 लाख ही हुआ । आप सोच लें, जो गरीब के बच्चे, 25 प्रतिशत आप देते हैं कि 25 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाये जायेंगे, आपने जो बजट रखा था, उसका मुश्किल से 10 प्रतिशत खर्च हुआ । यह आपको सोचना है । किसी स्कूल का प्रिंसिपल, किसी स्कूल का संचालक, एक बार ऐडमिशन लेगा, दूसरी बार आप उसको पैसा नहीं देते हैं, तीसरी बार पैसा उनको नहीं देते हैं, चौथी बार नहीं देते हैं, आप सोच लें, उस गरीब के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं ? हमें कुछ नहीं कहना है । आप बजट के आकलन को देखें । महोदय, निश्चित तौर पर यह हतप्रभ करनेवाला विषय है कि सदन से स्वीकृति 3616 लाख रूपये होती है परन्तु विभाग मात्र 327.9 लाख रिलीज करता है और बिना रिलीज किये हुये 3289.42 लाख की राशि प्रत्यर्पित कर दी जाती है । कारण क्या है ? समझ से बाहर है । वह केवल बजट प्रावधान तक सीमित रह गया, यह वह राशि है, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में खर्च होती है, निजी विद्यालयों में बच्चों को नामांकित होना चाहिए था और उसकी प्रतिपूर्ति करना चाहिए था, लेकिन

ऐसा कुछ नहीं किया गया । इसी तरह मुख्यमंत्री पोशाक योजना मद में 25000 लाख रूपये बजट प्रावधान किया गया जिसमें से 4232 लाख,

(व्यवधान)

डाक्टर साहब, आप सुन तो लें । आप डाक्टर हैं । आप काश डाक्टर होते और यहां भी विधायक होते तो अच्छा होता । महोदय, इतने रूपये सरेंडर करने के पीछे कौन-सा राज है, यह दर्शाता है । यह आप से छिपा हुआ नहीं है । आप केवल बजट प्रावधान करने में विश्वास रखते हैं ।

महोदय, क्रियान्वयन में आपका विश्वास नहीं है । महोदय, इस अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य भी है । आप बड़े अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बेड बढ़ाने की जो रफ्तार है, बिहार की आबादी की जो रफ्तार है, उसके हिसाब से मात्र 00.1 परसेंट बढ़ोत्तरी हुई है । मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता हूं । सारे मंत्री का मैं अभिवादन करता हूं । सारे लोगों को जनता खोज रही है कि एक भी ब्लॉक बिहार का ऐसा निकाल लें, जहां जनता परेशान नहीं हो रही है । आप कानून बनाते हैं, सब तरह की बात करते हैं, लेकिन गरीबों को काम के लिये पैसा देना पड़ता है, यह उसे बहुत खल रहा है, उसे बहुत तकलीफ होती है । आप चाहे तो बजट में प्रावधान करके उस पैसे को ले लें । लेकिन अगर केवल दलालों के बीच ब्लॉक चला गया है, वह कहीं न कहीं रोना है । 15 वर्षों का इतिहास है, आपने बहुत अच्छा किया, अब 15 वर्ष बिताने जा रहे हैं ।

महोदय, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से आप अपने सारे चीजों का मूल्यांकन करें, न कि 15 वर्ष बनाम 15 वर्ष करें । राष्ट्रीय आधार पर जब आप मूल्यांकन करेंगे तो असल में आप कहां हैं, वह आकलन हो जायेगा और भविष्य के लिये अच्छा होगा ।

(व्यवधान)

डाक्टर साहब, हमारे भविष्य के लिये अच्छा होगा । आपके लिये नहीं, मेरे लिये नहीं ।

महोदय, मैं नगर विकास पर आना चाहता हूं । आप ही के माननीय मंत्री जी कभी कहा करते थे, 15 साल में वह सिंगापुर बनायेंगे । क्या-क्या बनायेंगे और जाकर भगवान केदारनाथ को पकड़ करके बच गये, इसलिये गलत बयानी मत करें। महोदय, मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर पटना, चाहे वह स्मार्ट सिटी हो, ग्रेटर पटना हो, लेकिन इस बार जो पटना जलमग्न हुआ, एक-एक व्यक्ति जो पटना में रहता है, दिल पिघल गया महोदय । मैं यह नहीं कहता कि आपने पैसा खर्च नहीं किया, मैं यह नहीं कहता कि आपने सही खर्च नहीं किया, पब्लिक निश्चित तौर पर चाहे वह

पंचायत में हो या ब्लॉक में हो, चाहे वह राजधानी पटना में हो, आप उससे अपना आक्लन करें कि आपका जो लास्ट तक पहुंचने का है, पैसा कहां जा रहा है ?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पटना जलमग्न रहा और सरकार कोई उपाय ससमय नहीं कर पायी । लाख प्रयास आपने किया, आपके तरफ से लाख प्रयास करने के बावजूद, 15 दिनों के बाद भी जलमग्न रहा, 15 दिन तक नर्क बना रहा,

(व्यवधान)

आप क्यों बीच में बोल रहे हैं ? आप बाद में बोलियेगा । नगर विकास स्मार्ट सिटी, इन सब बातों का क्या मतलब है ? उप मुख्यमंत्री जी जिस दिन बजट प्रस्तुत कर रहे थे, अगले दिन की मैं तस्वीर बताना चाहता हूं कि दैनिक समाचार पत्र में छपा था कि गोपालगंज सड़क के पुराने वार्ड-10 के प्राईमरी स्कूल में एक ही कमरे में तीन कक्षाएँ चल रही थी और तीन टीचर एक ही बोर्ड पर एक ही कक्षा में सबों को पढ़ा रहे थे । महोदय, कौन-सा बजट और कहां पर प्राईमरी शिक्षा और कहां से प्राईमरी का पैसा ।

महोदय, विश्वविद्यालय की स्थिति तो बद-से-बदतर है । इस डिजिटल क्रांति के युग में चाहे वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, चाहे राज्य का विश्वविद्यालय हो, कहीं भी डिजिटल सर्टिफिकेट ईसू करने की ऑन लाईन व्यवस्था नहीं है । आखिर हम किस युग में जी रहे हैं ? आप आरोप लगाते हैं कि लालटेन वाले । लेकिन आप बिजली वाले भी होकर डिजिटल सर्टिफिकेट ईसू नहीं कर पा रहे हैं । यह शर्म की बात है । बच्चों को विश्वविद्यालयों में इसके लिये दौड़ लगानी पड़ती है । उन्हें वहां फीस जमा करनी पड़ती है । इस तरह से मानव श्रम का ह्रास हो रहा है । मानव श्रम की क्षति राष्ट्रीय क्षति है । लेकिन आपका ध्यान राष्ट्रीय क्षति पर नहीं है ।

महोदय, परिवहन विभाग द्वारा कभी-कभी अभियान चलाकर वाहनों की जो चेकिंग की जाती है, वह ऐसे पीछे दौड़ता है, जैसे लगता है कि चोर कोई जा रहा है । झपट्टा मार कर उससे पैसा वसूलने के लिये केवल यह प्लानिंग होती है । मुझे कुछ नहीं कहना है । आप 15 वर्षों से शासन कर रहे हैं । लेकिन आपने यहां के बच्चों को, नागरिकों को नैतिकता नहीं सिखाई कि वे विधिवत् लाईसेंस लेकर चलें । जब वे नैतिकता के आधार पर सब चीज लेकर चलेंगे तो उन्हें भागना नहीं पड़ेगा । यह कौन-सी सरकार है, यह आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा ।

महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री की बजट पुस्तिका का वितरण किया गया, जिसमें 19,172 करोड़ सरप्लस बताया गया । यह बहुत हास्यास्पद है ।

19,172 करोड़ रूपया सरप्लस बताया गया और इसको देख कर पीठ थपथपा रहे थे । हमलोग भी सोच रहे थे कि सही बात है, हमारा वित्तीय प्रबंधन

बिल्कुल दुरुस्त है । लेकिन मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 2018-19 के बजट में 21,312 करोड़ रूपया जो सरप्लस होने का जो उल्लेख किया था, उन्होंने अंतिम दौर में उन्होंने क्या किया ? उन्होंने पुनरीक्षित कर 9,355 करोड़ रूपया कर दिया । कारण बतायें । यह कौन-सी बात है ? आप कुछ करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, यह पता नहीं, यह क्या दिखलाता है, वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है । अगर वित्तीय प्रबंधन सही रहता तो सरप्लस रेवेन्यू बजट को पुनरीक्षित क्यों करते?

महोदय, 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट मद में 11204 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर इन्होंने 25,132 करोड़ रूपया कर दिया और इसी तरह से 2018-19 में इनका फिस्कल डेफिसिट 124 प्रतिशत बजट प्रावधान से बढ़ गया। अब सोचिये महोदय, 124 प्रतिशत बढ़ना क्या कहलाता है?

महोदय, इसी तरह से 2018-19 में बजट प्राईमरी डेफिसिट 440 करोड़ दिखलाया गया था, जिसको पुनरीक्षित कर 14,368 करोड़ किया गया था और 3161.9 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो गयी । महोदय, इन बातों का मैंने इसलिये उल्लेख किया कि अभी जो यह वाह-वाही लूट रहे हैं, जब वास्तविक बजट आयेगा तब पता चलेगा कि इनका फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस कहां खड़ा है ?

महोदय, मैं इन बातों के साथ-साथ अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं चूंकि मुझे लगता है कि अपोजिशन के साथ जो निगेटीव एट्टीच्यूड हो रहा है, सरकार ऐसा एट्टीच्यूड क्यों कर रही है ? महोदय, मधुबनी जिला में 10 विधान सभा क्षेत्र है, हम मधुबनी की बात करते हैं । 10 विधान सभा में बी0जे0पी0 भी है, ज0द0यू0 भी है दूसरे लोग भी हैं, आर0जे0डी0 भी है । क्यों इस तरह से आप करते हैं ?

महोदय, वर्ल्ड बैंक का जो सारा प्रोजेक्ट चल रहा था, आप जिलों को काट दिये, पता नहीं क्या कारण है ? आप से मेरा आग्रह है कि हमारे यहां दो चीनी मिल छोड़कर, जो लोहट चीनी मिल है, जरूर उसको सरकारी को-ऑपरेटीव से या जिस ढंग से भी आप उसको चलाने का प्रयास करें ।

महोदय, मैं ऐसा कह सकता हूं कि सरकार की कहीं सोच नहीं है, डबल आपकी सरकार है, बिहार में भी और देश में भी, जहां-जहां सेंट्रल स्कूल को जमीन देने की बात है, क्यों नहीं जमीन देती है सरकार ?

क्रमश :

टर्न-20/अंजनी/दि0 02.03.2020

श्री समीर कुमार महासेठ....कमशः... : और मधुबनी में भी जिस दिन मजिस्ट्रेट ने दिया है पंडौल में तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि वहां सेंट्रल स्कूल जल्द-से-जल्द खुलवाने का प्रयास किया जाय । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मधुबनी में लाख प्रयास करने के बाद कैनाल के लिए पैसा दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई लेकिन उसको पैसा ही नहीं दे रहे हैं जो काम कर पावे तो यह कौन-सी बात है ?

(व्यवधान)

विनोद बाबू, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मधुबनी के लिए तो बहुत-बहुत बधाई । अभी जो लेवल है पानी का, वह 250 फीट पर पानी नहीं है । सब चापाकल फेल, सब बोरिंग फेल, आप पता क्या कीजियेगा ? आप इस्टीमेट बढ़ाईए, तभी आपका चापाकल चल पायेगा । आप देखवा लीजिए 50 परसेंट आपका चापाकल फेल है । हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस्टीमेट बढ़ाया जाय । मधुबनी जिला में पानी के लिए त्राहिमाम है । दो महीने के बाद पानी की स्थिति और भी खराब हो जायेगी । महोदय, शहर का एक भी सड़क नहीं है, जहां नगर विकास विभाग ने एक रूपया भी दिया हो। महोदय, यह कौन-सी सरकार है ? चार साल में एक रूपया भी नहीं दिया गया हो। इससे बढ़िया तो ग्रामीण विभाग है, जिसके चलते आज सभी जगह ग्रामीण सड़कें दीख रही है, मगर नगर विकास आपका समाप्त हो चुका है और लगातार 15 साल आपके ही मंत्री रहे हैं नगर विकास में, यह आप देख लीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना है । आगे भी आप रहियेगा, पटना को आप बनाईयेगा कौन सिटी और वह रह जायेगा वहीं पानी के समय में, इसको जनता देखेगी । अब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं और कनकपुर सकरी से लेकर सौराठ इंटरनेशनल तक के लिए सड़क की बात करते हैं कि हो जायेगा और आज पांचवां साल जा रहा है और पता नहीं पांच साल में कुछ हो पायेगा कि नहीं । महोदय, नगर परिषद एक्युजिटिव ऑफिसर पूरे बिहार में इन्होंने दे दिया लेकिन एक का भी ट्रेनिंग नहीं हुआ । एक का भी बिना ट्रेनिंग कराये दे दिये । पता नहीं सरकार की सोच क्या है ? पहले तो जितने बी0डी0ओ0 हुआ करते थे, भारत सरकार का कहीं के लोग आते थे तो डरते थे और अब बी0डी0ओ0 भी उस लेवल के नहीं होते हैं, कहां-कहां से लाकर, कोई बुनकर से, कोई कहां से, पता नहीं, ये बिहार को सफल प्रयोगशाला बना दिये । इस प्रयोगशाला में भी आप असफल हुए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि अब कैसे हमारा ब्लॉक का स्तर सुधरे और ग्रामीण स्तर पर पब्लिक को कोई तकलीफ न हो ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : अब आप समाप्त कीजिए, आपका समय पूरा हो गया ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, एक मिनट । बाढ़ और सुखाड़ के समय बिहार में मत्स्य पालक का कोई तरह का कल्याण नहीं होता है, जबकि सब-के-सब आपदा से

पैसा मिलते हैं लेकिन आप जिस कुर्सी पर हैं सभापति महोदय, आप ही बतायें कि पूरे बिहार में एक रूपया चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो, एक रूपया नहीं मिलता है । महोदय, हम चाहते हैं कि इस बात पर विचार किया जाय और मधुबनी को विशेष नहीं तो जिले को बैकवर्ड जिला घोषित करके उसका सर्वांगीण विकास करके और पूरे बिहार का मैप बनाकर माननीय मंत्री श्री विनोद बाबू की सदस्यता में अगर 38 जिला है तो वह 38वें पायदान पर है, तो हम मधुबनी जिला के चारों मंत्री से आग्रह करेंगे कि मधुबनी जिला को कम-से-कम 38वां पायदान से 1 से 5 में लाने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री रामचन्द्र सहनी) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज तृतीय अनुपूरक बजट पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि बिहार जिस प्रकार से विकास के पथ पर, सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसके लिए मैं बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूँ और जो विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस संदर्भ में अभी तक जो माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था । कई विषयों पर बातें हो रही थी, ग्रामीण विकास जो आज का मुख्य विषय है, इस संदर्भ में बातचीत हो रही थी और आज ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कई प्रकार की योजनायें चल रही हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए गरीबों को डेढ़ लाख से ज्यादा रूपया दिया जा रहा है और वह समय था, जब हमारे विपक्ष के साथियों का राज था और जब पैसे नगद बांटे जाते थे, ब्लॉक में इंदिरा आवास के नाम पर जो योजनायें चलती थी, उसमें ब्लॉक में नगद पैसे बंटते थे और उस समय पैसे का बंदरबांट होता था, आज कम-से-कम ऐसा कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि किसी के हाथ में नगद रूपये दिये जा रहे हैं । आज सारे-के-सारे पैसे लाभुकों के खाते में जाते हैं, लाभुक उस खाते से पैसा निकालता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस समय नगदी पैसे बंटते थे, इंदिरा आवास के नाम पर जो योजनायें चलती थी, उसके प्रगति का रेशियो पूरे बिहार में 22 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुआ । जिनको भी पैसे दिये गये, उस पैसे का बंदरबांट हो गया । पैसे का बंदरबांट ब्लॉक से शुरू होता था और घर तक जाकर समाप्त हो जाता था । आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पैसे मिलते हैं और जो ईंट भट्ठे ईंट बनाते हैं, कई ईंट के चिमनियों में इस प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते, उसके विकास के चलते ईंट नहीं मिल रहा है, ईंट की सप्लाई बाधित हो रही है । बात तो कई प्रकार की आती है और इस प्रकार से उस दिन को आप याद कीजिए कि जब वह दिन था,

जिस दिन इस बिहार से गाड़ियां ही गाड़ियां भरकर मजदूर पंजाब कमाने जाया करते थे क्योंकि बिहार में कोई रोजी, रोजगार नहीं मिलता था और उधर से मजदूरों को, पंजाब में मजदूरों को मारकर ट्रक पर लादकर बिहार भेज दिया जाता था और उस समय बिहार का सर शर्म से झुक जाता था, जिस समय मजदूरों की हत्या होती थी। आज मनरेगा योजना के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि अधिक-से-अधिक मजदूरों को बिहार में रोजगार प्राप्त हो रहा है और उसके चलते आज मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन नहीं कर रहा है। आज मजदूरों के पलायन करने की संख्या घटी है, आज मजदूर गाड़ियों में भरकर पंजाब और नेपाल की तरफ कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज मनरेगा का ही देन है। हमलोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव की कच्ची सड़कें, चौर की सड़कें, शहरी की सड़कें जो मृतप्राय हो गयी थी, जिसको लोगों ने काटकर खेत बना दिया था, जो एक तरह से बंजर पड़ गयी थी और आज वह मनरेगा के माध्यम से सड़कें बनकर तैयार हो गयी है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मनरेगा से सड़कें जो बनी है, उसपर हमलोग चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग चल रहे हैं। आज ब्लॉक की बिल्डिंग की क्या स्थिति थी, आई0टी0 सेंटर के माध्यम से बिहार में बहुत सारे ब्लॉक के भवन बनाये जा रहे हैं। ब्लॉक के भवन बन भी गये हैं और उसमें आज काम भी हो रहा है लेकिन एक समय था महोदय कि आई0टी0सेंटर का या ब्लॉक का बिल्डिंग बनाने का कोई अता-पता नहीं था लेकिन मैं सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, आदरणीय मंत्री श्रवण बाबू और पदाधिकारी बैठे हुए हैं, क्या आपने आई0टी0सेंटर के माध्यम से जो ब्लॉक का ऑफिस बना दिया, जो सेंटर बना दिया लेकिन उसी कैम्पस में जो पुराने जितनी ब्लॉक की बिल्डिंग पड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति काफी जर्जर है, दयनीय है जो बिल्डिंग ढह रहा है, गिर रहा है, आप वैसे बिल्डिंग को या तो डिमॉलिस कर दीजिए, नहीं तो उसका कोई सकारात्मक काम करके उसकी मरम्मत करके किसी काम में लाइए। जगह भी खाली कर दीजिए, खाली करने की जरूरत भी है जहां आपने बिल्डिंग बना दिया है और जहां आपने बिल्डिंग नहीं बनाया है बिहार में तो मेरे क्षेत्र का भी एक ब्लॉक पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा मेरे कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित है, जहां आपने ब्लॉक का बिल्डिंग नहीं बनाया है और इस प्रकार से हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, पदाधिकारी को बताना चाहते हैं कि जहां-जहां आपने अभी तक ब्लॉक का बिल्डिंग नहीं बनाया है, जमीन का अगर प्रोब्लम हो रहा है तो आप जितना जल्दी हो, उस प्रोब्लम को सुधार करके वहां आई0टी0 सेंटर के माध्यम से हो, ब्लॉक के बिल्डिंग के माध्यम से हो, आप उस बिल्डिंग को डेवलप करिए, उस जगह को डेवलप कीजिए ताकि पदाधिकारी/कर्मचारी सहित वहां के लाभुकों को भी अपना काम

कराने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हो ।क्रमशः

टर्न-21/राजेश-राहुल/2.3.20

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ...क्रमशः.. महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जीविका के माध्यम से आज हमारे घरों की माताओं, बहनों को जिस प्रकार से रोजगार का सृजन हुआ है, छोटे-छोटे रोजगार चाहे वह मछली पालन को हो, बकरी पालन का हो, अगरबत्ती बनाने का हो, मोमबत्ती बनाने का हो आदि इस प्रकार के कई रोजगारों का सृजन हुआ है और गांव में हमारी माताएं, बहने रोजगार सृजित करके अपना पैसा कमा रही हैं और अपने घर परिवार का परवरिश कर रही हैं, अपने बाल-बच्चों को पढ़ा रही हैं, एक समय था महोदय, विपक्ष के साथी बोलते हैं, तो कभी-कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता था, एक समय था महोदय, कि गांव की हमारी माताएं, बहने, महाजनों के दरवाजों पर जाती थी दो सौ, चार सौ, पांच सौ, हजार रूपया के कर्ज के लिए, महाजन और साहूकार उनका शोषण करते थे, दिन-दिन भर बैठना पड़ता था उनके दरवाजे पर, कि हमको पांस सौ, हजार रुपया मिलेगा लेकिन कोई आज इस बात को दिल से स्वीकार कर सकता है कि महाजन के दरवाजे पर दो सौ, चार सौ, पांच सौ, हजार रुपया के लिए हमारे घर की माताएं, बहनें वहां जा रही हो, लेकिन महोदय इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी से और अपने इस विभाग के पदाधिकारी से जिस प्रकार से आपने इस बिहार की माताओं, बहनों को, महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़ा है, जो हमारे पुरुष भी आज हैं महोदय, को जीविका के माध्यम से जोड़ने की जरूरत है, आपको ऐसे पुरुषों को भी जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगा सकते हैं, छोटे-छोटे रोजगार कर सकते हैं, छोटे-छोटे कारोबार कर सकते हैं, उनका भी एक गुप बना कर जीविका के माध्यम से उनको भी रोजगार का सृजन कराइये महोदय । महोदय यह बहुत ही आवश्यक काम है । महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से सिंचाई का अभाव था, आज ये बिहार की सरकार, भारत की सरकार, आदरणीय नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में बढ़ोतरी की है, एक समय था लालटेन जला के भूत की रखवाली की जाती थी और लालटेन जला कर भूत को खोजा जाता था लेकिन आज जब बिजली कटती है, तो हम लोगों के घर में जो माननीय आदरणीय सदस्य, इस समय सदन में बैठे हुए हैं, वो भी दिल से इस बात को कह सकते हैं कि जब बिजली कटती है, तो उनके घर में मोमबत्ती का पता नहीं रहता है और शायद मिट्टी तेल भी नहीं रख पाते हैं क्योंकि बिजली अब कटती नहीं है और वो दर्शनीय चीज अब हम घरों में रखते नहीं हैं और बिजलियां हमारे काम की हो गई हैं, कब कटती हैं ये पता नहीं

लगता है महोदय, क्योंकि बिजली अब कटती ही नहीं है, इसलिए मैं माननीय आदरणीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार बिजली बढ़ने से ग्रामीण स्तरों पर भी रोजगार का सृजन बढ़ रहा है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब मुझको लगता है कि बहुत निकट भविष्य में गांव के खेतों में, किसानों के खेतों में, बिजलियां पहुंच जाएगी, बहुत सारे खेतों में तो पहुंच चुकी हैं और उसके माध्यम से हम अपने खेतों में पटवन का काम करेंगे। इस प्रकार से महोदय हर घर में शौचालय बनाने के काम की जो प्रगति हुई है, क्या कोई सदस्य कह सकता है कि आज से 5, 10, 15 साल पहले तक जब हम गांव की सड़कों पर निकलते थे, खासकर रात के समय में इसमें बैठे हुए जितने लोग हैं, सभी लोग गाड़ियों का उपयोग करते थे और रात में जब चलते थे, गाड़ियों की बत्तियां जब जलती थी, हमारे घर की माताएं, बहने जब शौच के लिए सड़कों के किनारे पर बैठी रहती थी, जब उनका अर्द्धनग्न शरीर हम देखते थे, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता था लेकिन आज वो दृश्य नहीं है। शौचालय बनाने के माध्यम से आज लोहिया शौचालय अभियान के तहत आज जितने शौचालय बने हैं, हमारे घर की बेटियां और बहनें इज्जत के साथ शौचालय का उपयोग करती हैं और इसलिए आज हम उसका इज्जत घर नाम दिए हुए हैं और आज हमारे समाज की इज्जत की रक्षा हो रही है इसलिए आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब लाईन लगाकर सड़कों पर, सड़कों को गन्दा कराते रहे, अपने घर की बेटी, बहनों को, जिसका अर्द्धनग्न शरीर देखते रहे, उनको आज अधिकार नहीं है यह बात कहने का कि शौचालय में प्रगति नहीं हुई है और छोटी-मोटी कमियां रहेंगी, तो उनको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इन छोटी-मोटी कमियों को दूर करने का प्रयास कैसे किया जाए। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टर की तरफ कई पदाधिकारियों ने तो अपनी पंचायतों में आर0टी0पी0एस0 काउन्टर खोल दिया है लेकिन कई पंचायतों में अभी तक आर0टी0पी0एस0 काउन्टर व्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपने जिन नौजवानों की वहां पोस्टिंग की है, आप उनके लिए पूरी सुविधा दीजिए और आर0टी0पी0एस0 काउन्टर को आप व्यवस्थित तरीके से चलाइए ताकि गांव के लोगों को अपने नजदीकी आर0टी0पी0एस0 पर जाकर अपना काम कराने में उनको सुविधा हो सके, सहूलियत हो सके। अतः मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करना चाहूंगा महोदय, इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में भी सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है। उन क्षेत्रों में चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महोदय सरकार के माध्यम

से सरकार ने सर्वांगीण विकास किया है तथा बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, ये बिहार खुशहाल बिहार है, एक बेहतर बिहार पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, एक रोल मॉडल बनना चाहते जा रहा है महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई दूंगा और मैं अपनी कल्याणपुर की महान जनता को भी धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे चुनकर यहां भेजा है, सदन ने हमारी बात को सुना है, इसलिए मैं पूरे सदन को बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द, जय बिहार।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): माननीय सदस्य मदन मोहन तिवारी जी आपका समय चार मिनट है।

श्री मदन मोहन तिवारी: सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाए हुए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार और हमारे सदन के सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। सरकार ग्रामीण विकास की सात योजना जो हैं, जैसे- नल-जल, नली-गली, क्रेडिट कार्ड, शराब बन्दी तथा आज जो भी सदस्य गांव में रहते हैं, उनको पता है नल-जल योजना से जो दिक्कत हुई है आम पब्लिक को, सभी पक्की सड़कों काट दी गई हैं तथा काट करके उसको खराब कर दिया गया है तथा नल-जल से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है, किसी का खेत पट रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए इससे आमजन को कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं चैलेन्ज के साथ कह रहा हूं कि जब हम लोग महागठबन्धन की सरकार में थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग सबसे पहले नौतन प्रखण्ड के पकड़िया पंचायत की अनुसूचित-जाति बस्ती में हम लोगों ने उद्घाटन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, लेकिन आज जांच कराने का विषय है कि एक भी आदमी उस नल जल योजना का पानी नहीं पीता है और यह योजना वहां पर टोटल सुपर फ्लॉप योजना है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गली-नली योजना की भी वही स्थिति है। किसी भी पंचायत को अगर सरकार हमसे किसी पंचायत का नाम ले, तो मैं ये भी बता दूं कि कहीं भी जो नली-गली की योजना बनाई गई है, वह केवल लूट तंत्र हैं, उसमें कहीं अच्छाई का गुण नजर नहीं आ रहा है और जो योजना साल दो साल पहले बनी वह टूट भी गई है, शौचालय की भी हर ब्लॉक में यही स्थिति है कि गांव के लोग हमारे पास आकर ये कहते हैं कि हमारी पंचायत, हमारे वार्ड का वार्ड सदस्य कहता है कि 30 को बाकी है, 40 को बाकी है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वार्ड सदस्य के माध्यम से ही अगर ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण को पेमेन्ट होना है, तो फिर आम जनता को उसकी दिक्कत क्यों होती है? हम तो कहेंगे कि सभापति महोदय और हम तथा हमारी विधान सभा और उनकी विधान सभा शायद अगल-बगल है, इनके विधान

सभा हो करके चीलझपटी से कुजरा जाता हूं, तो कुजरा सभापति महोदय भी जाते होंगे वहां बारह माह में कभी-भी वहां चलने का रास्ता नहीं है बीच रोड़ पर, शौचालय की भी यहीं स्थिति है । आंगनबाड़ी अभी सरकार के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन हो रहा है, महोदय जाली सर्टिफिकेट पर इनकी नियुक्तियां हो रही हैं, रुपया लेकर बहालियां भी हो रही हैं

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): अब आप समाप्त करिये ।

श्री मदन मोहन तिवारी: महोदय, हम तो बहुत विस्तार लिए हुए थे लेकिन हम एक मांग करते हैं सरकार से कि शिक्षा में तो बहुत नियुक्तियां हुई, उर्दू में हुई, बंगला में हुई, लेकिन संस्कृत का नाम रखने के लिए कोई सरकार आज तक नहीं बोली पांच साल में कि संस्कृत के भी शिक्षकों की आवश्यकता है, हर संस्कृत विद्यालय पर बरगद का गाछ जम गया है, विद्यालय का भवन नहीं है, पुराना अस्तित्व उसका है सर । महोदय, सागर पोखरा के सौंदर्यीकरण का काम पास हुआ है सर

(व्यवधान)

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री मदन मोहन तिवारी : दूसरा एक और है सर ।

सभापति (श्री रामचन्द्र सहनी): अब समय नहीं है । आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री नवाज आलम ।

टर्न-22/सत्येन्द्र-मुकुल/02-03-2020

श्री मो0 नावाज आलम: सभापति महोदय, तृतीय अनुपूरक बजट के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ महोदय। महोदय, अभी कई साथियों का नाम मैं गिनाना चाहता हूँ सभापति महोदय, जिवेश जी, रामप्रीत पासवान जी और सचिन्द्र जी सहित बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को यहां रखने का काम किया। महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में इसीलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि महोदय, इस सरकार को जो हमने पैसे देने का काम किया, उस पैसे में लगभग 56 घोटाले करने का काम इनलोगों ने किया है सृजन घोटाला से लेकर आपको शौचालय घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला से लेकर न जाने कितने घोटाले किये इसलिए हमलोगों का जो कटौती प्रस्ताव है उसके पक्ष में बोलने के लिए हम खड़े हुए हैं। महोदय, कई साथियों ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि

कोई झूठों की टोली में, कोई महफिल में बैठा है,
कोई दौलत के मद में खवाब की झिलमिल में बैठा है,
वो करके पैतरेबाजी है खुश फिर जीत जायेंगे,

पता उनको नहीं कि तेजस्वी बिहार के हर दिल में बैठा है।

महोदय, इसी चन्द शब्दों के साथ मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जो तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उस बजट में सबसे पहले महोदय, आप जो है ग्रामीण विकास की चर्चा करते हैं। ग्रामीण विकास जो है वह पूरे गांव के दिलों में, वहां रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों के दिलों में बसने का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद महोदय, ग्रामीण विकास की जिस जगह से बुनियाद रखी जाती है वह है ब्लॉक और ब्लॉक की आज जो हालत है महोदय, चाहे आप बिहार के किसी कोने में चले जायें, कहीं भी जायेंगे बी0डी0ओ0 है तो एक बड़ा बाबू है, पूरा विभाग जो है खाली पड़ा हुआ है। आप ऑनलाईन की व्यवस्था करने की बात करते हैं, ऑनलाईन के माध्यम से आप तमाम चीजें चाहे म्यूटेशन का मामला हो, चाहे दस्तावेज का मामला हो, आधार कार्ड में सुधार का मामला हो तमाम मामले जो ऑनलाईन होते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन तमाम माननीय सदस्यों से ऑनलाईन की प्रक्रिया आज पूरे बिहार के ब्लॉकों में बंद है खासकर मैं दावे के साथ आरा ब्लॉक जो मेरे विधान-सभा क्षेत्र में आता है कहना चाहता हूँ, मुझे कई बार वहां जाने का मौका मिला, वहां का पूरा कार्यालय बंद पड़ा है, आप कहते हैं इन्दिरा आवास की बात, इन्दिरा आवास के मामले में जो नई योजना बनी इन्दिरा आवास के लिए 20-20 हजार रू0 लिये जा रहे हैं, मैं दावे के साथ सदन को बताना चाहता हूँ, आज स्थिति है कि 20 हजार रुपये दीजिये तब जो है गरीबों का इन्दिरा आवास बनेगा। इन्दिरा आवास के चयन की प्रक्रिया जो रखी गयी है, पंचायत के तमाम लोगों के साथ कहीं भी बैठकर काम नहीं होता है हमारे यहां, आपको बताना चाहते हैं महोदय, हम आपको आरा प्रखंड का एक-एक एग्जामपुल देते हैं आपके जो है वहां एक बड़ा बाबू, दो ट्रांसलेटर, एक चपरासी से पूरा जो है प्रखंड चलता है। महोदय, आप कैसे पांच आदमी से प्रखंड को चलायेंगे, हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, आज ऑनलाईन प्रक्रिया बंद है, जहां तक हल्का कर्मचारी की बात है वहां 19 पंचायत और 45 वार्ड हैं, 19 पंचायत और 45 वार्ड में मात्र 6 कर्मचारी हैं। महोदय, आप एक तरफ विकास की बात करते हैं, आप ग्राम सेवक की बात करते हैं, 19 पंचायत हैं और उसमें मात्र 4 जो हैं ग्राम सेवक हैं। महोदय इन्दिरा आवास सहायक, 19 पंचायत हैं और मात्र 10 हैं, इसी तरह से आपको बतलाते हैं बगल में बड़हरवा ब्लॉक है, उस ब्लॉक की भी वही स्थिति है। तमाम ब्लॉकों में कोई कर्मचारी नहीं है, कहीं जो है अमीन नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है तो आप कैसे विकास की बात करते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे मनरेगा के बारे में कई साथी भाई सचिन्द्र जी अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, हम जानना चाहते हैं महोदय मनरेगा की स्थिति जो है, हमारे पूरे जो शाहाबाद की है, इसकी बात करते हुए हम कम से कम

भोजपुर की धरती के बारे में कहना चाहते हैं। आपकी मनरेगा स्कीम टोटल फैल्योर है, कहीं जाईए ब्लॉक में, पूरा भोजपुर की धरती पर जे0ई0 मात्र एक है और आप पी0ओ0 की बात करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है और सारी जगहों पर काम बंद है। महोदय, भ्रष्टाचार का आलम जो है, शौचालय घोटाले की बात कर रहे थे मेरे साथी, एक-एक शौचालय घोटाला में एक व्यक्ति, मैं इस सदन को पूरा आश्वस्त के साथ पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ कि एक आदमी के परिवार का जो सदस्य है और पांच आदमी को वह पैसा पेमेंट हुआ और निश्चित रूप से वह सदन का मामला है, चाहे आप पूरे पंचायत को उठा कर देख लें। अति पिछड़े समाज की बात आप करते हैं, हमारे गांव में डुमरा पंचायत में आता है, वह नवागांव है, जहां पर धानुक समाज के लोग रहते हैं, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, दलित समाज के लोग रहते हैं, वहां पर पच्चास शौचालय को इसी तरह से कागज पर करने का काम किया गया है। नल-जल-योजना के मामले, नल-जल-योजना हम इस सदन को बताना चाहते कि आप एक तरफ कहते हैं और विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। नल-जल-योजना के माध्यम से निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, नल-जल-योजना में जिस तरह से भारी लूट हुई है और उस लूट की लगातार हमलोग विजिलेंस से लेकर तमाम जगहों पर जांच के लिए कहते रहे लेकिन महोदय, आज तक वह जांच नहीं हो पायी नल-जल-योजना में पूरी तरह से लूट मची हुई है, यह योजना पूरी तरह से फेल्योर है। महोदय, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बीच में एक जीविका का मामला है, जीविका दीदी कौन काम में लगी है, जीविका दीदी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की जब सभा होती और तमाम जगहों पर भीड़ जुटाने के काम जीविका दीदी के माध्यम से किया जाता है उनसे कोई काम प्रखंड लेवल पर नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह से हम आपके बीच में कहना चाहते हैं महोदय कि आप झूठ का पुलिंदा के तहत योजना चलाते हैं फसल क्षति योजना निश्चित रूप से हमारे यहां ऐसा हुआ कि जो किसान हैं उस किसान की लागत पौने ग्यारह हजार रुपये लगता है और वहीं बेचारे को 1500 रू0 में संतुष्ट करना पड़ता है। के0सी0सी0 का कैम्प ब्लॉक में आपकी लगाने की योजना थी, कहीं भी के0सी0सी0 के लिए ब्लॉक में कैम्प लगाने की योजना आपकी जो है वह सिर्फ किताबों में चल रही है महोदय। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से सदन को बताने का काम करें कि 80 प्रतिशत जो गांव में बसने वाले लोग हैं, जिनकी आत्मा गांव बसती है, वैसे लोग इस सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सरजमीं पर हमारी सरकार काम करने का काम करेगी लेकिन आपकी सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है, हम इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं कि ये घोटाले की सरकार है और इस

घोटाले की सरकार से निश्चित रूप से इस कटौती के माध्यम से बैंक लूटने से बचना चाहते हैं और इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महोदय, इसके साथ ही साथ आपने मुझे इस सदन बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको तहेदिल से मुबारकवाद देता हूँ। जय हिन्द।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य बशिष्ठ सिंह, अगर दो मिनट में अपनी बात रख सकते हैं तो शुरू करिये नहीं तो मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊंगा।

श्री बशिष्ठ सिंह: दिया जाय सर।

अध्यक्ष: अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के तृतीय अनुपूरक पर माननीय सदस्यों का सुझाव आया है। माननीय श्री रामदेव बाबू, माननीय श्री शिवचन्द्र राम जी, माननीय श्री रत्नेश सदा जी, माननीय श्री जिवेश कुमार जी, माननीय श्री रामानुज प्रसाद जी, माननीय श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी, माननीय सत्येदव राम जी, माननीय रामप्रीत पासवान जी, माननीय समीर कुमार महासेठ जी, माननीय श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह जी, माननीय श्री मदन मोहन तिवारी जी, माननीय श्री नवाज आलम साहब कुल 12 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव यहां रखे हैं महोदय और जो सुझाव दिये हैं जिस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, जो माननीय सदस्य सुझाव दिये हैं उसके बारे में उनको भी बताना चाहूंगा महोदय लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे तब सब बात जो बोले हैं, उस सब का हम सही-सही जवाब बना लिये हैं, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बिहार की कुल जनसंख्या के लगभग 80 प्रतिशत से अधिक लोग बिहार में निवास करते हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल-जीवन-हरियाली अभियान, (क्रमशः)

टर्न-23/मधुप-हेमन्त/02.03.2020

...क्रमशः...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मनरेगा, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री बाढ़ सहायता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जीविका सतत जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ अभियान, आधार पंजीकरण, सांसद आदर्श ग्रामीण ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन,

सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी एवं विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।

महोदय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा-निर्देशन एवं सुदृढ़ नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए सात निश्चयों के अतिरिक्त गाँव का समग्र विकास कर ग्रामवासियों को सम्मान के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है । महोदय, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आवास की चर्चा करना चाहता हूँ । इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी तृतीय अनुपूरक जो मैं लाया हूँ, महोदय, इन्हीं गरीबों के आवास के लिए हमको पैसे की अतिरिक्त जरूरत है । इसलिए इसकी चर्चा मैं पहले करना चाहता हूँ । महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन किया जा रहा है । योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों की जॉचोपरांत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन एवं प्राथमिकता निर्धारण के साथ तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से ही की जाती है । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत सामान्य जिलों में 1 लाख 20 हजार, उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1 लाख 30 हजार रू० सहायता राशि तीन किशतों में दी जाती है । सहायता राशि का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से राजस्तरीय नोडल खाते से सीधे लाभुकों के खाते में किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, 2016-17, 2017-18, 2019-20 के लिए कुल जो हमारा भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, 21,85,181 है । जिसके विरुद्ध अबतक 18,06,857 लाभुकों को प्रथम किशत की राशि हमने दी है । 8,06,857 लाभुकों को प्रथम किशत की राशि, 11,48,076 लाभुकों को द्वितीय किशत की राशि, 8,31,106 लाभुकों को तृतीय किशत की सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है । 19 लाख 86 हजार परिवारों को आवास स्वीकृति देते हुए 156 अरब 48 करोड़ 67 लाख रू० व्यय किया गया है तथा 8,84,884 आवास को पूर्ण कराया गया है, जिसकी चर्चा हमारे शिवचन्द्र बाबू कर रहे थे और चिन्ता इनके मन में थी कि इनके घर पूर्ण नहीं हो रहे हैं और महासेठ जी ने भी इसकी चर्चा की है। 8,84,884 घर पूर्ण कराये गये हैं । (व्यवधान) आप चाहियेगा तो आपके क्षेत्र के एक-एक घर का बाइ-नेम आपको दे देंगे कि आप जाँच कर लीजिए और अगर घर नहीं पूरा हुआ होगा, इस सूची में शामिल है तो एक भी बचने वाला नहीं है, जो इस तरह का गलत काम करेगा, गलत बयानी करेगा ।

श्री शिवचन्द्र राम : हमारे क्षेत्र के मात्र किसी एक पंचायत की जाँच करा दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आप बैठिए न, आपकी हम सब जाँच करा देंगे, चिन्ता मत करिए लेकिन आप एक सूची बनाकर दीजिए कि किनका-किनका पूर्ण नहीं हुआ है और पूर्ण का पैसा निकल गया । नहीं भी कहिएगा तब भी हम जाँच करा लेंगे । (व्यवधान) करा लेंगे - करा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में दो-तीन ऐसे काम हमलोगों ने किये हैं ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, जो इस राज्य से बाहर दूसरे किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं है - एक का नाम मुख्यमंत्री वास स्थल ऋय सहायता योजना, जिसकी चर्चा विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी की है और सत्तापक्ष के भी माननीय सदस्यों ने की । महोदय, बिहार में जो ऐसे परिवार हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक जनगणना, 2011 में हुआ है, उसमें नाम है, पात्र परिवार हैं, आवास लेने के हकदार हैं और उनके पास अगर अपनी जमीन नहीं है तो उसके लिए राज्य के खजाने से 60 हजार ₹ देने का फैसला बिहार की सरकार ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी राशि को और बढ़ायेंगे । हमलोग भाषण करने वाले नहीं हैं, हमलोग काम करने वाले हैं । हमलोग गरीबों के बारे में जानते हैं, हमलोग गाँव से आते हैं, जो पीड़ा है गरीबों की, उसको महसूस भी करते हैं और उसके लिए उपाय भी करते हैं, जब सरकार में हैं तो उसके लिए काम भी करते हैं, महोदय । यह काम बिहार की सरकार कर रही है । ये जानना चाहते थे कि कितने लोगों को दिया गया, इनको लगता होगा कि किसी को अभी तक नहीं मिला है, महोदय, 2019-20 में योजनान्तर्गत कुल 50 करोड़ ₹ का हमारा बजट है और अबतक 702 लाभुकों की सहायता राशि एफ0टी0ओ0 के माध्यम से उनके खातों में अंतरित किया जा चुका है। जमीन खरीदने के लिए उनको पैसा दिया जा चुका है । 4 करोड़ 21 लाख 20 हजार ₹ का व्यय हो चुका है, तो आप जानिए गरीबों के बारे में। आप तो रटी-रटायी जो बात कहते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है । काम चलेगा तब जब बढ़िया से चीजों को शिवचन्द्र बाबू देखियेगा, बगल का खाली ध्यान रखियेगा तो काम चलने वाला नहीं है, आपका तो टिकट पक्का ही है, तब क्यों चिन्ता में घूम रहे हैं? जिनका टिकट पक्का नहीं है, वे लोग थोड़ा-बहुत इधर-उधर करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास - यह बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं है । इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वर्ष 1980 में जो आवास निर्माण प्रारंभ किया गया था । राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, एन0आर0ई0पी0 एवं 1983 से आरंभ किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवास निर्माण की योजना चलायी गयी, इस क्रम में 1985 से

1996 तक से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवास का निर्माण कराने की योजना चलायी गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत गुच्छ समूहों में आवासों को पूर्ण कराकर आवंटित किए गए ऐसे आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, क्षत-विक्षत हो गया । रहने के लायक नहीं है, उन गरीबों की भी चिन्ता हमने की और उनकी चिन्ता ही नहीं की बल्कि हमने उनको राशि भी इस योजना के तहत दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वर्तमान प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए योग्य परिवारों को निधि उपलब्धता के अनुरूप हमने इनको 01 जनवरी, 1996 से पहले जिनते घर बने थे, उनको हमने राज्य के खजाने से 1 लाख 20 हजार रू० देने का फैसला किया। अब वे भी बिना छत के नहीं रहेंगे, महोदय । इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए योग्य परिवार को निधि उपलब्धता के अनुरूप मुजफ्फरपुर जिला के ए०ई०एस० अत्यधिक प्रभावित प्रखंड बोचहा प्रखंड, काँटी प्रखंड, मीनापुर प्रखंड, मोतीपुर प्रखंड एवं मुशहरी प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बनायी गयी स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 44,620 लाभुकों में से 29,425 योग्य परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आवास का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है । मुजफ्फरपुर जिला में अबतक 28,321 परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गयी है । शेष 1,277 लाभुकों में से 910 भूमिहीन एवं 311 विस्थापित परिवार हैं, अबतक 20,906 परिवार को प्रथम किशत की राशि दी जा चुकी है ।

...क्रमशः...

टर्न-24/आजाद:अंजली/02.03.2020

..... क्रमशः

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : एवं 9251 परिवार के आवास पूर्ण हो चुके हैं । महोदय, हमलोग तो जो काम करते हैं ऐनक में देखिए, पूरी तरह से पारदर्शी है, सारा चीज नेट पर है । शिवचन्द्र बाबू आप तो मंत्री भी रहे हैं और आप तो सब चीज के जानकार भी हैं। इन सब चीजों को देखियेगा तब न पता चलेगा कि हमलोग क्या-क्या काम कर रहे हैं । महोदय, कागज से ही नहीं, यह सब सारा कागज है और आप जमीन पर भी जाँच करके देखिए तब पता चलेगा । खाली विधान सभा से आकर के भाषण दे देने से गरीबी मिटने वाला नहीं है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना कुल 120 करोड़ रू० का बजट उपबंध है । योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों को आवास सौफ्ट के माध्यम से भुगतान का प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है । अब तक 6647 लाभुकों को सौफ्ट एवं निबंधन 2007 लाभुकों को आवास की स्वीकृति तथा 1150 लाभुकों को प्रथम किशत एफ०टी०ओ० हो चुका है, जिससे

कुल 404 करोड़ 60 लाख रू० का व्यय हो चुका है महोदय । यह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ आपके माध्यम से ।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो हम राशि ले रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वप्रथम 8 लाख भौतिक लक्ष्य का संसूचन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था । बाद में 2 लाख 12 हजार 359 परिवार का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है । यानी जो लक्ष्य बढ़ा है, भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि यहां के गरीबों के लिए 2 लाख 12 हजार 359 परिवार का अतिरिक्त लक्ष्य दिया है महोदय । इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 का लक्ष्य 10 लाख 12 हजार 359 है । पूर्व से संसूचित 8 लाख लक्ष्य के विरुद्ध प्रथम किश्त केन्द्रांश योजना मद की अनुमान्य 2923 लाख 40 हजार रू० है। उक्त राशि की विमुक्ति के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है । उक्त विमुक्त राशि के अनुपातिक राज्य अंश 1948 करोड़ 81 लाख 60 हजार की विमुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी है । केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्ति के 15 दिनों के अन्दर राज्यांश मद की राशि विमुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है । वर्तमान में योजना अन्तर्गत योजना मद में उपबंधित राशि का निकासी कर व्यय किया जा चुका है । केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुपातिक राज्यांश की विमुक्ति एवं योजना कार्यान्वयन सुचारू रूप से करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की योजना मुख्य शीर्ष 2216 में 1948 करोड़ 81 लाख 60 हजार रू० बजट उपबंध में आवश्यकता है महोदय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय,

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, इनको तो गरीबों से कोई मतलब नहीं है, इनको न तो गरीब से मतलब है, इनको तो राम कथा से मतलब है महोदय, ये क्या समझेंगे, ये आंकड़ा समझेंगे ललित यादव जी, कुछ समझिए, गरीबों के बात को सुनिए, आपलोग गरीब की बात को सुनने वाले नहीं हैं

अध्यक्ष : ललित जी, इसके बाद गिलोटीन भी होगा ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य सर्वश्री रामदेव राय एवं विनय वर्मा को छोड़कर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनको गरीब से मतलब नहीं है, इनको अखबार और टेलीविजन में अभी जायेंगे तो बाहर में छपेगा, उससे इनको मतलब है । अगर गरीबों के प्रति, ये अभी भाषण दे रहे थे कि गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब को हक नहीं मिल रहा है, गरीब को घर नहीं मिल रहा है, गरीब को मनरेगा में काम

नहीं मिल रहा है, अभी तो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास का ही मामला उठाये हैं तो ये भागा-भागी कर रहे हैं। अभी तो बाकिए है सब, जाईए, जा रहे हैं तो 2020 में लौटकर नहीं आइयेगा। बहुत, बहुत धन्यवाद।

रामदेव बाबू तो हमेशा बैठते हैं, कांग्रेस के अवधेश बाबू हैं, इनको अकेले छोड़कर वे चले जाते हैं लेकिन ये अकेले कमान संभाले रहते हैं। चिन्ता मत कीजियेगा, रामदेव बाबू अकेले ही काफी हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार के द्वारा विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना 13 फरवरी, 2014 को पटना में की गई थी। वर्तमान में यह संस्थान पटना के गाँधी मैदान के पास उद्योग भवन में संचालित हो रहा है। बिहार प्रबंधन संस्थान की स्थायी कैम्पस हेतु बिहटा स्थित मेगा औद्योगिक पार्क मौजा सिकन्दरपुर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। इस 15 एकड़ भूमि पर 200 करोड़ ₹ की लागत से भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, पुनः पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुरूप भवन निर्माण हेतु 250 करोड़ की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विकास संबंधी पेशेवरों को तैयार करने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उच्चस्तरीय संस्थान के रूप में किया गया है। बड़ी संख्या में तैयार पेशेवर एवं विकास प्रबंधन संस्थान की अग्रणी गतिविधि देश में विशेषकर बिहार प्रान्त में विकास संबंधी कार्यों के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने का काम करेगा। यह संस्थान बिहार प्रबंधन डेवलपमेंट मैनेजमेंट में दो वर्ष पूर्णकालिक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करने संबंधी व्यवसायिक शिक्षण प्रदान करेगा। संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी प्रशासन, संसाधनों, उद्यमियों एवं सस्थाओं एवं हस्तक्षेपों के प्रबंधन के लिए आवश्यक दस्ताओं को प्रदान करने पर केन्द्रित है। संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए जीविका एवं आजीविका से संबंधित रोजगार के साधनों में प्रति कौशल विकास एवं अन्य गतिविधियों को दस्तापूर्ण व्यवसायिक प्रशिक्षण है महोदय। अभी ये रहते तो समझते, सुनते। बाहर में प्रचार करते हैं कि बेरोजगारी है और रोजगार के लिए हमलोग काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए काम कर रहे हैं तो ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह संस्थान.....

अध्यक्ष : श्रवण बाबू, जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं रामदेव बाबू, वो तो ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बातों को।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : बेरोजगारी का सवाल ये नहीं उठा रहे हैं महोदय, बेरोजगारी का सवाल नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं। अभी ये जगह-जगह भाषण दे रहे हैं लेकिन हमलोग जो

काम कर रहे हैं, उसको समझना चाहिए न महोदय कि हमलोग कितना बेरोजगारी कहां-कहां मिटा रहे हैं। महोदय, यह संस्थान संस्थानगत भागीदारों के एक नेटवर्क के माध्यम से पारस्परिक रूप से एकेडेमिक शिक्षण हेतु क्लासरूम, वर्गकक्ष, मेज पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासनात्मक अधिगम को मजबूत करते हुए प्रोफेशनल तैयार करेगा। जो राज्य के विकास खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक नया आयाम निर्धारित करने में मदद करेगा। यह अनुभव प्रायोगिक एवं सतही ज्ञान के साथ-साथ स्कूली शिक्षा का एक अच्छा मिश्रण होगा जो समेकित विकास में उपयोगी है। इस संस्थान का उद्देश्य छात्रों को कार्यात्मक एवं एकीकृत पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनका व्यापक व्यक्तिगत विकास करना, चिंतनशील वार्तालाप प्रक्रिया द्वारा सिखने में समृद्ध बनाना है। विकास प्रबंधन संस्थान से शिक्षित लोगों की ग्रामीण विकास एवं अन्य क्षेत्रों में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस राज्य के युवाओं को रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। हमलोग बेरोजगारों को रोजगार का अवसर बढ़ाना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष गायब हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं। व्यवसायिक शिक्षण विशेषकर प्रबंधन से जुड़े सरकारी संस्थाओं की कमी है। फलस्वरूप राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के प्रति योजना बनाने वाले एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रोफेशनल को तैयार करने हेतु एक सशक्त एवं प्रभावी संस्थान की आवश्यकता महसूस की। परिणामस्वरूप सरकार की परिकल्पना साकार होकर विकास प्रबंधन संस्थान ने मूर्त रूप ले लिया है। संस्थान का कार्य एवं उसके अध्ययन, अध्यापन आरम्भ कर दिया गया है। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए दो कदम आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराते हुए इसका निर्माण कार्य भी शुभारम्भ करा दिया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25 करोड़ ₹0 उपबंध किया गया, लागत व्यय के अनुरूप कार्य एजेंसी के भुगतान की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त उपबंध की आवश्यकता है, इसलिए अनुपूरक के माध्यम से इस मद में 27 करोड़ 98 लाख 50 हजार ₹0 उपबंध करने का प्रस्ताव है महोदय।

..... क्रमशः

टर्न-25/शंभु/02.03.20

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : क्रमशः....इसी तरह से महोदय, जल जीवन हरियाली योजना के तहत सुंदर हरित स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने का है। इस हेतु जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटने, पारिस्थितिकी से संतुलन बनाये रखने

और पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और ऊर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश के अनुरूप कृषि एवं समस्त गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत 11 बिन्दुओं की कार्य योजना तैयार की गयी है जिसकी लागत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में 24 हजार 524 करोड़ रुपये है। महोदय, 11 अवयवों पर काम हो रहा है। उसी प्रकार से आज देश और दुनिया बिहार में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी चिंता सबसे पहले बिहार ने किया और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, देश का पहला राज्य बिहार है जहां विधान मंडल के सभी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार ने दलीय भावना से उपर उठकर सभी माननीय सदस्यों से सुझाव लिया और सिर्फ सुझाव ही नहीं लिया इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला लिया और यह काम चल रहा है। यह सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है सभी माननीय सदस्यों को चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी को हमने एक पुस्तक हस्तगत कराया है जिसका नाम है हरित हार नामक पुस्तक। सभी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। जब विपक्ष के माननीय सदस्य पुस्तक पढ़े तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, यह तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अनुश्रवण समिति की बैठक होती है तब ये बहिष्कार करते हैं। इनको जल जीवन हरियाली से मतलब नहीं है। इनको जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ चिंता है, मैं कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और भी अन्य दल के सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस बैठक में शामिल हुए राज्य के स्तर पर और जिलों में भी शामिल हुए, लेकिन ये आर0जे0डी0 के एक भी माननीय सदस्य उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन विधान मंडल की बैठक में सभी माननीय सदस्यों ने एक-एक सुझाव दिया चाहे वे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों। इसपर हमारी सरकार अमल कर रही है। महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माननीय जनप्रतिनिधियों के फैसले को एक-एक करके हर पंचायत तक हमलोगों ने शुरू किया है। 26 अक्टूबर, 2019 को ज्ञान भवन पटना से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित होनेवाले 32781 योजना का शिलान्यास किया गया और 1359 करोड़ 27 लाख रूपया इसपर खर्च करने का लक्ष्य है। उसी दिन शिलान्यास किये गये योजनाओं में ग्रामीण विकास की कुल योजना 26039 योजना शामिल थी जिसपर व्यय होनेवाली राशि 249 करोड़ 59 लाख रुपये है। साथ ही उस दिन कुल 291 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित

कुल 2391 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया । यह इतना बड़ा कार्यक्रम एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ । महोदय, जल जीवन हरियाली को चलाने के लिए बिहार की सरकार ने फैसला लिया। जब श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय हरियाली परत मात्र 9 प्रतिशत था आज बढ़कर 15 प्रतिशत से भी अधिक हुआ है । इसे 33 प्रतिशत तक पहुंचाना है और जलवायु परिवर्तन रोकने में सफलता हासिल करनी है । महोदय, देश में जनता दल युनाइटेड पहला राजनीतिक दल है जिसने अपने पार्टी के सक्रिय सदस्य, पार्टी के प्राथमिक सदस्य, पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्राथमिक सदस्य को एक पौधा, सक्रिय सदस्य बनने के लिए 25 पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 7 लाख 27 हजार 188 पौधा लगाकर के वन पर्यावरण संतुलित करने का काम हमारी पार्टी ने भी किया है तो हम तो पहले से इस काम को कर रहे हैं । हम तो यह काम पहले से कर रहे हैं । हमारी सरकार की और हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंता जब से बिहार की सरकार में हैं, जब से बिहार के लोगों ने मौका दिया है तब से यह काम शुरू किया है । महोदय, 2019-20 में पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण का काम शुरू होगा। हमने राज्य में पौधाशाला के निर्माण की दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है । पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पौधाशाला की संख्या 568 है और क्षेत्रफल 709.85 हे0 है, पौधों की संख्या 4 करोड़ 89 लाख 75 हजार है । वर्ष 2019-20 में लगाये गये पौधों की संख्या 53 लाख 28 हजार है । ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लगाये गये पौधों की संख्या 57 लाख है । अध्यक्ष महोदय, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जल जीवन हरियाली योजनाओं को सफल बनाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 8 करोड़ 50 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है । आपसे अपील करना चाहते हैं, रामदेव बाबू आपसे भी अपील करना चाहते हैं, आपके कांग्रेस के सभी नेताओं से अपील करना चाहते हैं और सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पृथ्वी दिवस के अवसर पर 2 करोड़ 51 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है । यह काम बहुत बड़ा है । जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा इस बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने में थोड़ी हमें दिक्कत होगी । इसलिए अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जरूर इस काम में अपना हाथ बंटाइये । अध्यक्ष महोदय, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है । सुदृढ़ संवेदन से उपलब्ध कराये गये जल संचय संरचनाओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 921 है । जिला स्तर पर चिन्हित अतिक्रमित

जल संचय संरचनाओं की संख्या 33 हजार 770 है । निरीक्षण कर चिन्हित किये गये जल संचय संरचनाओं की संख्या.....

अध्यक्ष : अब रामदेव बाबू से अनुरोध कर लीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से ग्रामीण विकास के बारे में जिस प्रकार से सुझाव देना चाहिए था वह सुझाव तो नहीं आया, कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है और रामदेव बाबू ने कुछ आरोप भी लगाया है कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए हमारे अधिकारियों ने जाँच भी किया है और जहां-जहां गड़बड़ी हुई है उसमें काम भी चल रहा है । उसमें जो लोग चिन्हित किये गये हैं उसपर कार्रवाई हो रही है । इनको चिंतामुक्त करना चाहते हैं और मैं माननीय रामदेव बाबू से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कटौती प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामदेव राय : मैंने सदन के माध्यम से जो माननीय मंत्री जी के सामने रखा जिसपर इनका उत्तर संतोषजनक नहीं है । मैंने इनसे अनुरोध किया था कि आप या तो वहां के जिला पदाधिकारी से वह भी ओनेस्ट हैं या आप सेक्रेटेरियट लेवेल से किसी को भेजकर पूरे मामले की जाँच करा लीजिए और जाँच के समय आरोपकर्त्ता को भी रखना चाहिए । इन्होंने इसे अपने वक्तव्य में नहीं रखा इसलिए मैं अपना कटौती वापस नहीं ले रहा हूँ ।

अध्यक्ष : अभी तो मेरा आपसे पूछना बाकी था ।

श्री रामदेव राय : पूछा जाय हुजूर ।

अध्यक्ष : हम तो अब यह पूछेंगे कि अगर कलक्टर से जाँच करवा देंगे तो वापस ले लीजिएगा ।

श्री रामदेव राय : वे बोले कहां ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : हमने तो अध्यक्ष महोदय कहा कि जो उनकी चिंता है उसको दूर करेंगे और कलक्टर ही उसकी जाँच कर रहे हैं दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“इस शीर्षक की मांग 10/-रु० से घटायी जाय ।”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-26/02-03-2020/ज्योति-पुलकित

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ :

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास के संबंधा में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के

लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2019 बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2019 एवं बिहार विनियोग संख्या 4 अधिनियम 2019 के उपबंध अतिरिक्त 22,76,80,10,000/- (बाइस अरब छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख दस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब तृतीय अनुपूरक अनुदानों की शेष मांगों का मुखबंध होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2019 बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2019 बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम-2019 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 1,44,47,17,000/- (एक अरब चौवालीस करोड़ सैंतालीस लाख सत्रह हजार) रूपये

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 18,88,67,000/- (अठारह करोड़ अठ्ठासी लाख सड़सठ हजार) रूपये

मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 1,03,35,23,000/- (एक अरब तीन करोड़ पैंतीस लाख तेईस हजार) रूपये

मांग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 56,00,000/- (छप्पन लाख) रूपये

मांग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 45,88,000/- (पैंतालीस लाख अठ्ठासी हजार) रूपये

मांग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 2,51,40,33,000/- (दो अरब एकावन करोड़ चालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये

मांग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 31,74,000/- (इक्कतीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 23,00,000/- (तेईस लाख) रूपये

मांग संख्या-12 वित्त विभाग के संबंध में 64,37,01,000/- (चौंसठ करोड़ सैंतीस लाख एक हजार) रूपये

मांग संख्या-15 पेंशन के संबंध में 10,00,000/- (दस लाख) रूपये

मांग संख्या-16 पंचायती राज के संबंध में 10,00,00,00,000/- (दस अरब) रूपये

- मांग संख्या-18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 65,14,000/- (पैंसठ लाख चौदह हजार) रूपये
- मांग संख्या-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 38,71,56,000/- (अड़तीस करोड़ एकहतर लाख छप्पन हजार) रूपये
- मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 5,46,01,38,000/- (पांच अरब छियालीस करोड़ एक लाख अड़तीस हजार) रूपये
- मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग के संबंध में 9,66,59,17,000/- (नौ अरब छियासठ करोड़ उन्सठ लाख सत्रह हजार) रूपये
- मांग संख्या-22 गृह विभाग के संबंध में 28,91,27,000/- (अठाईस करोड़ एकानवे लाख सताईस हजार) रूपये
- मांग संख्या-23 उद्योग विभाग के संबंध में 1,02,52,32,000/- (एक अरब दो करोड़ बावन लाख बत्तीस हजार) रूपये
- मांग संख्या-25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 24,73,18,000/- (चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख अठारह हजार) रूपये
- मांग संख्या-26 श्रम संसाधान विभाग के संबंध में 13,88,97,000/- (तेरह करोड़ अठ्ठासी लाख सन्तानवें हजार) रूपये
- मांग संख्या-27 विधि विभाग के संबंध में 3,37,50,000/- (तीन करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार) रूपये
- मांग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 37,12,000/- (सैंतीस लाख बारह हजार) रूपये
- मांग संख्या-31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 2,00,000/- (दो लाख) रूपये
- मांग संख्या-35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 23,33,000/- (तेईस लाख तैंतीस हजार) रूपये
- मांग संख्या-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 45,68,00,000/- (पैंतालीस करोड़ अड़सठ लाख) रूपये
- मांग संख्या-37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 50,00,00,000/- (पचास करोड़) रूपये
- मांग संख्या-38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 13,15,00,000/- (तेरह करोड़ पंद्रह लाख) रूपये
- मांग संख्या-39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 11,17,00,00,000/- (ग्यारह अरब सत्रह करोड़) रूपये
- मांग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 8,76,95,000/- (आठ करोड़ छिहत्तर लाख पंचानवें हजार) रूपये

मांग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1,50,00,03,000/- (एक अरब पचास करोड़ तीन हजार) रूपये

मांग संख्या-44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 10,00,00,000/- (दस करोड़) रूपये

मांग संख्या-45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 23,00,000/- (तेईस लाख) रूपये

मांग संख्या-46 पर्यटन विभाग के संबंध में 9,16,30,000/- (नौ करोड़ सोलह लाख तीस हजार) रूपये

मांग संख्या-47 परिवहन विभाग के संबंध में 2000/- (दो हजार) रूपये

मांग संख्या-48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 33,81,41,000/- (तैंतीस करोड़ एकासी लाख एकतालीस हजार) रूपये,

मांग संख्या-49 जल संसाधन विभाग 14,82,60,10,000/- (चौदह अरब बेरासी करोड़ साठ लाख दस हजार) रूपये,

मांग संख्या-50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 2,69,00,000/- (दो करोड़ उनहत्तर लाख) रूपये,

मांग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 3,58,14,70,000/- (तीन अरब अन्ठावन करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । ”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य होगा ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2020

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ बिहार विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ बिहार विनियोग विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ । अब विचार का प्रस्ताव ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ बिहार विनियोग विधेयक, 2020 पर विचार हो । ”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ बिहार विनियोग विधेयक, 2020 पर विचार हो । ”

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ अनुसूची इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ नाम इस विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

“ बिहार विनियोग विधेयक, 2020 स्वीकृत हो । ”

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 205 में अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान है और 27 फरवरी को तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण इस सदन के अंदर उपस्थापित किया गया था और जो मूल बजट है 2019-20 का वह 2 लाख 71 करोड़

1 हजार का मूल बजट था और प्रथम अनुपूरक के द्वारा 14,330 करोड़, द्वितीय अनुपूरक के द्वारा 12 हजार 57 करोड़ ।

क्रमशः

टर्न : 27/कृष्ण/ 02.03.2020

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) महोदय, अभी जो थर्ड सप्लीमेंटरी है, इसके द्वारा 8,868 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । अगर मूल बजट में इन तीनों अनुपूरक बजट को जोड़ लें तो कुल राशि होती है 2 लाख 36 हजार 727 करोड़ लेकिन वास्तव में जो मूल बजट में प्रावधान है 2 लाख 1 हजार करोड़, हम उसी के अन्तर्गत व्यय करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, हम सदन को यह भी बताना चाहेंगे कि कोई भी खर्च बिना विधान मंडल की अनुमति के नहीं की जा सकती है । हमलोग बजट पेश करते हैं लेकिन सप्लीमेंटरी के माध्यम से जो खर्च आकस्मिकता निधि से पैसे एडवांस लेकर खर्च कर दिया गया, जिसकी अनुमति सदन से प्राप्त नहीं की गयी थी या जिसको आगे आनेवाले दिनों में इस खर्च को किया जाना है जिसकी अनुमति सदन से प्राप्त नहीं है, उन्हीं सारे खर्च को सप्लीमेंटरी में शामिल किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, ये 8,868 करोड़ रूपये का तृतीय अनुपूरक विवरण है और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें स्कीम के मद में 6,983 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी राशि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिये है 2,248 करोड़ रूपया । मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण के लिये 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । त्वरित सिंचाई लाभ योजना हेतु 741 करोड़, परिवार कल्याण कर्मियों के वेतन हेतु 456 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान के लिये 274 करोड़, वृद्ध जन पेंशन योजना के लिये अतिरिक्त 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

महोदय, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को बाढ़ के पूर्व पूरा करने के लिये 185 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये 173 करोड़, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के लिये 151 करोड़, मध्याह्न भोजन के लिये 100 करोड़, जो ग्रामीण बैंक हैं, उन ग्रामीण बैंकों में बिहार सरकार को अपना अंशदान करना होता है, उसके लिये भी इस बजट में 63 करोड़ 59 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

महोदय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिये 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जो हमारा कमिटेड एक्सपेंडिचर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, उसमें भी 1876 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 832 करोड़ रूपये प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत हेतु, 402 करोड़ रूपये प्राथमिक, मध्य विद्यालय के नियोजित शिक्षकों के वेतन हेतु और 150

करोड़ रूपये ओपीआरएमसी के अन्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु, 67 करोड़ रूपये गैर-सरकारी मदरसों के सहायता हेतु प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर यह जो प्रावधान किया गया है, मैं बिहार विनियोग विधेयक, 2020 द्वारा कुल 8,868.52 करोड़ रूपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है ।

महोदय, तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव बिहार विनियोग विधेयक, 2020 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2020 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुये ध्वनिमत से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

“ बिहार विनियोग विधेयक, 2020 स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2020 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 2 मार्च, 2020 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 34 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 2020 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।